

अनक्रम

01 J.W. 1	
संपादकीय	1
विकास विचार	2
गुजरात में बंजर जमीनः	
स्वामित्व एवं विकास के सवाल	
नज़रिया	
वैश्विक लोकतंत्र और	11
भारतीय राज्य	
जमीन सम्बंधी सरकारी नीति	13
वंचितों हेतु हानिकारक	
आपके लिए	
स्थानीय स्वशासी संस्थाओं हेतु	20
बारहवें वित्त आयोग की सिफिरि	शें
गुजरात मानव विकास	23
प्रतिवेदनः २००४	
एफ.सी.एम.सी. कानून	26
अपनी बात	
स्वास्थ्य रक्षा हेतु खर्चः	33
जीवन- मरण का सवाल	
नोबल शांति पुरस्कार हेतु	35
१००० महिलाओं की उमेदवारी	
गतिविधियाँ एवं भावी	
कार्यक्रम	38
संदर्भ सामग्री	44
अपने बारे में	47
संपादकीय टीम : दीपा सोनपाल बिनोय आचार्य वार्षिक चंदा : २५ रु. मात्र	बैंक
डाफ्ट अथवा मनीऑर्डर 'उर्	

विकास शिक्षण संगठन, अहमदाबाद

केवल सीमित वितरण के लिए

के नाम भेजें।

संपादकीय

गरीबी निवारण हेत् अधिकार आधारित अभिगम

हाल ही में भारत सरकार ने गरीबी निवारण, बेकारी निवारण और लोकतंत्र को मजबूत बनाने हेतु महत्त्वपूर्ण कदम उठाये हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानुन बनाया गया है तथा आदिवासियों को भूमि का स्वामित्व अधिकार देने संबंधी मसौदा तैयार है। इसके अतिरिक्त, सचना के अधिकार संबंधी कानन बनाया है और क्रियान्वयन की शुरूआत भी हो गई है। ये कानुनी कदम एक महत्त्वपूर्ण तथ्य की तरफ इंगित करते हैं और वह यह है कि गरीबी और बेकारी अब कल्याणपरक विषय नहीं रहा, वरन नागरिक अधिकार का विषय गिना जाएगा। थोड़े समय पहले शिक्षा को संविधान में मुलभुत अधिकार के रूप में स्थान मिला और सर्वोच्च न्यायालय ने अन्न सुरक्षा निर्मित करने हेतु राज्यों व केन्द्र सरकार को आदेश दिया, वह भी राज्य के उत्तरदायित्व क्या हैं, राज्य को इसका एहसास कराने हेतू और नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के संबंध में पर्याप्त संकेत देता है। आज़ादी प्राप्ति के बाद जबसे पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई तब से विकास एक राजमंत्र बन गया था। पर साथ ही साथ कल्याण भी ऐसा ही एक मजबूत राजतंत्र बन गया था। 'कल्याणकारी राज्य' का विचार राजनीतिक परिवेश में जबरदस्त वजन रखता था, अतएव ऐसा हुआ था। अतः राज्य लाभ प्रदाता और और जरूरतमंद लोग लाभार्थी हैं ऐसे समीकरण बन गए थे। परिणामस्वरूप राज्य और नागरिकों के बीच एक प्रकार का विच्छेद खड़ा हो गया था। अब इस कल्याणकारी अभिगम का स्थान अधिकार आधारित अभिगम ने लिया है और राज्य स्वयं ही अब खद को अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायी बनाए ऐसा चाहता है। यह भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है कि नागरिक ही राज्य को नागरिकों के प्रति उत्तरदायी बना सकते हैं। राज्य की यह अधिकार आधारित अभिगम की स्वीकृति वस्तृतः एक आनंददायी घटना है, क्योंकि उससे राज्य और नागरिक दोनों विकास के पथ पर सहगामी बनते हैं।

यह नया अभिगम दो तरह से महत्त्वपूर्ण है। एक तो, यह राज्य की नागरिकों के प्रति जिम्मेदारी तय करता है। विशेष रूप से वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के माहौल में तो यह बहुत ही जरूरी है। भारत में पिछले डेढ़ दशक से राज्य मानो नागरिकों के प्रति और विशेष रूप से वंचितों तथा साधनहीनों के प्रति अपने उत्तरदायित्व से पीछे हट रहा हो, ऐसी व्यापक धारणा बन रही थी, ऐसे में यह नया अभिगम थोड़ी राहत प्रदान करता है। परंतु इस अभिगम की सैद्धांतिक स्वीकृति से काम पूरा नहीं हो जाता और विकास के फल समाज के अवसरों व सुविधाओं से वंचित वर्गों तक नहीं पहुँचते। इसके लिए तो सरकार और सभ्य समाज के बीच सहयोग निर्मित होना चाहिए।

इधर भारत को सन् २०२० तक एक विकसित देश बनाने का सपना देखा जा रहा है। व्यापक गरीबी, निरक्षरता और अस्वस्थता के रहते भारत किस तरह विकसित देश या महासत्ता बन पाएगा? भारत का महासत्ता बनना तो तभी कहा जाएगा कि जब आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का हल करने की राजनीतिक सत्ता वास्तव में लोगों के हाथ आ जाए। इन समस्याओं के हल का राज्य का अधिकार आधारित अभिगम नागरिकों को सक्षम बनाएगा, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। राज्य नागरिकों के लिए है, नागरिक राज्य के लिए नहीं, इस मूल विभावना के साथ अब दोनों के बीच सहयोग निर्मित होगा तो हाल ही में उठाये गए ये कानूनी कदम वास्तव में अपना कर्तत्व पूरा कर दिखाएंगे।

गुजरात में बंजर जमीन : स्वामित्व एवं विकास के सवाल

गुजरात सरकार ने राज्य की बंजर जमीन को बड़े औद्योगिक घरानों और सक्षम किसानों को लम्बी अवधि के पट्टे पर देने की नीति घोषित की है। यह नीति गुजरात के कृषि विकास, किसानों और कृषि मजदूरों के जीवन निर्वाह पर व्यापक प्रभाव डालने वाली है। इससे राज्य के सामाजिक व आर्थिक विकास के विशाल और विकराल सवाल खड़े होते हैं। यहां इस लेख में श्री हेमन्तकुमार शाह द्वारा इन सवालों की छानबीन की गई है।

भूमिका

अर्थशास्त्र में उत्पादन के चार साधन गिने जाते हैं: जमीन, श्रम, पूंजी और नियोजक। अतः इन चार साधनों का स्वामित्व किसके पास है और इन साधनों का क्या उपयोग होता है, यह किसी भी समाज के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक महत्त्वपूर्ण विषय बन जाता है। जब भारत में सामंतशाही आर्थिक व्यवस्था विकसित हुई थी, तब भूमि का स्वामित्व सामंतों, जागीरदारों या जमींदारों के पास चला गया था। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने १७९३ में बंगाल में भू-राजस्व के निर्धारण और वसूली करने के लिए जमींदारी प्रथा शुरू की थी। इस जमींदारी प्रथा ने कालांतर में वंश-परम्परागत स्वरूप ग्रहण कर लिया और जमींदार अथवा जागीरदार जमीनों के मालिक बन गए।

जमीन का स्वामित्व मात्र एक अधिकार नहीं है। यह बहुत सारे अधिकारों का समूह है। इसमें जमीन प्राप्त करने का अधिकार, जमीन विरासत में देने का अधिकार, जमीन बेचने का अधिकार, जमीन गिरवी रखने का अधिकार, जमीन पर श्रम करने का अधिकार और जमीन को बटाई पर याने जोतने के लिए देने का अधिकार तथा जमीन को दान करने का अधिकार इत्यादि तमाम अधिकारों का समावेश होता है।

ये तमाम अधिकार सामंतशाही प्रथा की वजह से जमींदारों को मिले पर किसानों का नहीं। इस वर्ग में से ही जमीन रखने वाली प्रबल

उमरावशाही उद्भूत हुई और भारत के ग्रामीण समाज में उनकी जड़ें गहरे तक गईं। भारत में देश की स्वतंत्रता प्राप्ति तक यह सामंतशाही प्रथा प्रचिलत रही। सन् १९५० में देश की ४० प्र.श. भूमि पर यह प्रथा फैली हुई थी। इस प्रथा को दूर करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कानून द्वारा प्रयास किये गए और सन् ५० के दशक में उसके परिणामस्वरूप दो करोड़ किसानों का फायदा होने और जमीनें मिलने का अनुमान है। सामंतशाही जमींदारी प्रथा को समाप्त करने की इस प्रक्रिया को भूमि सुधार के रूप में जाना पहचाना गया है।

ऐसा लगता है कि गुजरात में इस प्राचीन सामंतशाही प्रथा को नए रूप में वापिस लाने के प्रयास गुजरात सरकार कर रही है। भूमि सुधार को आगे बढ़ाने की बात तो एक तरफ रही, पर जमीनों का केंद्रीकरण चंद लोगों के हाथ में हो, ऐसी संभावनाएं गुजरात सरकार राज्य की बंजर भूमि पट्टे पर देने के किए गए एक प्रस्ताव द्वारा से बढ़ गई हैं। गुजरात के सामाजिक-आर्थिक विकास पर इसका गहरा प्रभाव पड़ने की संभावनाएं हैं।

गुजरात सरकार का प्रस्ताव

गुजरात सरकार के राजस्व विभाग ने १७-५-२००५ को नं. जमन/३९०३/४५३/(पार्ट-१) का प्रस्ताव किया है। इस आदेश की वजह से राजस्व विभाग के दिनांक ९-८-१९९४ के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। इस प्रस्ताव का ब्यौरा निम्नानुसार है:

प्रस्तावना

गुजरात राज्य १८८८ लाख हैक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। इसमें से १८.६५ लाख हैक्टेयर भूमि में वन विस्तार है। २५.९९ लाख हैक्टेयर जमीन न जोतने योग्य बंजर भूमि है और १९.८४ लाख हैक्टेयर जमीन कृषि योग्य बंजर भूमि है। शेष जमीन अन्य वर्गीकरण की है। ऊपर लिखे अनुसार सरकारी बंजर भूमि के अधिकांश क्षेत्र को कृषि के अधीन लाने का उद्देश्य वर्तमान नीति

से पूर्ण नहीं होता। अतः भूमि व्यवस्था की आधुनिक टैक्नोलोजी का उपयोग करके विशाल क्षेत्र की भूमि बुवाई के अधीन लाने के प्रयोजन से बड़े औद्योगिक घरानों और व्यक्तिगत स्तर पर सक्षम किसानों को खेती, बागवानी और जैविक जलावन वृक्षों की बुवाई के उद्देश्य हेतु पट्टे पर देने की योजना बनाने की सरकार की सक्रिय विचारणा थी।

हेतु

- (१) आधुनिक टैक्नोलोजी का उपयोग करके राज्य की सरकारी बंजर भूमि के विशाल क्षेत्र को बुवाई के अधीन लाना।
- (२) बड़े उद्योगों और व्यक्तिगत स्तर पर सक्षम किसानों की टैक्नोलोजी का उपयोग करके उपर्युक्त भूमि को कृषि योग्य बनाने का प्रोत्साहन देना।
- (३) इस भूमि में कृषि के उपरांत बागवानी, जैविक जलावन वृक्षों के उपयोग को तीव्र करना, साथ ही उसी उपज के मूल्य वृद्धि आधारित प्रोजेक्ट को प्रोत्साहन देना।
- (४) कृषि मजदूरों और कुशल मजदूरों हेतु रोजगार के अवसर उत्पन्न करना।

योजना की रूपरेखा

- (१) व्याख्यायित हुए प्रमाण की भूमि संबंधित जिलों में निर्धारित करके, बड़े औद्योगिक घरानों और व्यक्तिगत स्तर पर सक्षम किसानों को लंबी अविध के पट्टे पर दी जाएगी। इस वर्ग में जोती न जाने वाली जमीन जैसे कि पहाड़ी, रेगिस्तानी आदि का समावेश है। ऐसी जमीन अलग-अलग अथवा खेती योग्य जमीन के बीच की होती है। परंतु ज्यादातर अधिक खर्च किये बिना ऐसी जमीन को कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता।
- (२) योजना निम्नलिखित विशेष अभिगमों का समावेश करने वाले प्रोजेक्ट पर आधारित होगी :
 - (अ) प्रोजेक्ट में जल व्यवस्था यथा लघु सिंचाई की आधुनिक टैक्नोलोजी वाली टपक या फव्वारा पद्धति या अन्य जल अनुस्रवण करने की होगी।
 - (आ) शहरी ठोस कचरे का खाद के रूप में उपयोग करने की आयोजना करना होगा।

तालिका १ गुजरात में जमीन का उपयोग : २०००-०१

क्रम	विवरण	हजार हैक्टेयर
₹.	जंगल	१८६५.३
٦.	बंजर और न जोती जाने लायक जमीन	२५९९.७
₹.	कृषि के अतिरिक्त उपयोग में लेने लायक जमी	न ११४१.९
٧.	कृषि लायक बंजर	१९८७.९
ч.	स्थायी गोचर व अन्य गोचर जमीन	८५०.७
ξ.	नन्हीं झाड़ियां आदि	8.0
७.	चालू बंजर	९१८.९
८.	उत्तम जोतने लायक क्षेत्र	8833.3
۶.	खाद्य उपज वाले क्षेत्र	४४१६.५
१०.	अखाद्य उपज वाले क्षेत्र	६०८०.५
<i>१</i> १.	खास फसल लायक क्षेत्र	१०४९७.०

टिप्पणी:

- जंगल वाले क्षेत्र में डांग जिले के जुताई वाले क्षेत्र का समावेश है।
 उत्तम जोतने लायक क्षेत्र में डांग जिले का समावेश नहीं है।
- स्रोतः सामाजिक-आर्थिक समीक्षा, गुजरात राज्य २००४-०५, फरवरी २००५
 - (इ) प्रोजेक्ट में स्थानीय मजदूर समाज की सुरक्षा का भरोसा दिलाने के साथ रोजगार उत्पन्न किया जाएगा।
- (३) संबंधित औद्योगिक घरानों और व्यक्तिगत स्तर पर सक्षम किसानों को आर्थिक कोष और आधुनिक टैक्नोलोजी की व्यवस्था करनी होगी।

प्रस्ताव

उपर्युक्त प्रस्तावना, हेतु और योजना की रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक घरानों और व्यक्तिगत स्तर पर सक्षम किसानों को उपर्युक्त भूमि निम्न शर्तों और पद्धित से आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है:

शर्ते

- (१) जमीन बीस वर्षों के भाड़े-पट्टे पर आवंटित की जाएगी।
- (२) प्रोजेक्ट और जमीन का महत्तम क्षेत्रफल २००० एकड़ रहेगा।
- (३) प्रोजेक्ट का अमल प्रथम पांच वर्ष की अविध में करना होगा।

3

	~
•	जका
	E

		गुजर	गृजरात में उपयो	गिता के अनुर	गर भूमि का	जिलेवार वर्ग	्राराता के अनुसार भूमि का जिलेवार वर्गीकरण (वर्ग कि.मी.)	के.मी.)		
जिले	जिले का नाम	भौगोलिक	व व	बिना खेती	बं जर	बिना	कृषि योग्य	ेडा प	्य च	कृषि योग्य
		क्षेत्र	क्षेत्र	की जमीन	उपयोगी	गोचर की	बंजर क्षेत्र	<u>ब</u> ंजर	बंजर के	उत्तम
					जमीन	जमीन		जमीन	सिवाय	जमीन
نه ا	अहमदबाद	ର୦ର'୨	2	9 X Y	೬ ೬୭	8ee	りをと	295	J W	4,230
si	अमरेली	5,650	े इस्	०४६	हु हु हु हु हु हु	888	w	<u>१</u> ०%	88	५,०१३
mi	बनासकांठा	१२,७०३	6,400	202	#% #%	w	70È	8,88%	ı	১৮০'০
×.	भरूच	250,9	8,886	8,00,8	988	888	00%	222	ı	४,२०२
خ	भावनगर	48,844	788	2%9	٩٧٥,४	% 09	ଚାଧ୍ୟ	258	× ×	8,20%
wi	डांग	%,७६%	१,०५६	2	0	0	0	0	0	0
ှ ခ	गांधीनगर	388,	o	26	w	≫ æ	%	9%	o	868
ا ا	जामनगर	h28'88	2,406	m m	४,६५३	% 99	758	೨०)	m W	4,4%
نه	जूनागढ़	१०,६०७	8,80g	e% h	380	४,४२२	888	8 8 8	o	984,4
%	केच्छ	४५,६५२	3,668	၀၀၅	\$0,508	000	१६,००६	× 25	o	୦୪୦'ର
<i>≈</i>	खेड़ा	×88'6	w or	かり	288	% 96	75	かの々	୭ <u>୪</u>	६६७'%
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	महे साणा	8,020	298	۵٠ ٢ ٣	8 %	めかか	868	7 8 8 8	>>	8,2,8
% %	पंचमहाल	7,758	2,888	09/2	१०६	×96	£&}	788	w	784,8
% %	राजकोट	१९,२०३	ठ ५ ६	E73	8,8%	750	४२४	०२७	w	০৮০'গ
÷	साबरकांठा	૦,૩૬,૭	5,366	୭୦%	ଷ୍ଟ	× × & & & & & & & & & & & & & & & & & &	१६%	985	<u>ඉ</u>	୭୭୦,୪
w:	सुरत	୭,୭,୭	६,४२३	767	689	285	008	224	0	४,२०२
	सुरेन्द्रनगर	४०,४८९	४०५	ই গ্	४,३२२	988	788	क्ठम	୦୭.୪	क, क, २०
22	वडोदरा	୭,७୧୪	೧०७	8 8 8	हे०हे	स्ट्र	६०१	758	~	५,४०५
8.	वलसाड	۶,۶۶۶	४,२४९	m m m	₩ %	26	255	926	0	200,8
घकु		४,९६,०२४	757,78	80,08	১६,७५७	८,४६३	४०५,१९	६७६,१	75%	१८,५६५

तालिका ३ गुजरात में जिलेवार बंजर जमीन

जिले	ा का नाम	भौगौलिक	कुल	भौगोलिक	बंजर	कुल बंजर	भौगोलिक
		क्षेत्र	बंजर	क्षेत्र के	वन	के सामने	क्षेत्र के
			जमीन	सामने	भूमि	वन भूमि	सामने बंजर
				बंजर जमीन		का प्रतिशत	वन क्षेत्र का
				का प्रतिशत			का प्रतिशत
		वर्ग किमी	वर्ग किमी	%	वर्ग किमी	%	%
१.	अहमदाबाद	८७०७	१०९९.५५	१२.६३	<i>ډ</i> ر.٥	٥.٥٧	90.08
٦.	अमरेली	६७६०	४९९.६२	9.39	७२.९४	१४.६०	१.०८
₹.	बनासकांठा	१२,७०३	२७४२.९६	२१.५९	५४६.९७	89.98	४.३१
٧.	भरूच	९०३८	७५५.४	८.३५	१११.१	०७.४१	१.२२
ч.	भावनगर	१११५५	१९६१.७७	१७.५९	३३.५६	१.७१	0.30
ξ.	डांग	१७६४	११४	१२.६९	११४	१००	६०४६
७.	गांधीनगर	६४९	५६.८९	8.88	o	o	o
८.	जामनगर	१४१२५	२८८३.५८	२०.४१	३५	१.२१	०.२५
۶.	जूनागढ	१०६०७	४१.१४१६	२९.६१	८६.७०४	१५.५२	४.३७
१०.	खेड़ा	७,१९४	५२६.९८	<i>چ</i> .و	२६.९४	५.११	०.३७
११.	महेसाणा	९०२७	६१८.८७	६.८४	o	o	o
१२.	पंचमहाल	८८६६	१३५६.०१	१५.३२	९८४.९८	७२.६४	89.88
१३.	राजकोट	११२०३	१९९६.४१	१७.८२	₹.00}	4.07	0.90
१४.	साबरकांठा	७३९०	१५२१.५५	२०.५९	४३१.५४	२८.३६	4.८४
१५.	सूरत	७६५७	१.४४७	९.५८	२५४.०	38.28	३.२०
१६.	सुरेन्द्रनगर	१०४८९	२६१३.७५	78.97	५५.७२	२.७३	०.५३
१७.	वडोदरा	७७९४	६१२.७	७.०६	३०८.३	५०.१३	३.९५
कुल		१४५२३६	२३२४५.३३	_	३५६४.३६	_	_

टिप्प्णी : ये आंकड़े गुजरात के १७ जिलों की कुल जमीन से संबंधित हैं, गुजरात की कुल जमीन संबंधी नहीं हैं। संदर्भ : नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, गांधीनगर कार्यालय, १९९५.

- (४) इस कार्य हेतु प्रति एकड ५०० रु. की राशि बिना ब्याज की धरोहर जमानत के रूप में ली जाएगी। गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन द्वारा नियोजन प्रमाण-पत्र मिलने पर ५० प्र.श. धरोहर राशि बिना ब्याज वापिस दी जाएगी।
- (५) इस पांच वर्ष की अविध में प्रोजेक्ट पर अमल नहीं होगा तो धरोहर राशि जब्त हो जाएगी और जमीन वापिस ले ली जाएगी।
- (६) जल-सिंचन के लिए आधुनिक लघु सिंचाई व्यवस्था अनिवार्यतया करनी होगी।
- (७) वार्षिक भाड़ा निम्नानुसार रहेगा।
 - (अ) प्रथम पांच वर्ष के लिए कुछ नहीं।
 - (ब) छः से दस वर्ष के लिए ४० रु. प्रति एकड़
 - (इ) ग्यारह से बीस वर्ष के लिए १०० रु. प्रति एकड़
 - (ई) आनुषंगिक प्रवृत्ति (उत्पादन की मूल्य वृद्धि विषयक प्रोजेक्ट) चालू होने के समय से किराये में ५० प्र.श. अधिक वसूली की जाएगी।
- (८) पट्टेदार को यह जमीन जमात पर रखने के लिए कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी। इसके लिए निम्नलिखित शर्तों का अनिवार्यतः पालन करना पड़ेगा:
 - (अ) भाड़े-पट्टे पर आवंटित जमीन को राष्ट्रीयकृत बैंकों, रिजर्व बैंक द्वारा मान्य अनुसूचित बैंकों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर मान्यता प्रदत्त वित्तीय संस्थाओं में ही जमानत पर रखा जा सकता है।
 - (आ) कर्ज पर ली गई राशि की १ प्र.श. राशि गिरवी शुल्क के रूप में कलेक्टर के पास जमा करानी होगी।
 - (इ) डिफाल्ट के मामले में ऋण वसूली में प्रथम क्रम राज्य सरकार का रहेगा।
- (९) इस नीति के अधीनस्थ पट्टेदार के प्रोजेक्ट में खेत-उत्पाद की आनुषंगिक प्रवृत्ति हेतु बिना खेती की स्वीकृति प्राप्त नहीं करनी होगी। पर निर्माण कार्य का प्लान सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराना होगा। यह जमीन मूल्यांकन-योग्य होगी।

प्रोजेक्ट स्वीकृत करने की पद्धति

मांगकर्ता को सम्पूर्ण विवरणयुक्त प्रोजेक्ट जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करना होगा। प्रोजेक्ट की छानबीन निम्नानुसार जिलास्तरीय प्राधिकार समिति करेगी:

- (१) संबंधित जिला कलेक्टर अध्यक्ष
- (२) प्रबंध निदेशक, गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज़ कार्पोरेशन और उनका प्रतिनिधि - सदस्य
- (३) कृषि निदेशक और उनका प्रतिनिधि सदस्य
- (४) संबंधित क्षेत्र के कृषि विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि- सदस्य

निम्नलिखित प्राधिकारी सिमिति राज्य सरकार की मंजूरी हेतु प्रोजेक्ट की अनुशंसा करेगी। इस सिमिति को अनुशंसा हेतु सारे अधिकार दिये गए हैं:

- (१) राजस्व मंत्री अध्यक्ष
- (२) कृषि मंत्री अध्यक्ष
- (३) मुख्य सचिव वित्त विभाग सदस्य
- (४) मुख्य सचिव राजस्व विभाग सदस्य
- (५) सचिव कृषि एवं सहकारिता विभाग सदस्य
- (६) प्रबंध निदेशक गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन सदस्य

प्रतिबंध

- (१) इस योजना के अधीन लाभ लेने वाले बड़े औद्योगिक घरानों को किसान का दर्जा नहीं मिलेगा।
- (२) इस योजना के अधीन लाभ लेने वाले बड़े औद्योगिक घराने इस पट्टे के आधार पर राज्य में किसी भी स्थान पर खेती की अन्य जमीन नहीं खरीद सकेंगे।
- (३) मुम्बई काश्तकार प्रशासिनक एवं कृषि भूमि अधिनियम १९४८ की धारा-८८ की व्यवस्था के अधीन रहते हुए इस योजना के अधीन पट्टेदार पट्टे से जमीन धारण करेगा।

पहले की नीतियां

इस प्रस्ताव में न जोतने योग्य बंजर भूमि का उल्लेख किया गया है और ऐसा बताया गया है कि यह जमीन २५.९९ लाख हैक्टेयर है। पुनः यह बताया गया है कि इस सरकारी बंजर भूमि के विशाल क्षेत्र को बुवाई के अधीन लाने का उद्देश्य अभी की नीतियों से पूरा नहीं हुआ। यह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ इसीलिए सरकार ने अब यह जमीन बड़े औद्योगिक घरानों का भाड़े-पट्टे पर देना तय किया है। सवाल यह है कि सरकार की यह नीति क्या थी और वह निष्फल क्यों हुई।

१९६५ से १९८४ तक गुजरात सरकार के राजस्व विभाग ने कुल नौ प्रस्ताव, परिपत्र या विज्ञिप्तियां प्रसारित की थीं। उसमें सरकारी बंजर भूमि को फलदार वृक्ष और पेड़ लगाने हेतु निपटारा करने की नीति अपनाई गई थी। इसके बाद बंजर भूमि विकास योजना के अनुसार ऐसी जमीन का उपयोग वृक्ष लगाने के लिए हो, इस तरह उसका निपटारा करने की नीति वाला प्रस्ताव १-१-१९८७ को राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने किया था।

इस प्रस्ताव में यह जमीन गुजरात ग्रामीण विकास निगम, वृक्ष उत्पाद, सहकारी समितियों, खेत-मजदूरों, भूमिहीन मजदूरों, सीमांत कृषकों, छोटे किसानों और स्थानीय लोगों की स्वैच्छिक संस्थाओं को देने हेतु प्रस्तावित की गई थी। साथ ही उसे सरकारी औद्योगिक उपक्रमों के अलावा जिन संयुक्त उपक्रमों में सरकार का बड़ा हिस्सा हो, को भी प्रस्तावित किया गया था। १९८७ के इस प्रस्ताव में जमीन का स्थायी स्तर पर निपटारा करने की बात नहीं थी परंतु १५ वर्षों के लिए भाड़े पट्टे पर देने का प्रस्ताव था।

इसके बाद राजस्व विभाग ने ९-८-१९९४ को एक प्रस्ताव पास किया था। उसमें न जोतने योग्य बंजर भूमि अनिवासी भारतीय कंपनियों, व्यक्तियों, सरकारी समितियों, कंपनियों और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों को २० वर्ष के भाडे-पट्टे पर देने का प्रस्ताव था।

इस प्रस्ताव में यह कहा गया था कि बंजर जमीन के विकास में बहुत अधिक पूंजी निवेश तथा औद्योगिक ढंग के संचालन की जरूरत पड़ती है। सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने इज़राइली की यात्रा के बाद यह प्रस्ताव पारित किया था। अतः प्रस्ताव में बताया गया था कि 'ऐसी बंजर जमीनों द्वारा इज़राइल टैक्नोलोजी और अन्य वैज्ञानिक पद्धितयों का उपयोग करके कपास जैसी नगदी फसल या सिंचित फसलों का उत्पादन किया जा सकेगा।' फिर उसमें यह भी लिखा गया कि 'ऐसा काम रोजगारोन्मुखी होने से रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होने पर गरीब लोगों, खेतीहर-मजदूरों आदि को रोजगार के अवसर मिलते रहेंगे।'

१९८७ और १९९४ के उपर्युक्त प्रस्तावों के बीच महत्त्वपूर्ण अंतर इस प्रकार हैं :

- (१) १९८७ के प्रस्ताव में फलदार वृक्ष और पेड़ उगाने के लिए ही जमीन आवंटित करना तय किया गया था, जबिक १९९४ के प्रस्ताव में फलदार वृक्ष और पेड़ उगाने के अलावा कपास व अन्य फसलों की बुवाई हेतु छूट दी गई थी।
- (२) १९८७ के प्रस्ताव में खेतीहर मजदूरों, लघु कृषकों, सीमांत किसानों, भूमिहीन मजदूरों आदि को जमीन देने का स्पष्ट उल्लेख देखने में नहीं आता। १९९४ के प्रस्ताव में 'व्यक्तियों' शब्द का उपयोग किन्हें जमीन आवंटित होगी, ऐसी सूची में अवश्य किया गया है परंतु ये 'व्यक्ति' कौन होंगे, ऐसा स्पष्ट नहीं किया गया है।
- (३) १९९४ के प्रस्ताव में इज़राइली टैक्नोलोजी या अन्य अन्य वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करके भूमि विकास की प्रवृत्तियां हाथ में लेने के इच्छुक तथा औषिधयां उगाने का काम करने के इच्छुक व्यक्तियों अथवा कंपिनयों को जमीन आवंटित की जा सकेगी, ऐसा व्यक्त किया गया है। यहां भूमि विकास की प्रवृत्तियों की कोई व्याख्या नहीं दी गई है।
- (४) १९८७ के प्रस्ताव में सरकारी औद्योगिक उद्यमों या संयुक्त उद्यमों को जमीन आवंटित करने की बात बताई गई थी। पर १९९४ में किसी भी स्वदेशी कंपनी या अनिवासी भारतीय की कंपनी को जमीन आवंटित करना निश्चित नहीं किया गया। इस तरह पहले सरकारी अथवा जिसमें सरकार भागीदार हो, ऐसी कंपनियों हेतु जमीन का आवंटन सीमित था, उस सीमा को १९९४ में हटा दिया गया।

क्रियान्वयन में निष्फलता

उपर्युक्त प्रस्तावों में व्यक्त नीतियां निष्फल रही हैं, इसका एक कारण यह है कि राज्य सरकार ने न जोतने योग्य बंजर जमीन का वितरण समाज के वंचित वर्गों को करने हेतु जो निर्णय १९८७ में किया था, उसका क्रियान्वयन निष्ठापूर्वक नहीं किया गया। न जोतने योग्य बंजर भूमि भी यदि समाज के वंचित वर्गों को दी जाए तो वे उसमे

खेती करके आमदनी कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं हुआ, यह एक सच्चाई है।

इस अलावा, १६-३-०५ के दिन राज्य सरकार के मुख्य सिचव श्री पी. के. लहरी ने राज्य के प्रत्येक जिले के कलेक्टर को जो एक पत्र लिखा था, उसमें भी इस प्रस्ताव की नीतियों का क्रियान्वयन करने की ताकीद की गई थी। इस पत्र का विवरण इस प्रकार है:

- (१) कलेक्टर जिला विकास अधिकारी और डी.आर.डी.ए. के निदेशक के साथ १-१-१९८७ के प्रस्ताव के अनुसार कार्यनीति बनायें।
- (२) गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले परिवारों के स्वयं-सहायता समूहों और उपयोग में लाने वाले समूहों को २००५-०६ में कम से कम ५००० हैक्टेयर जमीन का आवंटन किया जाए।
- (३) ग्राम विकास विभाग एसजीआरवाई और एसजीएसवाई जैसी योजनाओं के साथ जलस्राव आधारित योजनाओं का क्रियान्वयन करना चाहता है। इस जमीन पर उनका क्रियान्वयन हो और सबसे गरीब लोगों को इस जमीन का उत्पादन मिले।
- (४) जिला विकास अधिकारी और डीआरडीए के निदेशक के साथ मिल कर एक ब्यौरेवार सर्वेक्षण हाथ में लिया जाए।
- (५) सभी तहसीलों में ग्रामवार जमीन का आवंटन किया जाए और अप्रैल २००५ के अंत तक ऐसी जमीन की पहचान पूरी की जाए।
- (६) फिर स्वयं सहायता समूहों और उपयोग में लेने वाले समूहों का गठन किया जाए और उन्हें मई-जून-जुलाई माह के दौरान जमीन आवंटित की जाए।
- (७) यह प्रक्रिया अभियान के रूप में की जाए और प्रतिमाह ग्राम विकास विभाग के सचिव और राजस्व विभाग के मुख्य सचिव को उसका प्रगति प्रतिवेदन भेजा जाए।

उपर्युक्त पत्र के विवरण से ऐसा स्पष्ट होता है कि १-१-१९८७ के प्रस्ताव का क्रियान्वयन १८ वर्षों की अवधि के दौरान नहीं हुआ और मार्च, २००५ से जुलाई, २००५ के दौरान उसका क्रियान्वयन करने की ताकीद मुख्य सचिव ने कलेक्टरों से की है। परंतु जुलाई, २००५ पूरा हो, उसके ढाई माह पहले मई, २००५ में ही राजस्व विभाग नया प्रस्ताव करके कहता है कि पुरानी नीति विफल रही है।

स्पष्ट है कि सरकार पहले के प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु गंभीर ही नहीं है। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को जो पत्र लिखा है, उसका क्या परिणाम रहा, उसे देखने की सरकार ने जरूरत भी नहीं समझी और जल्दबाजी में ही बड़े औद्योगिक घरानों को भाड़े-पट्टे पर जमीन देने का निर्णय लिया है।

महत्त्वपूर्ण मुद्दे

(१) जमीन को खेती लायक बनाने हेतु किसान ही योग्य हैं

इस सम्पूर्ण योजना का उद्देश्य गुजरात राज्य में बुवाई के क्षेत्र को बढ़ाना है। बुवाई वाला क्षेत्र बढ़ता है तो उत्पादन बढ़ता है। यह उत्तम उद्देश्य है और वांछनीय है। पर इसके लिए बड़े औद्योगिक घरानों को ही बंजर जमीन देनी जरूरी है, ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा लघु व सीमांत किसानों या भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को यह जमीन जोतने के लिए दी जा सकती है। ऐसी धारणा गलत है कि जोती न सकने वाली परती जमीन को जोतने लायक बनाने का काम मात्र बड़े उद्योग ही कर सकते हैं। सदियों से बंजर जमीन को जोतने लायक बनाने का काम किसानों ने ही किया है।

(२) आधुनिक टैक्नोलोजी रोजगार नहीं देती

आधुनिक टैक्नोलोजी का उपयोग करने का विचार भी सरकार की इस नीति में रखा गया है। आधुनिक टैक्नोलोजी अर्थात् कैसी टेक्नोलोजी, यह स्पष्टीकरण इस प्रस्ताव में नहीं किया गया। न जोतने लायक बंजर जमीन को जोतने योग्य बनानी हो, तो उसमें आधुनिक टैक्नोलोजी का उपयोग करना होता है या बंजर जमीन खेती के लायक बने, उसके बाद में उसमें खेती करने के लिए आधुनिक टैक्नोलोजी का उपयोग करना है, यह बात भी इस प्रस्ताव में व्यक्त नहीं की गई। यदि खेती करने के लिए आध्निक टैक्नोलोजी का प्रयोग किया जाए, तो उसमें कितना रोजगार उभरता है, यह एक बड़ा प्रश्न है। कृषि क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण प्रश्न सिर्फ उत्पादन का नहीं, वरन् रोजगार का है, इस तथ्य को स्वीकार करने की जरूरत है। आधृनिक टैक्नोलोजी मनुष्यों के स्थान पर यंत्रों को स्थापित करती है, इसे नहीं भूलना चाहिए। हाल ही में कपास के डोडे निकालने के लिए मशीन का उपयोग शुरू हुआ है, जिससे सैंकड़ों, लोगों का रोजगार समाप्त हो गया, इसे कैसे भूल सकते हैं?

(३) आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण होगा

आधुनिक टैक्नोलोजी अत्यंत खर्चीली होती है और यह बड़े औद्योगिक घरानों को ही पोसाती है। अतः ऐसा लगता है कि इन दोनों का मेल बिठाने की बात राज्य सरकार ने सोची होगी। इसके परिणामस्वरूप खेती के क्षेत्र में भी आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण हो जाएगा, यह स्पष्ट दिखाई देता है।

(४) खेतीहर मजदूरों का क्या होगा?

इस योजना के उद्देश्य में लिखा गया है कि खेतीहर मजदूरों और कुशल मजदूरों और कुशल मजदूरों हेतु रोजगार के अवसर उत्पन्न किये जाएंगे। यदि खेती के क्षेत्र में आधुनिक टैक्नोलोजी का उपयोग किया जाएगा तो खेतीहर मजदूरों के लिए रोजगार उत्पन्न करने की कोई संभावना नहीं रहेगी। गुजरात में १९९१ में ३२ लाख खेतीहर मजदूर थे। २००१ में उनकी संख्या बढ़कर ५२ लाख हो गई। ये खेतीहर मजदूर ज्यादातर बेकार रहते हैं। अगर उन्हें रोजगार देना हो तो आधुनिक टैक्नोलोजी वह देने की स्थिति में नहीं है।

(५) किसानों में दो वर्ग निर्मित होंगे

योजना में ऐसा बताया गया है कि जमीन २० वर्ष के भाड़े-पट्टे पर दी जाएगी। परंतु सामान्यतया ऐसा होता है कि भाड़ा-पट्टा आगे की अविध के लिए मंजूर करा लिया जाता है। लंबी अविध की भाड़ा-पट्टे की जमीन मालिक की जमीन बन जाती है। यदि ऐसा हुआ तो गुजरात में एक तरफ अत्यंत बड़े किसान अथवा खेती करने वाली कंपनियां होंगी और दूसरी तरफ लघु किसान - ऐसे दो वर्ग स्पष्टतया बन जाएंगे।

(६) छोटे किसानों के लिए टिक पाना मुश्किल होगा

इस योजना के तहत ऐसा बताया गया है कि अधिक से अधिक २००० एकड़ न जोतने योग्य बंजर जमीन दी जाएगी। देश में ९२ प्र.श. किसानों के पास ५ एकड़ या उससे भी कम जमीन है। याने वे लघु और सीमांत किसान हैं। ऐसे लघु किसानों के सामने यदि २००० एकड़ जमीन वाले किसान आएंगे तो लघु किसान उनके सामने स्पर्धा में टिक नहीं सकेंगे। ऐसे में लघु व सीमांत किसानों की भी अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी, यह आशंका रहेगी। इससे साधनों

की खरीद, उत्पादन की प्रक्रिया और कृषि उत्पादन के विक्रय के बारे में नितांत असमान स्पर्धा होने की संभावना खडी होती है।

(७) कंपनियों के लिए ही व्यवस्था

सरकार ने प्रति एकड़ ५०० रु. की बिना ब्याज धरोहर राशि लेने का निश्चय किया है। यदि २००० एकड़ जमीन दी जाएगी तो १० लाख रु. की धरोहर राशि ली जाएगी। इतनी राशि दे पाना किसी भी लघु या सीमांत किसान के लिए संभव नहीं। कुछ बड़े किसानों के लिए भी यह राशि बहुत बड़ी है। इससे स्पष्ट है कि बड़े किसान और बड़े होंगे अथवा कंपनी किसानों का एक नया वर्ग खड़ा होगा।

फिर, सरकार ने २० वर्ष भाड़े-पट्टे में से १२ वर्ष की अविध हेतु किराया लेना भी तय किया है। यह राशि १४ लाख रुपये होती है। इस प्रकार कुल २४ लाख रु. देकर बंजर जमीन भाड़े-पट्टे लेना कुछ बड़े किसानों के लिए भी संभव नहीं होगा। यह तो कंपनियों को ही पोसायेगा।

(८) कंपनी खेती करेगी पर किसान नहीं कहलायेगी

इस योजना का लाभ लेने वाले बड़े औद्योगिक घरानों को किसान का दर्जा नहीं मिलेगा, ऐसा प्रस्ताव में कहा गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि खेती करने वाला किसान भी न होगा तो चलेगा। यह एक नया विचार इस प्रस्ताव से उभारा जा रहा है। इस प्रकार कंपनी किसानों का एक नया ही वर्ग गुजरात की कृषि में अस्तित्व में आएगा। वह खेती करेगा, पर किसान नहीं कहलायेगा। परंतु किसान के रूप में उन्हें प्रसिद्ध करके कंपनियों को लाभ देना राज्य सरकार द्वारा भविष्य में शुरू हो तो आश्चर्य नहीं!

(९) आमदनी कमाने का सरकार का इरादा

व्यक्तिगत सक्षम किसानों का उल्लेख इस बंजर जमीन को देने हेतु प्रस्ताव में बार-बार किया गया है। परंतु ऐसे कितने किसान होंगे जो भारी-भरकम राशि भरकर २००० एकड़ जमीन भाड़े-पट्टे पर ले! अर्थात सरकार का इरादा खेती का कंपनीकरण करने का है, यह स्पष्ट है। न जोतने योग्य बंजर जमीन गुजरात में लगभग १९५०१ वर्ग किमी होने का अनुमान है। यदि यह जमीन कंपनियों को वाकई भाड़े-पट्टे पर ही दी जाती है तो भी सरकार को २५००

9

करोड़ से ज्यादा आमदनी धरोहर और भाड़ा-पट्टे से हो सकती है। इस तरह सरकार बंजर जमीनें न बेचकर भी उन्हें बेचना चाहती है और जैसे-तैसे करके आमदनी कमाना चाहती है।

(१०) पुरानी नीति और नया स्वरूप

सरकारी बंजर जमीन कंपनियों को देने का विचार तो १९८७ के प्रस्ताव में भी देखने में आता है। परंतु उसमें सरकारी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों तक ही यह बात मर्यादित थी। फिर १९९४ के प्रस्ताव में सरकारी उद्यमों के अलावा निजी कंपनियों को भी और अनिवासी भारतीयों को कंपनियों को भी जमीन भाड़े-पट्टे पर देना स्वीकार किया गया। अब २००५ के प्रस्ताव में बड़े औद्योगिक घरानों को यह जमीन भाड़े-पट्टे पर देने का प्रस्ताव आया है। ये बड़े औद्योगिक घराने स्वदेशी भी हो सकते हैं और विदेशी भी। इस प्रकार, कंपनियों के लिए सरकारी न जोतने योग्य बंजर जमीन

मुक्त करने की नीति नयी नहीं, वरन् पुरानी है। मात्र इसमें स्वरूप ही बदला है।

(११) खेतीहर मजदूरों को जमीन क्यों नही दी जाती?

गुजरात में ५२ लाख खेतीहर मजदूर हैं और उनमें से ज्यादातर भूमिहीन ही हैं। उनको यह सरकारी बंजर जमीन देने के संबंध में सरकार सोचती ही नहीं और बड़े औद्योगिक घरानों को ये जमीनें देने के संबंध में क्यों सोचती है?

राज्य सरकार को वस्तुतः भूमिहीनों को जमीन देकर उन्हें जमीन का मालिक बनाना चाहिए और उनकी आय बढ़ाने हेतु उन्हें खेती संबंधी तमाम संसाधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए। उदाहरणार्थ कच्छ जिले में ३,४८,१७९ हैक्टेयर जोतने योग्य जमीन है और १,०६,४८० भूमिहीन खेतीहर मजदूर हैं। तो क्या इन लोगों को जमीनें नहीं दी जा सकती?

पृष्ठ 22 का शेष भाग

- (४) राज्य वित्त आयोग की रचना को मात्र संवैधानिक विधि समझने के बजाय उसमें प्रखर व सक्षम व्यक्तियों की नियुक्ति होनी चाहिए। वित्त आयोग में यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि व्यक्ति कम से कम पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था के बारे में निष्णात हो और दूसरा एक व्यक्ति पालिकाओं की वित्तीय व्यवस्था के विषय में निष्णात हो। आयोग के सभी सदस्य और अध्यक्ष पूर्णकालिक हों। राज्य सरकारों को यथासंभव वित्त आयोग का पुनर्गठन करना टालना चाहिए।
- (५) नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (केग) द्वारा सूचित ढांचे में यदि स्थानीय संस्थाओं के बारे में सूचना आयोग को मिले तो वे उनके आय-व्यय का विश्लेषण कर सकते हैं। इसके लिए

- राज्य वित्त आयोग का एक स्थायी विभाग बनाना चाहिए। इस विभाग का प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी होना चाहिए और उसे ही राज्य वित्त आयोग के गठन के समय आयोग का सचिव बनाना चाहिए।
- (६) केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा किसी भी राज्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें करने के लिए केन्द्रीय वित्त आयोग के गठन के समय को ध्यान में रखकर प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। जिस समय केन्द्रीय वित्त आयोग नियुक्त हो उसी समय राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन उसे प्राप्त हों, यह उसके द्वारा की जाने वाली अनुशंसाओं हेतु जरूरी है।

पृष्ठ 12 का शेष भाग

और ऐसा विरोध करने वाले अमेरिका, ईरान, इज़रायल और जिम्बाबवे की पंक्ति में बैठना चाहिए? ये तमाम हमारे वर्तमान समय के जटिल व सबसे जुड़े हुए महत्त्वपूर्ण प्रश्न हैं। यदि वैश्विक लोकतंत्र विकसित नहीं होगा तो भारतीय लोकतंत्र लंबी अविध तक अपना अस्तित्व बनाये नहीं रह सकेगा, इस बात को हमें

भलीभांति समझ लेने की जरूरत है। वास्तव में, राष्ट्रीय स्तर का लोकतांत्रिक शासन स्थानीय लोकतांत्रिक शासन की मजबूत जड़ों पर आधारित रहता है और वैश्विक लोकतांत्रिक शासन के समर्थन रूपी छत्र पर वह आधारित रहता है। क्या अब भारतीय राज्य के नेता वैश्विक लोकतंत्र के समर्थन में कार्य करेंगे?

वैश्विक लोकतंत्र और भारतीय राज्य

भारत एक लोकतांत्रिक देश है और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पिछले ५८ वर्षों के दौरान भारत ने लोकतंत्र को प्राणवान और जीवंत रखा है, यह एक बड़ी उपलब्धि है। भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र को स्थापित एवं विकसित करने की दिशा में चिंतित नहीं लगता, ऐसा हाल की कई घटनाएं सूचित करती हैं। इस लघु लेख में 'प्रिया' के निदेशक श्री राजेश टंडन द्वारा इसका विश्लेषण किया गया है। उनका सुझाव है कि भारत सरकार को अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतंत्र मजबूत करने के लिए सिक्रय होना चाहिए।

भारतीय लोकतंत्र

पांच दशकों की अल्प अवधि में भारत की लोकशाही उल्लेखनीय रूप से स्थिर हो गई है और इसकी जड़ें गहरी चली गई हैं। भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की आधारभूत संस्थाएँ खड़ी हो गई हैं और वे भली-भांति सुदृढ़ है, साथ ही किसी भी तरह के आघात को झेलने जैसी हैं। चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संसद आदि राज्य की औपचारिक प्रणालियां हैं। ये औपचारिक संस्थाएँ लोकतंत्र का स्थायित्व एवं मजबूती देने हेत् जरूरी होती हैं।

इन संस्थाओं की सूची बहुत लंबी हो सकती है। इन जैसी बहुत सी संस्थाएं सभी राज्यों में भी हैं। स्थानीय स्वशासी संस्थाओं अर्थात पंचायतों एवं पालिकाओं हेतु संवैधानिक व्यवस्थाएं होने से तो अब ये अधिक मजबूत बन गई हैं। साथ ही मीडिया, सभ्य समाज के विविध स्वरूप, विद्वद्जन, नागिरकों की समितियां और सामाजिक आंदोलन काफी स्वतंत्रता और मुक्तता के साथ काम करते हैं, जिससे जन प्रतिनिधि, सार्वजिनक कर्मचारी और देश को चलाने हेतु जिम्मेदार लोग उत्तरदायित्व के साथ काम करें और लोगों की सहमित के साथ काम करें। वैसे, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में अधिकांश राजनीतिक दल वांछित रूप से काम नहीं करते।

इस प्रकार, हमारे आसपास की दुनिया, विशेष रूप से अनेक विकासमान देश अपने राष्ट्रों, उपखंडों व प्रदेशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था उत्पन्न करने और उसे पनपाने हेत् भारत की तरफ सहयोग व मार्गदर्शन की अपेक्षा से देखते हैं। वैश्विक लोकतंत्र के संदर्भ में तो यह अपेक्षा और ज्यादा व्यक्त होती है। हाल के वर्षों में एकपक्षीयता (यूनिलेटरलिज्म) और फौजी वर्चस्व बढ़ा है, ऐसे में वैश्विक शासन की अनेक संस्थाएं चारों तरफ से घिर गई हैं। सितंबर २००३ में मैक्सिको में 'विश्व व्यापार संगठन' (डब्ल्यु.टी.ओ.) की कोन्कुन में मंत्रि परिषद में जी-२० (दुनिया के २० गरीब देशों का समृह जिसमें भारत भी एक सदस्य है) की आवाज को अमेरिका व यूरोपीय संघ को सुनना पड़ा। भारत, दक्षिणी अफ्रीका और ब्राजील के नेतृत्व तले पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध के गरीब देशों की एक नयी ही धुरी आकार ले रही है। चीन और भारत की आर्थिक ताकत अब विश्व के व्यापार में और अर्थतंत्र में बढ़ रही है, जिससे विश्व-सत्ता की स्थापित असमानता में परिवर्तन आ रहे हैं। ये सारी घटनाएं वाकई स्वागत योग्य हैं।

वैश्विक शासन

इसके बावजूद, वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार के अनेक निवेदन और विशेष रूप से १९४५ में स्थापित 'संयुक्त राष्ट्र संघ' (यू.एन.ओ.) की व्यवस्थाओं में सुधार के अनुरोधों का भविष्य अनिश्चित हो चुका है। 'संयुक्त राष्ट्र' के महामंत्री ने गत वर्ष मार्च माह में प्रस्तुत निवेदनों में से अनेक सुधार संबंधी अनुरोधों का एक कोने में डाल दिया गया है। 'सुरक्षा परिषद' में सुधार इसी का एक उल्लेखनीय उदाहरण है।

सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार अमेरिका, यूके, फ्रांस, रूस व चीन के पास है। यह एक सबसे बड़ी अलोकतांत्रिक व्यवस्था है। यह यों दर्शाता है कि कुछ देश दूसरे देशों की बजाय ज्यादा उच्च हैं। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पाने के लिए अन्य कई देशों ने लंबे समय से प्रयास किया है। उनमें भारत, ब्राजील, जापान व

जर्मनी सम्मिलित हैं। पर इन्होंने इस वीटो के अधिकार को ही चुनौती नहीं दी बल्कि वे इन पांचों की टोली में ही सम्मिलित होना चाहते हैं। इन्हें ऐसी आशा है कि वे थोड़े समय बाद इस विशिष्ट मजबूत टोली के सदस्य बन जाएंगे। वास्तव में, भारत को वीटो के अधिकार वाली अलोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करने की मांग करनी चाहिए थी। भारत को फ्रांस, यूके और अमेरिका को वैश्विक राजनीति में से इस वीटो को समाप्त करने हेतु चुनौती देनी चाहिए थी, क्योंकि वे अपनें आंतरिक लोकतंत्र में ऐसा वीटो का अधिकार कहीं कोई छोटी-मोटी व्यवस्था में नहीं रख रहे थे। ये तीनों देश तो लोकतंत्र के पुरस्कर्ता रहे हैं। इस तरह, घर-आंगन में दुनिया के धनवान देश ऐसे लोकतंत्र के पुरस्कर्ता विश्व स्तर पर लोकतंत्र के दुश्मन बन गए हैं, यह एक वास्तविकता है।

बिल्कुल इसी तरह जी-८ क्लब (अमेरिका, कनाडा, इटली, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी व रूस) अब दुनिया भर के राजनैतिक नेताओं के लिए नया मक्का बन गया है। विश्व के तथाकथित धनवान और शक्तिशाली देशों की यह एक अनौपचारिक संस्था है। वैसे देखें तो एक संस्था के रूप में उसकी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई वैधता नहीं। वास्तव में, जी-८ क्लब के कई सदस्य तो 'संयुक्त राष्ट्र संघ' की व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और अन्य संधियों व प्रस्तावों द्वारा निर्मित वैश्विक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और कान्नी शासन की उपेक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। ईराक युद्ध, क्योटो प्रोटोकोल और गुआंटानामां बेनी जेल को ही देख लें.. इस वर्ष जी-८ की बैठक में स्काटलैंड में ग्लेनिगल्स में अफ्रीका के विकास और जलवायू परिवर्तन के बारे में चर्चा हुई थी। इसके अलावा महत्त्व की बात यह थी कि उसमें कई अन्य राजनीतिक नेताओं को भी जी-८ के इतिहास में पहली बार निमंत्रण भेजे गए थे। उसमें चीन, मैक्सिको, ब्राजील और भारत के नेताओं का समावेश होता है। हमारे मानवीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह उसमें उपस्थित हुए थे। उस समय क्या भारत को ऐसा सुझाव नहीं देना चाहिए था कि तमाम देशों और विशेष रूप से जी-८ द्वारा वायु प्रदूषण फैलाने वाले प्रदूषकों का उपयोग कम करने हेतु दायित्व बोध कराने वाले क्योटो प्रोटोकोल का क्रियान्वयन होना चाहिए? क्या भारत को ऐसा सुझाव नहीं देना चाहिए कि 'संयुक्त राष्ट्र संघ' की साधारण सभा और विश्व बैंक जैसी वैश्विक संस्थाओं में लोकतांत्रिक शासन के नियमों व कार्यवाहियों को जी-८ द्वारा सम्मान देना चाहिए?

वैश्विक स्तर पर भारत की पहल की जरूरत

अंत में, भारत को परिषदें गठित करने और अभिव्यक्ति की आजादी के समर्थन में दुनिया के देशों में एक आदर्श देश के रूप में माना जाता है। भारतीय लोकतंत्र ने नागरिकों की आवाज सुनने को प्रोत्साहन दिया है और राज्य की संस्थाओं ने इस दिशा में कदम उठाये हैं। स्वैच्छिक संस्थाओं के अनेक विशेषज्ञों और पेशेवरों ने भारत में केन्द्र व राज्य सरकारों की विविध सलाहकार समितियों में नियमित रूप से सेवा दी है और दे रहे हैं। इस तरह राज्य और सभ्य समाज के बीच सहयोग स्थापित हुआ है। केन्द्र व राज्य सरकारें उनके अनेक कार्यक्रमों और योजनाओं के क्रियान्वयन हेत् हमेशा गैर-सरकारी संगठनों की तरफ दृष्टि दौडाती रही हैं।

ऐसा सहयोग राज्य को अधिक उत्तरदायी और पारदर्शी बनाने में अत्यंत उपयोगी रहता है। वास्तव में यूपीए की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय सलाहकार सिमित गठित हुई है, वह भारत में राज्य और नागिरक नेताओं के बीच ऐसे सहयोग का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। परंतु जब वैश्विक राजनीति की बात आती है तब भारत सरकार अपनी ऐसी लोकतंत्र की पोषक व सम्वर्धक आंतरिक नीतियों और अभिवृत्तियों से नितांत विरुद्ध व्यवहार करती है। आश्चर्यजनक बात यह है कि गत वर्ष सितंबर में 'संयुक्त राष्ट्र' के महामंत्री ने कोर्दोसो पैनल का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, तब साधारण सभा में से भारत के प्रतिनिधि ने 'संयुक्त राष्ट्र' में सभ्य समाज और स्थानीय सरकारों की भूमिका के विरुद्ध अपनी प्रस्तुति दी थी।

अब सितंबर माह में 'संयुक्त राष्ट्र संघ' में सुधारों के विषय में साधारण सभा में चर्चा होनी है। इससे पूर्व २३-२४ जून २००५ के दरमियान इस साधारण सभा में सभ्य समाज की सुनवाई आयोजित की गई है। क्या भारत को 'संयुक्त राष्ट्र' में वांछित सुधारों को समर्थन देना चाहिए? उसमें सांसदों, मजदूर संगठनों और नागरिक संगठनों की आवाज पहुँचाने जैसे सुधारों का समर्थन नहीं देना चाहिए? या फिर भारत को इन सुधारों का विरोध करना चाहिए

शेष पृष्ठ 10 पर

जमीन सम्बंधी सरकारी नीति वंचितों हेतु हानिकारक

हाल ही में गुजरात सरकार ने राज्य की परती जमीनें जोतने के लिए सक्षम किसानों व कंपनियों को देने का निर्णय लिया है। दूसरी और राज्य में वंचितों के पास जमीनें नहीं हैं। यहां सरकार का यह निर्णय कितना अनुचित है, इसे व्यक्त करने हेतु विविध मंतव्य प्रस्तुत किए गए हैं।

श्री दिनेश परमार बिहेवियेरल साइंस सेंटर, अहमदाबाद

हमारे देश में स्वतंत्रता आई, देश का नागरिक स्वतंत्र हुआ परंतु उसकी वास्तिवक स्वतंत्रता के लिए रोटी, कपड़े, मकान जैसी बुनियादी व प्राथमिक जरूरतें देश के बहुत बड़े वर्ग के पास न उस समय थी और न वर्तमान में पूरी हुई हैं। अनेक विवेचक, अर्थशास्त्री व बुद्धीजीवी इस दयनीय परिस्थिति का वर्णन अलग-अलग स्वरूप में करते हैं। उदाहरणार्थ देश में जनसंख्या वृद्धि हुई, देश के प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हुआ, मर्यादित औद्योगिकरण और खेती की दुईशा आदि।

परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के समय और उसके बाद तमाम दलों और तमाम संयुक्त सरकारों ने भी गरीबी के कारणों और उपायों को तलाशने व समाधान करने की कोशिश की है। पर उसमें कहाँ तक तक सफलता मिली है? डॉ. अम्बेडकर जैसों ने भारत में जातिप्रथा पर आधारित समाज व्यवस्था को जिम्मेदार माना है तो अनेक समाजवादियों ने अमीरी व गरीबी हेतु आमदनी के स्रोतों के समान विभाजन की बात की है।

आजादी के इतने वर्ष बीतने के बावजूद गरीब लोग लगभग वहीं के वहीं रहे हैं। आघातजनक बात यह है कि ऊपर से सरकारी नीतियां ऐसी बनती रही हैं, जो गरीब को और गरीब बनाती जा रही हैं। उनके हाल के कारणों में कई उदारीकरण की नीति को जिम्मेदार मानते हैं। हमारे देश गांवों से बना और कृषि प्रधान देश है। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक ही है कि गांवों में निवास करने वाला वर्ग जमीन पर निर्भर रहे।

देश में जमीन पर निर्वाह करने वाले वर्ग में भी बड़े स्तर पर दो प्रकार देखने को मिलते हैं: जमीन के मालिक और उनके मजदूर। भूमि विहीन लोगों को जमीनें देने के अलग-अलग कानून बने हैं, परंतु अनुभव बताता है कि कानूनों में अनेकानेक बचाव के रास्तों ने गरीबों को जमीनों के टुकड़ों का सुख नहीं लेने दिया। इस लेख में जमीन प्राप्त करने की प्रक्रिया कितनी कठिन है, उसके अनुभव की बात तथा हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा उद्योग घरानों को जमीनें देने के निर्णय की बात शामिल है। इस तरह से जमीनें दिये जाने से गरीबों को क्या मिलेगा, इसकी चर्चा यहां की गई है।

सरकारी बंजर जमीन की आवंटन नीति

सरकारी न जोतने लायक बंजर जमीन बड़े उद्योगों व सक्षम किसानों को भाड़े-पट्टे पर देने की योजना विषयक सरकारी प्रस्ताव १७-५-२००५ को प्रकाशित हुआ। इस योजना का वर्तमान समाचार पत्रों में प्रथम विज्ञापन प्रकाशित हुआ, तब से अब तक इस बारे में विविध मंतव्य व्यक्त होते रहे हैं। परंतु उनमें से उद्भूत होने वाले मुद्दों के बारे में प्रामाणिक स्पष्टीकरण के अभाव में सब अपने-अपने मतानुसार इस योजना का मूल्यांकन करते रहते हैं यह भी एक हकीकत है।

योजना की विसंगतियां

योजना के मुख्य विवरणों को देखते हुए उसमें पहली नजर में कई अपूर्णताएं और विसंगतियां दिखाई देती हैं:

(१) आवंटित करने वाली जमीन 'न जोतने योग्य पहाड़ी या रेतीली' हो तो उसमें टपक सिंचाई समेत लघु सिंचाई व्यवस्था को अनिवार्य करने की व्यवस्था कैसे की जाएगी? 'न जोतने योग्य' जमीन को जोतने के लिए देना, क्या एक विरोधाभास नहीं है?

- (२) जिलेवार ऐसी आवंटन-लायक जमीनों को चिन्हित करके उनको विज्ञापित किये बिना कौनसी जमीन आवंटित करनी है, इसकी जानकारी मांगने वालों को कैसे मिलेगी?
- (३) जमीन का आवंटन सिर्फ बड़े उद्योगों घरानों और सक्षम अलग-अलग किसानों को करना है। इन लोगों का चयन करने की पद्धति और पात्रता के मापदंड क्या हैं?
- (४) भाड़ा-पट्टा पूरा होने के बाद बीस वर्ष पश्चात् जमीन की स्थिति क्या रहेगी? संबंधित व्यक्ति या उद्योग घराने यह जमीन स्वामित्व के स्तर पर दी जाएगी, वापिस ली जाएगी या अधिक लंबी अविध के लिए भाड़े-पट्टे पर दी जाएगी?
- (५) मात्र दो श्रेणी के लोगों को जमीन आवंटित करना और उनके अलावा भूमिहीन कृषि-मजदूरों, लघु किसानों, सीमांत किसानों आदि को अथवा किसान न हों, ऐसे सक्षम अलग-अलग लोगों को जमीन आवंटित करने से वंचित रखना क्या संवैधानिक रूप से भेदभावयुक्त नहीं है? क्या वह समान अवसर देने की संवैधानिक व्यवस्था के उल्लंघन के समान नहीं होगा?
- (६) प्रोजेक्ट की स्वीकृति की प्रक्रिया में किसी भी तरह की नीति-नियमों की स्पष्टता नहीं की गई। मात्र अधिकारी स्तर पर निर्णय का सर्वाधिकार केंद्रित होने पर क्या भ्रष्टाचार और अपनों-परायों की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा?
- (७) स्वाधीनता प्राप्ति के बाद जमींदारी, जागीरदारी और मूलभूत रूप से खेती न करने वाले जमींदारों को समाप्त करके भूमिहीनों को कुटुम्ब क्षेत्र-योग्य भूमि-सुधार कानूनों द्वारा समग्र भारत में खेती की जमीनों का विकेंद्रीकरण करने की नीति अपनाई गई है। प्रस्तुत योजना द्वारा खेती की जमीनों के केंद्रीकरण की ओर बढ़ने से क्या पीठ दिखाकर भागने जैसी परिस्थिति गुजरात में निर्मित नहीं हो जाएगी?

राज्य सरकार द्वारा विज्ञापित यह नीति किसी लोकतांत्रिक संस्था या सार्वजिनक नेताओं, निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किये बिना लिया गया यह कदम राज्य की सामाजिक व आर्थिक दशा को छिन्न-भिन्न कर डालेगा, ऐसी त्रासद आशंका खड़ी हो गई है। दिलत व अल्पसंख्यक आयोग के पिछड़े लोगों द्वारा बार-बार मांग किये जाने के बावजूद कृषि हेतु जमीन का आवंटन नहीं होता और अब कोर्पोरेट जगत को दी जाएगी, यह कहां का न्याय है?

देश में विगत ५० वर्षों में हुए विकास की अगणित संख्यात्मक सूचनाओं के बीच इस सुजलाम-सुफलाम धरती का गरीब किसान रोज देश भर में कहीं न कहीं आत्महत्या कर रहा है। कहीं सरकार उस पर गोली चला रही है तो कहीं उसे 'नक्सली' कह कर उसका 'एन्काउंटर' हो रहा है।

जमीन हदबंदी विषयक बनासकांठा की परिस्थिति

गुजरात की १९६० में स्थापना होने के बाद गुजरात सरकार ने १९६१ के कानून के अनुसार समग्र राज्य की भूमि के नौ क्षेत्र और चार प्रकार बनाकर उनमें भूमि-स्वामित्व की हदबंदी सुनिश्चित की थी। उस कानून के अनुसार जमीन के प्रकार व क्षेत्र के अनुसार जमीन का स्वामित्व अधिकतम १० एकड़ से लेकर ५४ एकड़ प्रस्तावित किया गया था। जिस जमीन मालिक के पास सुनिश्चित की गई हदबंदी से अधिक जमीन हो तो उस जमीन को सरकार आवश्यकता से अधिक मानकर भूमि विहीन खेतीहर मजदूरों को आवंटित कर देती थी।

बनासकांठा जिले में वाव, थराद, धानेरा, दियोदर आदि हदबंदी के क्षेत्र के रूप में नवें स्थान में आते हैं। यहा हदबंदी ५४ एकड़ तय की हुई है। इस क्षेत्र में 'बनासकांठा जिला दिलत संगठन' द्वारा दिलतों-वंचितों के मानवीय अधिकार प्राप्ति का संघर्ष होता रहा है। संगठन वंचितों की आजीविका समान भूमि के मुद्दे को आगे लेने हेतु नक्की करता है और इसके लिए सभी प्रकार के बुनियादी काम करता है। संगठन की तीन वर्ष की कोशिश के बाद हदबंदी में सरकार को जमीन मिली है, ऐसी जानकारी संगठन को वाव, थराद और धानेरा से प्राप्त हुई। उसके आधार पर दिलतों के मध्य काम करने वाले इस संगठन के द्वारा विगत एक वर्ष से यह जमीन दिलतों और अन्य वंचितों को आवंटित करने के प्रयास इन तीन तहसीलों में किये गए।

सूचना एकत्रित करने की पद्धति

(१) सर्वप्रथम संस्था द्वारा तीनों तहसील में से तहसीलदार कार्यालय

- में भूमि-हदबंदी कानून के तहत प्राप्त जमीन के लाभार्थियों के रजिस्टर प्राप्त किये गए।
- (२) प्रत्येक गांव में व्यक्तिगत सम्पर्क करके जिन लोगों को हदबंदी में प्राप्त जमीन का कब्जा नहीं मिला, ऐसे लोगों के फार्म भरवाये गए। इस सर्वे के दौरान जो जानकारी प्राप्त हुई उसे साथ की तालिका में प्रस्तुत किया गया।
- (३) प्रत्येक गांव में भूमि आंदोलन के अंतर्गत भूमि प्राप्ति संबंधी जागरूकता विषयक मीटिंगें की गईं।
- (४) हदबंदी में प्राप्त जमीन का कब्जा जिन लाभार्थियों को नहीं मिला उनकी तहसीलवार मीटिंगें की गई और भूमि आंदोलन हेत् अनौपचारिक तंत्र बनाए गए।
- (५) तीनों तहसीलों के लिए भूमि अधिकार रक्षा समिति बनाने को कोशिशों तैयार करके व सूचनाएं तैयार करके आवेदन-पत्र दिये गए।

जमीन हदबदी विषयक प्रश्न

संगठन के द्वारा हदबंदी की जमीन के अंतर्गत आवंटित जमीन लाभार्थी के नाम सरकारी खातों में होने पर भी उनके निम्नालिखित प्रश्न हल नहीं हुए:

- (१) भूमिहीन परिवार को जमीन आवंटित की गई हो, पर जमीन का कब्जा नहीं सौंपा गया।
- (२) भूमि सुधार हेतु सहायता नहीं मिली हो।
- (३) जमीन को मापा नहीं गया हो।
- (४) राजस्व स्वीकार नहीं किया गया हो।
- (५) पटवारी पानी-पत्रक नहीं भरता हो।
- (६) भूमिहीन मजदूरों को सरकार द्वारा बटाई की प्रदत्त जमीन और सरकारी रेकार्ड पर दर्ज जमीन के सर्वे नंबर अलग-अलग हों।
- (७) ७-१२ का विवरण, आठ (अ) और अधिकार पत्रक नं. ६ न मिलते हों।
- (८) ताकतवार गैर-दिलत लाभार्थी से जबरन समझौता लिखवा ले।
- (९) राज्य के प्रशासनिक तंत्र के साथ साठ-गांठ रखने वाले लोग लाभार्थी के नाम का नकली सहमति पत्र प्रस्तुत करके उसे जमीन से वंचित रखते हों।

- (१०) लाभार्थी को यह पता तक न हो कि उसे जमीन कहां दी गई है।
- (११) कई जमीनें अन्य लोगों को बांट दी गई हों।
- (१२) हदबंदी में जमीनें गंवा देने वाले पुराने मालिकों में से ज्यादातर लोगों ने सरकार के खिलाफ दावा दाखिल किया है। पर अभी उसका कोई फैसला नहीं हुआ।
- (१३) शर्त भंग हुई हो।

जमीन का अधिकार प्राप्त न कर सकने के पीछे निहित कारण दिलतों और वंचितों द्वारा अपनी जमीनें प्राप्त नहीं करने के कारण निम्नानुसार हैं:

- (१) पटवारी द्वारा गलत सूचना दी जाती हो।
- (२) जमीन लेने से गांव के निवासियों के साथ झगड़ा होने का भय।
- (३) स्वयं को प्राप्त जमीन के अधिकार से अज्ञान।
- (४) गुंडे लोगों का जमीन पर कब्जा और जमीन लेने जाएं तो अत्याचार का शिकार बनना पड़े।
- (५) असिंचित जमीन होने से भी लोगों में थोड़ी बहुत जमीन प्राप्त करने के प्रति अरुचि।
- (६) व्यक्तिगत स्तर पर जमीन अकेले प्राप्त कर पाने के आत्मविश्वास का अभाव।

संगठन के द्वारा प्रत्येक तहसील में मीटिंग बुलाई गई। उसमें प्रत्येक लाभार्थी से ७/१२, ८-अ और ६ अधिकार पत्रक, खाताबही मंगवाई गई। प्राप्त दस्तावेजों में से कुल लाभार्थियों में से ५२ लाभार्थियों के दस्तावेजों के बारे में सूचनाएं प्राप्त कीं। उनमें से ४२ लोगों के नाम पर जमीन देखने को मिलती है। १० लोगों की जमीन की शर्त-भंग हुई है। इस तरह लोगों को जमीन प्राप्त करने में तकनीकी समस्या पेश आती है।

वाव, थराद और धानेरा तहसील में लोगों के साथ सतत सम्पर्क और आंदोलन में २६७ लोग तैयार किये जा सके हैं। इनके अलावा ५० से ६० लाभार्थी ऐसे हैं, जिनके नाम पर सरकारी रेकार्ड में कब्जा बोलता है, पर उपभोग नहीं कर सकते। परंतु लाभार्थी द्वारा संगठन को किसी न किसी रूप से सूचना न देने के कारण सूचना इनमें शामिल नहीं की गई।

संगठन की मागे

जमीन प्राप्त करने हेतु संगठन के द्वारा सरकार के समक्ष पेश की गईं मांगें निम्नानुसार हैं:

- (१) जिन जमीनों के प्रत्यक्ष कब्जे नहीं दिये गए, उनकी घोषणा के बाद समिति के प्रतिनिधि की उपस्थिति में जमीन खातेदार को सौंपी जाए।
- (२) दिलतों पर किये जाने वाले अत्याचार गंभीर हैं। गुजरात सरकार द्वारा बनासकांठा जिले को संवेदनशील घोषित किया जाए।
- (३) जमीन की प्रश्न मिल्कियत से संबंधित होने के कारण दिलतों पर अत्याचार का यह मुख्य कारण जमीन रहा है। जब कब्जा सौंपा जाए तब अत्याचार न हो तथा कनून व व्यवस्था के सवाल खड़े न हों, इनकी पर्याप्त व्यवस्था पहले से की जाए।
 - (अ) जमीन पर जिसका कब्जा है उसकी अत्याचार धारा की विशिष्ट व्यवस्थाएं यथा धारा-७ की व्यवस्था के आधार पर उनकी पक्की जमानत ली जाए।
 - (आ) संवेदनशील गांवों में पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था की जाए।
- (४) जहां जमीन को मापने का सवाल है वहां युद्ध स्तर पर मापने का काम पूरा हो।
- (५) भूमिहीनों को सौंपी जाने वाली जमीन से कब्जा तत्काल दूर किया जाए।

- ६) जमीन संबंधी रेकार्ड में अनियमितताएं हों तो सुधार-संशोधन किये जाएं और खातेबही तत्काल पूरे किये जाएं।
- (७) ऐसा किया जाए कि शरत-भंग हुई जमीन वापिस लाभार्थी को मिले।

उपसंहार

'बनासकांठा जिला दिलत संगठन' द्वारा हदबंदी के अधीन प्राप्त जमीनें वंचितों को मिले, इस दिशा में कोशिशों इस तरह चल रही हैं। अभी उसे उसमें पर्याप्त सफलता नहीं मिली, वहां गुजरात सरकार द्वारा १७-५-२००५ के प्रस्ताव से 'आधुनिक टैक्नोलोजी के उपयोग से सरकारी बंजर जमीन को खेती लायक बनवाने' की जो नीति अपनाई गई है, उससे उसके फल वंचितों को मिलने वाले नहीं हैं।

गांव की सीमा में फालतू पड़ी सरकारी बंजर जमीन पर गांव के भूमिहीन खेतीहर मजदूरों, लघु किसानों, दिलतों का सर्वप्रथम अधिकार होना चाहिए। अतः गांव की सरकारी, गोचर या बंजर जमीन देने का विचार करना ही हो तो यह जमीन देने हेतु भूमिहीन कृषि मजदूरों, दिलतों तथा लघु सीमांत किसानों का प्रथम चयन करना चाहिए। इसके अलावा, इन जमीनों का वे विकास कर सकें, इसके लिए ऐसे लोगों को जमीनें आवंटित करके उन्हें आवश्यक बीज, खाद, जल, कीटनाशक दवाओं, टपक-पद्धित की सिंचाई व्यवस्था तथा सघन मार्गदर्शक शिवरों द्वारा प्रशिक्षण व अन्य व्यवस्थाएं प्रदान करनी चाहिए। सरकार द्वारा जलस्राव विस्तार विकास कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। इस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम में

बनासकांठा जिले में हदबंदी की अतिरिक्त जमीन का दलितों को आवंटन की स्थिति

क्रम संख्या	तहसील	गांव की संख्या	लाभार्थी की एकड़/गुंठा	कुल प्राप्त जमीन	खातेबही न की गई	माप से अधिक भूमि पर कब्जा	जमीन/ शर्त भंग
१.	वाव	28	१६७	५६६.३९	98	१६७	१६७११
۶.	थराद	१४	<i>७</i> ६	८३१०	32	३७	४०७६
₹.	धानेरा	०७	२३	९९.१६	٥٥	१६	२३०३
कुल	ο ξ	87	२२७	७४८.६५	१३१	२२०	२२७१८

गांव का पानी गांव में तथा सीमा का पानी सीमा में रहे, ऐसी व्यवस्था की गई है।

इसी भांति गांव की जमीनें गांव में ही रहनी चाहिए, उसे बाहर के लोगों को देकर गरीबों के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। जब उद्योगों को जमीनें दी जाएंगी तो अधिक मुसीबत पैदा होगी। आज तक पंचायत व ग्राम सभा को ग्राम विकास हेतु सरकार ने शक्ति प्रदान की है। जमीन के मुद्दे पर पंचायत व गांव की पूरी तरह से उपेक्षा हुई है, अर्थात जमीन के आवंटन में पंचायत कोई भूमिका अदा नहीं कर सकती। इस तरह लोकतंत्र की हत्या हुई है। गुजरात सरकार द्वारा न जोतने योग्य बंजर भूमि संबंधी किया गया प्रस्ताव गरीबों के लिए वाकई प्राणघातक बन सकता है। उसे तत्काल वापिस लिया जाना चाहिए तथा गरीबों का हित साधने वाला जी.आर. करना चाहिए। ऐसे समय समग्र वंचित समाज में उनके आजीविका के साधन स्वरूप जमीन के मुद्दे पर एकता स्थापित करके भूमि प्राप्त करने का आंदोलन चलाने का समय पक गया है।

ग्राम स्वराज समिति

गुजरात में ग्राम स्वराज के क्षेत्र में काम करने वाली 'ग्राम स्वराज समिति' ने इस प्रस्ताव के संदर्भ में जो आधारभूत मुद्दे उठाये हैं, वे जानने-समझने योग्य हैं:

- (१) देश के प्रधान मंत्री ने लगभग दो दशक पूर्व एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योजना राज्य सरकारों को सूचित की थी। उस योजना के तीन उद्देश्य थे:
 - १. देश के कटते जंगल बचें
 - २. नए वृक्ष उगाये जाएं और वन क्षेत्र बढ़े और
 - ३. इस काम में से गांव के गरीबों को रोजी-रोटी मिलती रहे

इसके लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े व भूमिहीन कृषि मजदूरों और गरीब किसानों को सरकारी परती जमीन देने की यह योजना थी। इस पर अमल करने के लिए गुजरात सरकार ने आज से १८ वर्षों पूर्व १-१-१९८७ को एक आदेश प्रसारित करके उपरोक्त गरीबों को न जोती जाने योग्य बंजर जमीन देने की व्यक्त की थी। पर गरीबों को जमीनें देने के लिए इतनी सारी मेहनत करने में किसे रुचि होती! उल्टे, गरीबों की जमीनें न छीनी जाएं, इससे संबंधित जो सारे कानून थे, उन्हें भी सरकार ने रद्द कर दिया। उदाहरणार्थ ८ किमी का कानून, नई शर्त का कानून आदि रद्द कर दिये। परिणामस्वरूप हजारों गरीबों की जमीनें हथिया ली गईं। इतना ही नहीं, गरीबों को जमीनें देने के लिए जो-जो प्रयत्न हुए थे उन्हें भी इन लोग ने सफल नहीं होने दिया। इन १८ वर्षों में इस आदेश के अनुसार गरीबों को जमीन देने हेतु क्या-क्या प्रयत्न हुए थे, उनके बारे में भी सरकार ने हमें बताया नहीं और सिर्फ इतना कह दिया कि वह सरकारी नीति विफल रही है।

(२) अभी १६-३-२००५ को राज्य के मुख्य सचिव ने संबंधित जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर आदेश दिया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक गांव के गरीबों को १२५०० एकड़ भूमि वितरित कर दें। उनका पत्र १ माह २० दिनों तक धूल खाता पड़ा रहा। दि. ५-५-०५ को यह तहसील की तरफ रवाना किया गया। तदुपरांत बारह दिनों बाद ही एक दूसरा सरकारी आदेश प्रसारित हुआ। उसमें कहा गया कि गरीबों को जमीनें देने की सरकारी नीति सफल नहीं रही है।

अतः बड़े उद्योग घरानों और सक्षम किसानों को दो-दो हजार एकड़ तक सरकारी न जोतने लायक बंजर जमीन देना तय हुआ है। जिनके पास करोड़ों रुपये हैं, उन्हें ऊपर से दो-दो हजार एकड़ जमीन नितांत तुच्छ किराये पर दी जाएगी। इसके लिए सरकारी तंत्र में ऊपर से नीचे तक सब को खुशी है। यह गरीब को गरीब रखने की नीति है अमीरों को अमीर।

(३) सरकारी बंजर जमीन देने के लिए निकालनी ही हो तो उस पर सर्वप्रथम गांव के भूमिहीनों का अधिकार है, तदुपरांत सीमांत व लघु किसानों का है। उनको देने के बाद भी जमीन बचती हो तो गांव के बड़े किसान को दो, गांव की जमीन गांव में ही रहनी चाहिए। ये लोग जन्मजात किसान हैं। खेती इनके खून में है, फिर भी सरकार को लगे तो उन्हें नयी टैक्नोलोजी सिखाने के लिए शिविर लगाये, बीज, जल, खाद, नगद राशि दे, पर इस बहाने बाहर वालों को गांव की जमीन न दे।

(४) जैसा कि ऊपर लिखा गया है, सरकारी कर्मचारियों ने गरीबों को जमीन देने हेतु क्या-क्या प्रयत्न किये, इन्हें जनता को बताने की जिम्मेदारी सरकार के जिम्मे थी। उसे बताये बिना ही यह नया निर्णय घोषित कर दिया। दो-दो हजार एकड़ जमीनें किन्हें दी जाए, इसका निर्णय करने के लिए दो समितियां बनी हैं। दोनों में से एक भी समिति में जनता का कोई आदमी नहीं है। एक समिति में दो मंत्री हैं, जो सरकार के आदमी ही गिने जाते हैं। लगता है सरकार को यह घमंड हो गया है कि जनता को क्या पृछना।

सरकार खुद को जमीन का मालिक समझती है। सच्ची बात तो यह है कि हमारी सरकार ने 'विश्व व्यापार संगठन' को हाथ काट कर दे दिये है, इसिलए इसे बड़ी-बड़ी कंपनियों को हजारों एकड़ जमीन पर आधुनिक ढंग से खेती करने के लिए देने की दिशा में कदम उठाने पड़े हैं। यह संगठन सरकारों को सिखाता है कि किसानों को सबसिडी मत दो। बिजली, पानी, खाद सस्ती न दो, गरीबों को सस्ता अनाज मत दो, मुफ्त दवा मत दो, इत्यादि। वह सिखाता है कि जमीन, पानी नदियों और समुद्र की मालिक सरकार है।

- (५) वास्तव में जल, जंगल, जमीन, नदी, समुद्र सब भगवान के बताए हुए हैं अतः ग्राम स्वराज समिति के मार्फत चलने वाले राष्ट्रिपिता महात्मा गांधी को अत्यंत प्रिय ग्राम स्वराज आंदोलन में हमने सवाल उठाये हैं: पृथ्वी पर पहले कौन आया? समाज या सरकार? सरकार ने समाज को बनाया या समाज ने सरकार बनाई? तो फिर
 - १. जमीन का मालिक कौन है? सरकार या समाज?
 - २. निदयों, समुद्रों, तालाबों का मालिक कौन है? समाज या सरकार?
 - ३. भूतल जल का मालिक कौन है ? समाज या सरकार ?

सम्पूर्ण विश्व में इन सवालों की चर्चा है और सब तरफ से एक ही उत्तर मिलता है कि जल, जंगल, जमीन, समुद्र आदि प्राकृतिक साधनों की मालिक सरकार हिंगज नहीं है। हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय भी कहता है कि प्राकृतिक साधनों की मालिक सरकार नहीं है। यह सब भगवान ने बनाया है। जमीन भगवान की दी हुई वस्तु है। यह कारखानों में उत्पन्न नहीं की जा सकती।

तुलसीदासजी ने कहा है - 'सबै भूमि गोपाल की, सब सम्पत रघुराय की।' और समाज नारायण ही साक्षात् भगवान है अतः इन सबका मालिक समाज है। तो फिर सरकार की भूमिका क्या है? सरकार तो इन साधनों की केवल ट्रस्टी है। उसे इनका उपयोग समाज के हित में समाज को साथ रखते हुए करना है।

श्री इन्दुकमार जानी सम्पादक 'नया मार्ग'

पिछले कई दशकों के दौरान ग्रामीण अंचलों में जन संख्या वृद्धि की दर से भी अधिक दर में कृषि-मजदूरों की संख्या बढ़ने की चिंता राष्ट्रीय ग्रामीण मजदूर आयोग (१९९१) ने व्यक्त की थी। यह बात गुजरात राज्य पर सबसे अधिक लागू पड़ती है। गुजरात की जनसंख्या की दर दो दशकों में दुगनी नहीं होती वरन् खेतीहर मजदूरों की संख्या की दर दो दशकों में दुगनी होने लगी है।

गुजरात राज्य १९६० में अस्तित्व में आया। १९६१ में कृषि मजदूरों की संख्या १२.१५ लाख थी, जो १९८१ में दुगनी से ज्यादा २४.८८ लाख हो गई। फिर से दो दशकों बाद २००१ में वह दुगने से अधिक अर्थात ५१.५९ लाख हो चुकी है। वह संख्या २००५ में और भी बढ़ी होगी। इस तरह अत्यंत विकसित समझे जाने वाले गुजरात राज्य में ग्रामीण स्तर पर लघु व सीमांत कृषक जमीनें गंवाते जा रहे हैं और भूमिहीन कृषि मजदूरों की सेना में बढ़ोतरी होती जा रही है। दूसरी तरफ, समग्र देश में गुजरात राज्य में शहरीकरण की दर ऊंची है, याने दिनों-दिन शहरों में झोंपड़पट्टियां बढ़ती जाती हैं। खेतीहर मजदूरों को वर्षाऋतु के बाद अनिवार्यतया अपना स्थान छोड़ना पड़ता है।

इसका तात्कालिक व सही उपाय यह है कि सरकारी बंजर जमीनें

इन भूमिहीन कृषि-मजदूरों को दी जाएं। ऐसी १९.८४ लाख हैक्टेयर जोतने योग्य बंजर जमीन सरकार के हाथ में है ही। यह इन वंचित जन समूहों को तत्काल दे देनी चाहिए। इसके अलावा गुजरात राज्य में २५.९९ लाख हैक्टेयर जमीन न जोतने योग्य बंजर है। इन जमीनों की जोतने योग्य बनाने के लिए भूमिहीनों को संसाधन देने चाहिए; जिसके द्वारा जमीन को विकसित करके वे आजीविका कमा सकें।

ऐसा सीधा रास्ता अपनाने के बदले गुजरात सरकार ने ये जमीनें औद्योगिक घरानों और सक्षम किसानों को बीस वर्ष के भाड़े-पट्टे पर देने का निर्णय किया है। यह तो वही बात हुई कि 'घर के बेटे चक्की चाटें और पंडों को लड़ू'! एक तरफ ५० लाख वंचित कृषि मजदूरों को परिवार का पेट भरने के लिए एकाध जमीन का टुकड़ा नहीं मिलता तो दूसरी तरफ सम्पन्न लोगों को ज्यादा से ज्यादा २००० एकड़ जमीन बीस वर्ष के भाड़े-पट्टे पर दी जाएगी। साथ ही, ऐसी जमीनें १८८ लाख हैक्टेयर का लगभग चौथाई भाग (४५.८३ लाख हैक्टेयर) हैं।

गुजरात सरकार का ऐसा दावा है कि राज्य की न जोतने-योग्य बंजर जमीन उद्योग-घरानों और सक्षम किसानों को भाड़े-पट्टे पर देने के निर्णय से कृषि मजदूरों और दक्ष मजदूरों के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। यह दावा निराधार है। ऐसी जमीनें २००० एकड़ से भी कम होंगी तब भी ये विशाल समूह में दी जानी हैं। याने इनमें खेती का यंत्रीकरण होगा। यह खेती मानवश्रम पर आधारित नहीं होगी। वैसे भी विगत कई वर्षों से हार्वेस्टर्स तो आ ही चुके हैं। फिर, स्वयं सरकार ने आग्रह रखा है कि खेती आधुनिक टैक्नोलोजी से की जाएगी। इन स्थितियों में कृषि-मजदूर को तो कुटुम्ब के साथ बेकार रहना और दर-दर भटकना ही लिखा है। लगता इस वंचित जन समूहों को सरकार रामभरोसे छोड़ देना चाहती है।

ये सरकारी बंजर जमीनें जिन्हें दी जाएंगी, उनके पास से प्रथम पांच वर्ष तक तो कोई किराया नहीं लिया जाएगा और बाद के वर्षों में भी मात्र प्रतीक स्वरूप किराया लिया जाएगा। इतना ही नहीं, जब वैल्यू एडेड उत्पादन का प्रोजेक्ट शुरू होगा, तब तो जरा-सा किराया भी आधा हो जाएगा... देने वाला जब भी देता है, छप्पर फाड़ कर देता है। वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण के आज के माहौल में वैसे भी गरीब व अमीर की खाई बढ़ती गई है। जो अब भी बढ़ती जाएगी... यह खोह में तब्दील हो जाएगी, जिसमें गिरकर गरीबों के पास आत्महत्या करने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचेगा।

एक तरफ गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले परिवारों को बीपीएल राशन कार्ड नहीं दिये जाते, विधवा और निराश्रितों का सहायता नहीं मिलती, मुफ्त कोटे के प्लाट देना बंद प्राय हैं, कृषि मजदूरों के न्यूनतम वेतन में सुधार नहीं होता और वर्तमान ५० रु. का न्यूनतम वेतन चुकाया नहीं जाता। दूसरी तरफ कहीं बंधुआ तो कहीं चाकर-पनिहारी प्रथा के तले गुलाम जैसा जीवन इन भूमिहीन मजदूरों को जीने के लिए मजबूर कर रहा है... गरीबी और बेरोजगारी के द्वारा लगाई गई भूखे लोगों की जठराग्नि आगामी दिनों में तबाही मचा दे, इससे पहले क्या सरकार यह कदम वापिस लेगी? क्या वंचितों को जमीनें देगी?

पृष्ठ 25 का शेष भाग

सकेगा, इसकी चर्चा की गई है। प्रत्येक क्षेत्र में क्या है, क्या हुआ है, क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इसकी पड़ताल यह प्रकरण देता है। सम्पूर्ण प्रतिवेदन में मानव विकास संबंधित कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठनों की प्रवृत्तियों का सिवस्तार उल्लेख करके मानव विकास को आगे बढ़ाने हेतु कौन-कौन से आयाम हैं, इसकी चर्चा भी की गई है। औद्योगिक दृष्टि से विकसित गुजरात

राज्य में मानव विकास किस तरह सहभागी, पारदर्शी व उत्तरदायी बन सकेगा और विकेंद्रित लोकतंत्र को सुदृढ कर सकेगा, इस पर भी प्रतिवेदन में ध्यान दिया गया है।

प्राप्ति स्थान : महात्मा गांधी श्रम संस्थान, मानव मंदिर के सामने, ड्राइव-इन रोड, अहमदाबाद.

स्थानीय स्वशासी संस्थाओं हेतु बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशें

केन्द्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार की कराधान आय में से कितना अनुदान दिया जाए, यह तय करने का काम हर पांच वर्ष बाद नियुक्त वित्त आयोग करता है। १९९२ में ७३वें और ७४वें संविधान संशोधन के पश्चात् वित्त आयोग पंचायतों व पालिकाओं को भी केन्द्र सरकार की ओर से अनुदान देने की व्यवस्था करने लगा। इस लेख में श्री हेमन्तकुमार शाह द्वारा इस बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों का विवरण संक्षिप्त में प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तावना

20

वित्त आयोग की व्यवस्था संविधान में इस मकसद से की गई कि राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के बीच आय एवं व्यय के संबंध में असंतुलन उत्पन्न होता था। संविधान में की गई व्यवस्थाओं से राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले काम अधिक व आय के साधन कम थे तथा केन्द्र सरकार द्वारा किए जाने वाले काम कम और आय के स्रोत अधिक थे, जिससे आय-व्यय में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो रही थी।

इस परिस्थिति को बदलने के लिए वित्त आयोग की व्यवस्था से विधान में की गई थी। इस तरह, संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार ही राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के बीच कामों और कराधान के वितरण व आवंटन से जो राजकोषीय असंतुलन उत्पन्न होता था उसे दुर करने की व्यवस्था भी संविधान में की गई है।

१९९२ में ७३वें और ७४वें संविधान संशोधन ने जब पंचायतों और पालिकाओं को भारत के संघीय ढांचे में तीसरे स्तर की सरकार बनाया, तो केन्द्रीय वित्त आयोगों ने पंचायतों और पालिकाओं को भी केन्द्र सरकार की ओर से अनुदान देने की सिफारिशें करनी शुरू कर दीं। दसवें, ग्यारहवें और बारे में वित्त आयोग ने इस बारे में जो सिफारिशें की हैं, वे इस संबंध में बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। बारहवें वित्त आयोग ने इसके अलावा जो सिफारिशें की हैं उन्हें भी यहां

व्यक्त किया गया है।

केन्द्र स्तर पर कानूनी व्यवस्था

भारत में केन्द्र और राज्यों के बीच के वित्तीय संबंधों के बारे में बहुत सारी व्यवस्थाएं संविधान में की गई हैं। उनमें से एक व्यवस्था वित्त आयोग संबंधी है। केन्द्र की आय का बंटवारा किस अनुपात में और किस तरह किया जाए, यह तय करने का काम इस वित्त आयोग का है। इस वित्त आयोग के संबंध में संविधान के अनुच्छेद २८० में की गई व्यवस्थाएं निम्नानुसार हैं:

- (१) संविधान की स्थापना के बाद राष्ट्रपित दो वर्ष में वित्त आयोग की नियुक्ति करेंगे और फिर पांच वर्ष के बाद नियुक्ति करेंगे अथवा राष्ट्रपित को लगे तो उससे पहले नियुक्ति करेंगे,
- (२) वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होगा और अन्य चार सदस्य होंगे। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे।
- (३) संसद कानून पारित करके आयोग के सदस्यों की योग्यता निश्चित कर सकती है और किस तरह उनका चयन किया जाए, यह भी तय कर सकती है।
- (४) वित्त आयोग राष्ट्रपति को निम्न बातों के संबंध में सिफारिशें करे:
 - करों की शुद्ध आय का केन्द्र व राज्यों के बीच वितरण और ऐसी आय का राज्यों के बीच बंटवारा।
 - २. भारत के एकत्रित धन में से राज्यों को दिये जाने वाले अनुदान के संबंध में सिद्धांत।
 - ३. राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य की पंचायतों के संसाधनों को पूरक बनाने हेतु राज्य की एकत्रित धनराशि को बढ़ाने हेतु जरूरी कदम (७३वें संशोधन के बाद जोडा गया)।
 - ४. राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में से पालिकाओं के संसाधनों को पूरक बनाने हेतु राज्य की एकत्रित धनराशि को

बढ़ाने हेतु जरूरी कदम (७३वें संशोधन के बाद जोड़ा गया)।

- ५. मजबूत वित्तीय व्यवस्था के हित में राष्ट्रपति अन्य कोई विषय आयोग को सौंपे, वे।
- (५) संसद कानून पारित करके आयोग को उसके कार्यों हेतु अधिकार सौंप सकती है और आयोग अपनी कार्यवाहियां तय कर सकता है।
- (६) वित्त आयोग की सिफारिशें स्पष्टीकरण-पत्र के साथ और उस पर उठाये गए कदमों के साथ संसद के दोनों सदनों में प्रस्तृत हों, इस पर राष्ट्रपति ध्यान देंगे।

१९७२ में ७३वें और ७४वें संविधान संशोधन के पश्चात् इन केन्द्रीय वित्त आयोगों ने भी पंचायतों और पालिकाओं को केन्द्रीय कर-आय में से अनुदान के रूप में राशि आवंटित करना निश्चित किया है। उसके मुताबिक दसवें वित्त आयोग से यह राशि आवंटित करना शुरू हुआ है। पंचायतों और पालिकाओं को १०वें, ११वें और १२ वें वित्त आयोग की सिफारिशों से कितना अनुदान मिला, उसका ब्यौरा तालिका में दिया गया है। यह अनुदान राशि केन्द्र सरकार से राज्य सरकार के पास आती है और राज्य सरकार बाद में वह राशि पंचायतों व पालिकाओं को अनुदान के बतौर सोंप देती है।

पंचायतों और पालिकाओं हेतु सिफारिशें

१२वें वित्त आयोग के द्वारा पंचायतों व पालिकाओं के संदर्भ में की गई सिफारिशें निम्नानुसार हैं:

- (१) पंचायतों को जल आपूर्ति एवं सफाई संबंधी सामान हस्तगत करने हेतु तथा उससे संबंधित कार्यवाही और संचालन हेतु करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। वैसे, पंचायतों को आवर्तक व्यय की कम से कम ५० प्र.श. राशि उपभोक्ताओं से वसूल करनी चाहिए।
- (२) पंचायतों को आवंटित अनुदान में से जल आपूर्ति और सफाई की कार्यवाही और संचालन व्यय को प्राथमिकता देनी चाहिए। इससे योजनाएं हस्तगत करने और उनको चलाने में पंचायतों को आसानी रहेगी।
- (३) ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति और सफाई कार्यवाही तथा

- संचालन व्यय के खर्च के अलावा पंचायतों को उन्हें आवंटित अनुदान में से सूचना की बुनियाद खड़ी करने संबंधी व्यय को और हिसाब संरक्षण के व्यय को प्रधानता देनी चाहिए। इसके लिए जहां संभव हो, वहां आधुनिक टैक्नोलोजी का और संचालन व्यवस्थाओं का उपयोग करना चाहिए।
- (४) शहरी स्थानीय संस्थाओं के लिए प्रत्येक राज्य को प्रदत्त अनुदान राशि में से कम से कम आधी राशि ठोस कचरा संचालन की पालिका व निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु रखी जाए। उसमें नगरपालिकाओं को ठोस कचरा एकत्रीकरण, उसे अलग करने और उसके परिवहन पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। पालिका स्वयं ये प्रवृत्तियां करे या दूसरों से कराये, तब भी उसका व्यय इस अनुदान में से हो सकेगा।
- (५) शहरी इलाकों में पालिकाओं को जहां संभव हो वहां आधुनिक टैक्नोलोजी और संचालन व्यवस्था के उपयोग द्वारा सूचना का तंत्र खड़ा करने संबंधी और लेखा-संबंधी खर्च को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। शहरी क्षेत्रों में सम्पत्ति के नक्शे बनाने हेतु और वित्तीय संचालन की आधुनिक पद्धित अपनाने हेतु भौगोलिक सूचना पद्धित (ज्योग्राफिक इंफर्मेशन सिस्टम-जीआईएस) जैसी आधुनिक पद्धितयों का उपयोग किया जाएगा तो स्थानीय सरकारें मजबूत होंगी।
- (६) केन्द्र सरकार स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के निमित्त अनुदान राज्य सरकारों को भेजती है, फिर १५ दिनों की समयाविध में वह अनुदान राज्य सरकारों को पंचायतों व पालिकाओं को भेज देना चाहिए। अगर कोई राज्य सरकार इसमें अनुचित विलंब करेगी तो केन्द्र सरकार उसे गंभीर मामला मानेगी।
- (७) केन्द्र सरकार पंचायतों और पालिकाओं के लिए राज्य सरकारों को यह अनुदान भेजते समय या उसके उपयोग हेतु वित्त आयोग द्वारा लादी कई शर्तों के सिवाय कोई शर्त नहीं लाद सकेगी।
- (८) राज्य सरकार वित्त आयोग द्वारा तय किये गए सिद्धांतों के आधार पर प्रत्येक पालिका की जरूरत निश्चित कर सकेगी और इस तरह इस अनुदान में से राशि आवंटित कर सकेगी।
- (९) अधिक अनुदान दिया जाए तब पूर्ववर्ती अनुदान के उपयोग पर सामान्यतया भार लादा जाता है और यह जारी रहेगा।

पंचायतों और पालिकाओं हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशें				
क्रम	वित्त आयोग	पंचायतें	पालिकायें	
₹.	१०वां (१९९५-२०००)	१९७१ की जनगणना के आधार पर जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए प्रतिव्यक्ति १०० रु.	१९७१ की जनगणना के अनुसार झोंपड़पट्टी की आबादी के अनुपात के आधार पर १,००० करोड़ रुपये	
٦.	११वां (२०००-२००५)	१,६०० करोड़ रु.	४०० करोड़ रु.	
₹.	१२वां (२००५-२०१०)	२०,००० करोड़ रु.	५,००० करोड़ रु.	

याने पूर्ववर्ती वर्ष का अनुदान पंचायतों या पालिकाओं को दिया जा चुका है ऐसा प्रमाणपत्र राज्य सरकार द्वारा दिये जाने पर ही नए वर्ष का अनुदान केन्द्र द्वारा दिया जाएगा।

- (१०) केन्द्र सरकार व्यवसाय कर की हदबंदी बढ़ाये। यदि यह सीमा बढ़ाई जाए तो राज्य सरकार अधिक कर उगाह सकती है और स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को अधिक राशि दे सकती है।
- (११) राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी प्रणाली स्थापित हुई है कि वित्त आयोग की मुख्य सिफारिशें बिना किसी संशोधन-वर्धन के स्वीकार की जाएं। राज्य वित्त आयोग के मामले में भी इसी प्रणाली का अनुसरण किया जाना चाहिए।

राज्य वित्त आयोग हेतु सिफारिशें

७३वें और ७४वें संविधान संशोधन में प्रत्येक राज्य में पांच वर्षों में एक वित्त आयोग गठित करने की व्यवस्था की गई है। इस वित्त आयोग को राज्य की कर-आय का वितरण पंचायतों व पालिकाओं में कितना करे और किस तरह करे, ऐसी अनुशंसा करने का काम होता है। १२वें वित्त आयोग ने इस राज्य वित्त आयोग को जिस तरह काम करना चाहिए, उस संबंध में जो विस्तृत सिफारिशें की हैं वे निम्नानुसार हैं:

(१) केन्द्र स्तर पर ऐसी प्रणाली स्थापित हुई है कि वित्त आयोग की सिफारिशें बिना किसी संशोधन-वर्धन के स्वीकार की जाती हैं। इस प्रणाली का अनुसरण राज्यों में नहीं किया जाता। बहुधा स्वीकृत सिफारिशों पर भी पूरी तरह अमल

- नहीं किया जाता और इसके लिए संसाधनों की कमी का कारण दिया जाता है और परिणामतः राज्य स्तर पर राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रयोजन ही खत्म हो जाता है। इस परिस्थिति में परिवर्तन लाने की जरूरत है।
- (२) केन्द्र द्वारा राज्यों में संसाधनों की तब्दीली के बारे में केन्द्रीय वित्त आयोग को जो कार्यविधि अपनानी हो, वही कार्यविधि यिद राज्य वित्त आयोग अपनाये तो उसे अपने प्रतिवेदन में राज्य सरकार की वित्तीय व्यवस्था तब्दीली से पहले व बाद में कैसी होगी, इसका अनुमान लगाना चाहिए और उसका विश्लेषण करना चाहिए। इसके उपरांत, उसमें जो कदम सुझाये गए हों, तदनुसार स्थानीय स्वशासी संस्थाओं द्वारा की जाने वाली आय का अनुमान भी प्रतिवेदन में लिखना चाहिए।
- (३) राज्य वित्त आयोग को ऐतिहासिक प्रवृत्ति के आधार पर भविष्यवाणी करने के बजाय आय और व्यय के अनुमान में प्रशासिनक अभिगम अपनाना चाहिए। कराधान के आधार और पंचायतों व पालिकाओं द्वारा बिना कर की आय बढ़ाने की अवसर संबंधी सूचना को ध्यान में लेकर आय सृजन का प्रतिव्यक्ति स्तर गढ़ना चाहिए। नागरिकों हेतु महत्त्व की सेवाएं प्रदान करने में कई श्रेष्ठ पंचायतों व पालिकाओं द्वारा जो कुल खर्च होता है, उसके आधार पर प्रतिव्यक्ति खर्च के स्तर को जाना जा सकता है।

शेष पृष्ठ 10 पर

गुजरात मानव विकास प्रतिवेदन : २००४

गुजरात का सबसे पहला मानव विकास प्रतिवेदन हाल ही में प्रकाशित हुआ है। इसमें गुजरात में मानव विकास की जो परिस्थिति है उसकी जांच-पड़ताल की गई है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, महिला विकास जैसे क्षेत्रों में राज्य की परिस्थिति की चर्चा की गई है। यह प्रतिवेदन सुश्री इंदिरा हिरवे और सुश्री दिशानी महादेविया द्वारा तैयार किया गया है।

प्रस्तावना

मानव विकास का अर्थ यह है कि जीवन में अधिक अवसर प्राप्त करने हेतु लोग सशक्त हों और उसके लिए उनकी क्षमताओं में वृद्धि हो। इस संदर्भ में भारत में इसका अर्थ यह होता है कि लोगों में जिन क्षमताओं का अभाव है, उनमें वे आधारभूत क्षमताएं विकसित हों। इसका ऐसा अर्थ भी है कि जो एक तरफ धकेल दिये गए हैं और विकास की मुख्य धारा से वंचित रह गए हैं, उन्हें सहारा देना। अब यह व्यापक स्तर पर स्वीकार किया गया है कि सिर्फ आर्थिक वृद्धि ही नहीं वरन् मानव विकास भी समाज का अंतिम ध्येय है और आर्थिक वृद्धि से मानव विकास अपने आप नहीं हो जाता। आर्थिक वृद्धि के विचार में से बाहर निकल कर मानव विकास के बारे में विचार करना जरूरी है, ऐसा विगत डेढ़ दशक से अधिकाधिक समझ में आता जा रहा है।

गुजरात भारत का समृद्ध राज्य गिना जाता है और औद्योगिक विकास की दृष्टि से यह भारत के अन्य राज्यों की तुलना में अधिक अग्रणी रहा है। १९९१ में अपनाई गई उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण की नीति का पालन करने में या इनका लाभ उठाने में भी गुजरात सरकार अग्रणी रही है। पर क्या यह समृद्धि और विकास गुजरात के पांच करोड़ से अधिक नागरिकों तक पहुंचे हैं? ऐसे प्रश्नों की छानबीन मानव विकास के उपर्युक्त विचार के सदर्भ में इस प्रतिवेदन में की गई है।

प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन 'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम'

(यूनाईटेड नेशन्स डेवलपमैन्ट प्रोग्राम - यूएनडीपी) द्वारा १९९० में प्रकाशित किया गया। उसमें बताया गया था कि मानव विकास का अध्ययन करने की जरूरत इस समझ के कारण उत्पन्न हुई कि आर्थिक वृद्धि स्वयमेव मानव विकास और महिला विकास में रूपांतरित नहीं होता। समग्र अर्थतंत्रोन्मुखी उचित नीतियों के और सुव्याख्यायित सार्वजिनक हस्तक्षेप के रूप में विशेष प्रयासों की जरूरत रहती है, तािक आर्थिक वृद्धि की दर और मानव विकास की गित दोनों के बीच प्रगाढ़ संबंध रहे हैं। इस विचार की इस विवरण में पडताल की गई है।

भारत में अधिकांश राज्यों के मानव विकास प्रतिवेदनों को सरकार के साथ काम करने वाले व्यक्तियों ने लिखा है अथवा सरकार द्वारा नियुक्त कंसलटेंट्स द्वारा लिखे गये हैं। पर यह प्रतिवेदन दो स्वतंत्र विद्वानों ने लिखा है। उनको सरकारी अधिकारियों, विद्वानों और कई विख्यात गैर-सरकारी संगठनों ने पूरा सहयोग प्रदान किया है।

मानव विकास के सूचकांक

'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम' अपने मानव विकास प्रतिवेदनों में मानव विकास को चार सूचकांकों द्वारा मापता है :

तालिका १ गुजरात मानव विकास प्रतिवेदन : २००४ प्रकरण

१. मानव विकास की समझ : विचार, विगत और मापन

23

- २. गुजरात में विकास के प्रवाह
- ३. सामाजिक क्षेत्रों पर सरकारी व्यय
- ४. गुजरात में पर्यावरण की स्थिति
- ५. स्वास्थ्य एवं पोषण
- ६. साक्षरता व शिक्षण
- ७. महिला विकास और अंतर
- ८. मानव और महिला विकास स्तर
- ९. राज्य में अधिक उत्तम मानव की ओर

- १. मानव विकास सूचकांक (ह्यूमन डेवलपमैंट इंडेक्स-एचडीआई)
- २. महिला संबंधी विकास सूचकांक (जेंडर रिलेटेड डेवलपमैंट इंडेक्स - जीडीआई)
- ३. महिला सक्षमता माप (जेंडर एम्पावरमैंट मेजर जीईएम)
- ४. मानव गरीबी सूचकांक (ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स एचपीआई)

मानव विकास को इन चार मापकों से मापने के विचार की बहुत आलोचना भी हुई है, अतः भारत के लिए इनके विकल्प रूप में सोचे गए दूसरे चार मापक इस प्रकार हैं:

- (१) मानव विकास माप-१ (ह्यूमन डेवलपमैंट मेजर-१ -एच.डी.एम. - १)
- (२) महिला विकास माप-१ (जेंडर डेवलपमैंट मेजर -जी.डी.एम. - १)
- (३) महिला समता सूचकांक (जेंडर इक्विटी इंडेक्स -जी.ई.आई.)
- (४) मानव विकास माप-२ (ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर-२ -एच.डी.एम. - २)

गुजरात मानव विकास प्रतिवेदन-२००४ में इन दूसरे चार मापकों के आधार पर गुजरात के मानव विकास को मापा गया है।

प्रतिवेदन में क्या है?

प्रतिवेदन के प्रकरणों की सूची तालिका १ में दी गई है। प्रथम प्रकरण में मानव विकास क्या है। 'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम'

तालिका २ गुजरात में गरीबी				
वर्ष	वर्ष प्रतिशत वार स्थिति			
	ग्रामीण	शहरी	कुल	
१९७२-७३	४६.३५	४९.३१	४७.२१	
Se.ee?8	४१.७६	४३.१३	४२.१७	
१९८३	२९.८०	४०.६३	३३.२७	
१९८७-८८	२८.६७	३९.६३	३२.३३	
१९९३-९४	२२.१८	२७.०७	२३.९२	
१९९९-२०००	१२.२०	१३.७६	१२.७८	
स्रोत : योजना आयोग				

तालिका ३ गुजरात में मानव विकास की स्थिति

٤.	प्रभावी साक्षरता दर			
		पुरुष	स्त्री	कुल
	१९९१	७३.१३	४८.६४	६१.२९
	२००१	८०.२३	4८.२९	६९.६७

२. ६-१४ आयु वर्ग के बालकों की शाला प्रवेश की स्थिति

	पुरुष	स्त्री	कुल
१९९३-९४	७५.७०	६२.८२	६९.५६
१९९९-२०००	७६.८९	६७.८०	७२.६६

३. रोज़गार वृद्धि दर (प्र.श. में)

१९९३-२०००	२.३१
-----------	------

४. बेकारी की मात्रा (प्र.श. में)

899-68

,,,,	,,,
१९९९-२०००	8.44

५. बाल मृत्यु दर	ग्रामीण	शहरी	कुल
१९७१	१५५	११०	१४५
१९८१	१२३	८९	११६
१९९१	७३	५७	६९
२००१	६७	४२	६०

६. एनीमिया से पीड़ित महिलाएं (प्र.श. में) (२००१)

•	• • • • • •
शहरी	३९.५
ग्रामीण	५१.३
निरक्षर	40.9
अनुसूचित जातियां	8.58
अनुसूचित जनजातियां	५५.५
अन्य पिछड़े वर्ग	४५.०
गुजरात	४५.३

७. स्त्री-परुष अनपात

••	3 3			
	वर्ष	समग्र	बालक	
	१९६१	९४०		
	१९७१	९३४		
	१९८१	९४२		
	१९९१	९३४	९२८	
	२००१	९१९	202	

८. प्राथमिक शाला में भरती लड़कों के संदर्भ में लड़िकयों का अनुपात (प्र.श. में) २०००-२००१

कुल	७६.५३	
अनुसूचित जातियां	८५.८९	
अनुसूचित जनजातियां	८२.९०	

के अलग-अलग मानव-विकास प्रतिवेदनों में किन-किन बातों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है, यह बताकर उसमें मानव विकास को मापने विविध सूचकांकों की चर्चा की गई है। दूसरे प्रकरण में गुजरात की आबादी, गुजरात सरकार की जनसंख्या नीति, गुजरात में स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति, गुजरात की प्रस्तावित स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य संभाल की सुविधाओं आदि की इसमें चर्चा की गई है। गुजरात में आय-गरीबी और मानव गरीबी मिली है, उसका भी विवरण आय गरीबी और मानव गरीबी के विचार के साथ प्रस्तुत किया गया है।

दूसरे प्रकरण में मानव विकास हेतु सार्वजनिक व्यय के मापन की चर्चा की गई है। गुजरात सरकार द्वारा शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्रों के पीछे होने वाले खर्च और सामाजिक-आर्थिक सेवाओं के पीछे दी जाने वाली सब्सिडी की चर्चा इसमें की गई है। इस चर्चा में १९९१ के बाद हुए परिवर्तनों का विवरण भी इसमें दिया गया है। तीसरे प्रकरण में मानव-विकास और पर्यावरण के बीच संबंध, गुजरात का पर्यावरण, गुजरात के संसाधनों पर दबाव, गुजरात में अकाल, प्रदूषण, सरकारी की प्रदूषण नियंत्रण नीति और पर्यावरण की हानि के मानव विकास पर पड़ने वाले अत्यंत विपरीत प्रभावों की चर्चा की गई है।

प्रकरण-५ गुजरात की स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति को व्यक्ति करता है। मानव-विकास में स्वास्थ्य के महत्त्व, स्वास्थ्य की स्थिति और प्रभाव डालने वाले कारकों, गुजरात में स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति, गुजरात की प्रस्तावित स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य संभाल की सुविधाओं आदि की इसमें चर्चा की गई है।

छठे प्रकरण में शिक्षा और साक्षरता की चर्चा ८३वें संविधान संशोधन के संदर्भ में की गई है, जिसने प्राथमिक शिक्षा को मूलभूत अधिकार के रूप में स्थापित किया है। गुजरात में साक्षरता दर, बीच में ही शाला छोड़ने वाले बालकों की संख्या, शिक्षा सुविधाएं, बाल मजदूरी आदि के बारे में विशद चर्चा इस प्रकरण में की गई है।

प्रकरण-७ महिला विकास से संबंधित है। गुजरात में स्त्री-पुरुष

तालिका ४ गुजरात में मानव विकास का मापन

२. शिक्षा सूचकांक ०.६३० ०.७४ ३. स्वास्थ्य सूचकांक ०.६१३ ०.७४ ४. आवास सूचकांक ०.२६६ ०.२६ ५. सहभागिता सूचकांक ०.४७७ ०.४३ ६. मानव विकास मापन ०.४२६ ०.४७	۶.	मानव विकास मापन : मूल्य सूचकांक	१९९१	२००१
३. स्वास्थ्य सूचकांक ०.६१३ ०.७१ ४. आवास सूचकांक ०.२६६ ०.२६ ५. सहभागिता सूचकांक ०.४७७ ०.४३ ६. मानव विकास मापन ०.४२६ ०.४७		१. आय सूचकांक	०.१४३	०.२४१
४. आवास सूचकांक ०.२६६ ०.२६ ५. सहभागिता सूचकांक ०.४७७ ०.४३ ६. मानव विकास मापन ०.४२६ ०.४७		२. शिक्षा सूचकांक	०.६३०	880.0
५. सहभागिता सूचकांक ०.४७७ ०.४३ ६. मानव विकास मापन ०.४२६ ०.४७		३. स्वास्थ्य सूचकांक	०.६१३	०.७१०
६. मानव विकास मापन ०.४२६ ०.४७		४. आवास सूचकांक	०.२६६	०.२६६
		५. सहभागिता सूचकांक	०.४७७	०.४३४
७. मानव विकास संचकांक ०.४६२ ०.५६		६. मानव विकास मापन	०.४२६	908.0
2		७. मानव विकास सूचकांक	०.४६२	०.५६५

२. मानव विकास मापन में गुजरात का क्रम			
१. आय	γ	६	
२. शिक्षा	ų	६	
३. स्वास्थ्य	9	9	
४. आवास	२	7	
५. सहभागिता	११	१०	
६. मानव विकास मापन	ų	६	
७. मानव विकास सूचकांक	ų	ξ	

अनुपात, स्त्रियों में शिक्षा और मातृत्व संबंधी स्वास्थ्य की स्थिति, स्त्रियों की आर्थिक व राजनीतिक भागीदारी, स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा, बजट में महिलाओं हेतु होने वाला व्यय आदि मुद्दों की चर्चा की गई है।

आठवें प्रकरण में मानव और महिला विकास के स्तर के बारे में चर्चा की गई है। गुजरात में मानव विकास का सूचकांक क्या है, इस पर यहां चर्चा की गई है। समग्र राज्य में विकास और असमानता इस सूचकांक के संदर्भ में कितनी है, यह भी इसमें बतायी गयी है। प्रतिवेदन में अंत में गुजरात के मानव विकास संबंधी संख्यात्मक विवरण अनेक तालिकाओं में दिये गए हैं।

गुजरात के सभी २५ जिलों में इस बारे में क्या स्थिति है, यह जानना आनंददायी होगा। आखिरी नवें प्रकरण में गुजरात में अधिक अच्छे मानव विकास की तरफ किस तरह आगे बढा जा

शेष पृष्ठ 19 पर

एफ.सी.एम.सी. कानून

भारत सरकार ने स्वैच्छिक क्षेत्र को मिलने वाली विदेशी धन-राशि पर अंकुश लगाने के लिए एक नया कानून बनाने की सोची है। इस विषयक मसौदा तैयार हो चुका है। इस कानून की क्या व्यवस्थाएं हैं और उनके क्या प्रभाव स्वैच्छिक क्षेत्र पर पड़ सकते हैं, इसकी विशद चर्चा इस लेख में की गई है।

प्रस्तावना

भारत सरकार एफ.सी.आर.ए.-१९७६ को वापिस ले कर एक नया एफ.सी.एम.सी. कानून लाने का विचार कर रही है। भारत इस कानून के द्वारा स्वैच्छिक क्षेत्र पर अंकुश लगाना चाहता है और उसके कार्यक्षेत्र को मर्यादित करना चाहता है। 'वोलंटरी एक्शन नेटवर्क ऑफ इन्डिया (वाणी) निरंतर बराबर इस कानून के संबंध में में सोच-विचार शुरू किया गया है और सरकार के इस कदम की खामियों के बारे में प्रतिक्रिया देना शुरू किया है। जून माह की २४-२५ तारीख को दिल्ली में इस संबंध में एक अखिल भारतीय परिषद आयोजित हुई थी। उस परिषद में वित्त मंत्री श्री पी. चिदंबरम् और गृहमंत्री श्री शिवराज पाटिल उपस्थित रहे थे।

'जनपथ' द्वारा अहमदाबाद में दि: २९-९-२००५ को इस बारे में एक बैठक आयोजित हुई थी। इस बैठक में चार्टर्ड एकाउन्टेंट श्री चंद्रवदन शाह ने प्रस्तावित कानून के संबंध में विचार व्यक्त किये थे। उनके द्वारा प्रस्तुत व्याख्यान के मुख्य मुद्दे इस प्रकार हैं:

- वित्त मंत्री का यह कहना था कि पुराने एफ.सी.आर.ए. के बारे में सामाजिक संस्थाओं को बारबार कई अनुरोध किये गये हैं और इन अनुरोधों को ध्यान में रख कर ही यह कानून बनाया गया है।
- नये एफ.सी.एम.सी. कानून के अनुसार विदेशी फंड एक ही खाते में जमा होगा, पर उसे अलग-अलग खातों में जमा किया जा सकेगा, ऐसी व्यवस्था है।
- मंत्रिमंडल में अभी इस रूप में कानून मंजूर नहीं हुआ। संसद की चयन समिति इस कानून को मंजूर करेगी।
- एफ.सी.आर.ए. कानून में संशोधन परिवर्धन होने चाहिए,

नया कानून नहीं होना चाहिए।

- एफ.सी.आर.ए. के लिए नंबर प्राप्त करने हेतु जिला कलेक्टर यह प्रमाण-पत्र देने से पहले संबंधित संस्था के क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में इस अर्जी की कार्यवाही करेगी। वहां से वह राजस्व विभाग याने तहसीलदार को दिया जाएगा और तब गृह मंत्रालय में गांधीनगर भेजा जाएगा।
- जिन-जिन संस्थाओं के लोगों की कलेक्टर से अच्छी जान पहचान होगी, वे लोग ही आसानी से यह प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकेंगे।
- अब इस नए कानून में यह प्रमाण-पत्र जोड़ने की जरूरत नहीं
 है। अर्जी आने पर सरकारी गुप्तचर कार्यालय से इसकी
 छानबीन कराने के बाद प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।
- नये कानून में विदेशी धन राशि का नियमन करने के साथ उसे संभालने की भी बात है।

कानून की व्यवस्थाएं

धारा-१: कानून का स्वरूप/परिचय दिया गया है।

धारा-२: इन कानून के उद्देश्यों को लेकर व्याख्याएं की गई हैं। उसमें कोई खास बदलाव नहीं। विदेशी फंड याने क्या? पुराने कानून के अनुसार विदेशी फंड खाते में होकर जो ब्याज आता है और इस राशि में से जो आय होगी, उसे भी विदेशी फंड गिना जाएगा।

धारा-३: इस विभाग में कौन अर्थात कौन व्यक्ति/संस्था विदेशी फंड प्राप्त नहीं कर सकेगा, इसकी स्पष्टतया व्यवस्था की गई है। धारा-४: उपर्युक्त याने कि विभाग ३ में कौन-कौन गिने जाएंगे, इसको स्पष्ट किया गया है।

धारा-५: राजनीतिक दल वाली संस्थाएं और राजनीति के साथ संबंध रखने वाली संस्थाएं विदेशी फंड प्राप्त करने की पात्र नहीं होंगी।

धारा-६: जिन संस्थाओं के पास अभी विदेशी फंड नंबर है, उन संस्थाओं को भी कानून अमल में आते ही दो वर्षों में फिर से पंजीकरण कराना होगा। धारा-७: प्रशासनिक व्यय हेतु विदेशी योगदान के उपयोग हेतु नियंत्रण। विदेशी योगदान जिस प्रयोजन हेतु प्राप्त किया गया है, उसके लिए ही उपयोग किया जाएगा। कुल योगदान का ३० प्र.श. प्रशासनिक व्यय हेतु काम में लिया जा सकेगा, ज्यादा से ज्यादा ३० प्र.श. और उससे कम प्रतिशत तय करने का अधिकार सरकार के पास होगा। सरकार द्वारा प्रशासनिक खर्च का स्पष्टीकरण दिया जाएगा कि इस खर्च में किन-किन खर्चों का समावेश होगा।

धारा-१०: प्रत्येक संस्था को अर्जी के साथ फीस देनी पड़ेगी। धारा-११: पंजीकरणः पंजीकरण का अधिकार और गृह मंत्रालय अलग-अलग हैं। क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाएगा। वर्तमान संस्थाओं के पास जो पुराने पंजीकरण नंबर हैं, उन्हें, कानून के अमल में आने के दो वर्ष में फिर से पंजीकरण कराना पड़ेगा। संस्था के निदेशक या अन्य सदस्य कानून के अधीन दोषी माने जाएंगे। अथवा किसी के एतराज उठाने पर वे पंजीकरण प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

धारा-१२: पंजीकरण अधिकारी संस्था के पंजीकरण पर शर्तें लगा सकेंगे, ऐसी व्यवस्था की गई है। शर्ते लगाने का अधिकार सरकार के पास रहेगा।

धारा-१६: सरकार के पास प्रमाण-पत्र रद्द करने का अधिकार रहेगा। पूर्ववर्ती कानून में प्रमाण-पत्र रद्द करने की व्यवस्था नहीं है। यह बहुत गंभीर विषय है। इस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है।

धारा-१७:

- सरकार के पास प्रमाण-पत्र रद्द करने का अधिकार है।
- संस्था के द्वारा सार्वजनिक हित का भय होता हो तो सरकार पंजीकरण रद्द कर सकती है।
- प्रमाणपत्र रद्द हुई संस्थाएं आगामी तीन वर्षों तक फिर से पंजीकरण नहीं करा सकेंगी।

धारा-१८: संस्थागत फंडः रद्द हुई संस्था के फंड का उपयोग किस तरह किया जाए, इसका अधिकार सरकार के पास रहेगा।

धारा-२०: विदेशी फंड संबंधित खाते में जमा होने के बाद बैंक की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को बताने की रहेगी। विभाग १० के अधीन गृह मंत्रालय द्वारा विदेशी खाते का लेन-देन बैंक द्वारा बंद कराया जा सकेगा।

धारा-२१: संपत्ति का फैसलाः विदेशी अंशदान द्वारा खरीदी गई सम्पति को जब्त करने का अधिकार सरकार के पास है। ऐसी संपत्ति का फैसला किस तरह करना, इसकी पद्धति व प्रक्रिया सरकार के द्वारा तय की जाएगी।

धारा-२७: इस विभाग में ऐसी व्यवस्था की गई है कि यदि कोई व्यक्ति गलत हिसाब या घोषणा पेश करेगा तो वह दोषी होगा और उसे ५ वर्षों की सजा हो सकती है।

महत्त्वपूर्ण बातें

इस बैठक की चर्चा में निम्न मुद्दे सामने आए :

- कानून में बताये अनुसार यह कानून सिर्फ स्वैच्छिक क्षेत्र पर ही प्रभावी होगा।
- यदि राष्ट्र विरोधी कामों हेतु या राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने हेतु ऐसी धनराशि मंगाई जाती हो तो उसका विरोध अवश्य किया जाना चाहिए। देश की कुल विदेशी आय/धनराशि में से मात्र १ प्र.श. के लगभग ही सामाजिक संस्थाओं को मिलता है।
- यह कानून हम पर अपनी नकारात्मक छाप अंकित करता है।
- इस कानून में संशोधन-परिवर्तन लाने की जरूरत है।
- इस कानून में बताये मुताबिक संस्था के ट्रस्टी मंडल में होने वाले परिवर्तनों की भी छानबीन की जाएगी।
- यदि हर ५ वर्ष बाद फिर से पंजीकरण कराना पड़ेगा तो लंबी अविध की योजनाएं हाथ में नहीं ली जा सकेंगी।
- विदेशी फंड के नियमन हेतु एफ.ई.एम.ए. के अधीन काम हो।
- 'वाणी' द्वारा देशव्यापी आंदोलन चलाया जा रहा है। हमें 'गुजरात स्तर पर कुछ प्रयत्न करने जरूरी हैं'।
- यह कानून मोटे तौर पर स्वैच्छिक संस्था पर प्रभाव डालेगा। इसके लिए रणनीति बनाने की जरूरत है। सभी सदस्यों ने इस कानून को नकार दिया है। इसी भांति एफ.सी.आर.ए. को भी नकारने की जरूरत है।

पूनमचंद्र पांडेय (मुख्य अधिकारी 'वाणी', दिल्ली)

विदेशी धनराशि नियमन कानून (एफ.सी.आर.ए.) के बदले विदेशी धनराशि संचालन व नियंत्रण (एफ.सी.एम.सी.) कानून बनाने के केन्द्र के प्रस्ताव से स्वैच्छिक क्षेत्र गंभीरतया चिंतित है। २००२-०३ के बजट के अनुसार भारत में गैर-सरकारी संगठनों को ५००० करोड़ रुपये विदेशों से प्राप्त हुए थे। स्वैच्छिक क्षेत्र स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, बाल विकास, महिला विकास, एड्स नियंत्रण, पंचायती राज

आदि जैसे क्षेत्रों में सरकार के लिए पूरक का काम करता है। परंतु उन्हें भी बहुत नियमों के अधीन काम करना होता है। उनमें से फंड के संचालन व पारदर्शिता हेतु यह नया कानून लाने का विचार किया गया है। वास्तव में, इसके लिए दोनों में से एक कानून की भी जरूरत नहीं।

एक ऐसा तर्क दिया जाता है कि तोड़-फोड़ की प्रवृत्ति हेतु धनराशि अंतरराष्ट्रीय दाताओं और बैंकों से आती है। यह बोगस तर्क है। सुरक्षा के संबंध में सरकार को जितनी चिंता रहती है, उतनी ही चिंता स्वैच्छिक क्षेत्र को भी है। परंतु एफ.सी.एम.सी. कानून

स्वैच्छिक क्षेत्र का काम करना मुश्किल हो जाए, इसिलए बनाया जा रहा है। नये प्रस्तावित कानून की निम्न व्यवस्थाएं स्वैच्छिक क्षेत्र पर विपरीत प्रभाव डाल सकती हैं:

- (१) पंजीकृत संगठनों को दो वर्ष में फिर से पंजीकृत कराना होगा। जिन्हें स्वीकृति मिल चुकी है, उन्हें भी।
- (२) हर ५ वर्ष बाद पंजीकरण का नवीनीकरण कराना होगा।
- (३) पंजीकरण प्रमाणपत्र स्थगित या रद्द हो सकता है।
- (४) प्राप्त दान में से ३० प्र.श. से ज्यादा प्रशासनिक खर्च नहीं होना चाहिए।
- (५) कैद सहित दंड की व्यवस्था की गई है।

एफ .सी .आर .ए. और एफ .सी .एम .सी . मसौदा - तुलना

	क्रम	एफ.सी.आर.ए	एफ.सी.एम.सी.
₹.	आमुख	विदेशी योगदान के स्वीकार व उपयोग को नियंत्रित करता है	विदेशी फंड संबंधी कानून को मजबूत करना व विदेशी चंदे से होने वाली राष्ट्र विरोधी प्रवृत्तियों और मुश्किलें खड़ी करने वाली प्रवृत्तियों में उपयोग पर प्रतिबंध
۶.	एसोसिएशन 'व्याख्या'	ऐसी व्यवस्था नहीं	इसमें केन्द्र व राज्य के कानून द्वारा स्थापित किये गए कार्पोरेशन व कंपनी कानून, १९५६ के मुताबिक सरकारी कंपनियों और राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा संचालित सोसाइटियों का समावेश नहीं होगा। (धारा-२ (१) ए)
₹.	विदेशी चंदा व्याख्या	ऐसी व्यवस्था	विदेशी चंदे पर ब्याज, विदेशी चंदे से होने वाली आय जो विदेशी राशि में जोड़ी होती है, कांफ्रेंस में उपस्थिति की फीस, जर्नल का शुल्क, विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस और ऐसे व्यक्तियों द्वारा भारत में प्राप्त सेवा के बदले चुकाई गई राशि इत्यादि विधि से प्राप्त राशि को अलग रखा जाता है। (व्याख्या २ और व्याख्या ३ (धारा-२(१))
٧.	राजनीतिक स्वरूप के संगठन	अग्रिम स्वीकृति धारा-५(१)	प्रतिबंध कक्षा (धारा-३ (१) (एफ)
પ .	राजनीतिक स्वरूप के संगठन के पंजीकरण की प्रक्रिया	ऐसी किसी व्यवस्था से	(१) सूचनात्मक लिखित नोटिस, कारण बताए बिना ही (२) निश्चित कारणों समेत नियमों की जानकारी, जिनके आधार पर संगठन को राजनीतिक स्वरूप वाला नियत किया जाएगा। (३) संगठन नोटिस के ३० दिन में उत्तर देगा। ज्यादा समय केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। (४) यदि सरकार को जरूरी लगेगा तो प्राधिकरण को अपना प्रतिनिधि भेजेगी। (५) अनुरोध और विवरण को ध्यान मे लेने के बाद केन्द्र सरकार घोषणा करेगी (धारा-५)

ξ.	विदेशी चंदे को दूसरे एसोसिएशन में बदलना	इसके लिए कानून में कई व्यवस्थाएं, एफसीएमसी में कोई व्यवस्था नहीं बतायी गयी है।	ऐसा ट्रांस्फर मात्र उल्लिखित/अग्रिम स्वीकृति की श्रेणी वाला एसोसियेशन ही कर सकेगा।
9 .	प्रशासनिक व्यय हेतु विदेशी चंदे के उपयोग पर नियंत्रण	स्पष्ट रूप से नहीं परंतु कई स्थानों पर उल्लेख किया गया है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।	(१) विदेशी चंदा जिस उद्देश्य हेतु प्राप्त किया गया होगा, उसी के लिए उपयोग किया जाएगा। (२) प्रशासनिक व्यय हेतु प्राप्त विदेशी चंदे का ३० प्र.श. उपयोग में लिया जा सकेगा और उसका तरीका नियमों में बताया जाएगा। (धारा-८)
८.	पंजीकरण (एफसीआरए के अधीन पंजीकृत संगठनों हेतु)	ऐसा अधिकार नहीं। लागू नहीं होता।	पंजीकरण प्राधिकरण को प्रदत्त एफ.सी.आर.ए. के साथ पंजीकृत संगठनों को कानून अमल में आने के दो वर्ष में प्राधिकरण से पंजीकरण कराना पड़ेगा और दो वर्ष में प्राप्त विदेशी राशि को नए कानून के आधीन लाना होगा। (धारा - ११ (१))
ς.	अग्रिम स्वीकृति श्रेणी	राजकीय स्वरूप के संगठन (धारा-५ (१) और कई संगठन (धारा-६(१) (ए) की अग्रिम मंजूरी हेतु तय किया गया है। वर्ग, विस्तार, हेतु, स्रोत का उल्लेख नहीं।	११(१) के अधीन पंजीकृत नहीं किये गए व्यक्ति अर्जी कर सकेंगे। केन्द्र सरकार धारा-११ (१) के अधीन पंजीकृत लोगों को तय कर सकेगी। लोगों का वर्ग धारा ११-(१) के अधीन पंजीकृत अग्रिम स्वीकृति श्रेणी धारा-११(३) के अधीन आने वाले क्षेत्र, उद्देश्य, स्रोत।
१०.	फीस	जरूरी नहीं	पंजीकरण व अग्रिम स्वीकृति की अर्जी के साथ फीस चुकानी है (धारा - १२(१))
११.	पंजीकरण/अग्रिम मंजूरी	केन्द्र सरकार को अर्जी (पंजीकरण हेतु धारा-६ (१) और धारा-६ (१-ए) स्वीकृति के अनुसार	अर्जी/पंजीकरण प्राधिकरण/ पंजीकरण हेतु बताई गई प्राधिकरण पंजीकरण/अग्रिम स्वीकृति हेतु (निम्नानुसार सूचना देना - धारा - १७ (१))।
१२.	पंजीकरण/अग्रिम मंजूरी बढ़ाने की शर्ते	अलग से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं।	पंजीकरण/अग्रिम मंजूरी हेतु पंजीकरण प्राधिकरण निम्न बातों की छानबीन करेगाः (१) अर्जी करने वाले ने चयनित क्षेत्र में जिले में रहने वाले लोगों के लाभ हेतु अर्थपूर्ण प्रवृत्ति की है, जिसके लिए विदेशी चंदे के उपयोग की अर्जी की गई थी। (२) अर्जीदाता ने जिलेवासियों के लाभ हेतु अर्थपूर्ण प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसके लिए विदेशी चंदे के उपयोग की अर्जी दी गई थी। (३) अर्जीदार जाने अजाने धर्म परिवर्तन का उद्देश्य रखने की प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ तो नहीं है। (४) अर्जीदार ने देश के किसी भी भाग में कौमी तनाव या विसंवादिता उत्पन्न तो नहीं की है। (५) अर्जीदार का फंड अन्य प्रवृत्तियों में लगाने हेतु या दुरुपयोग करने हेतु दोषी तो नहीं ठहराया गया है। (६) अर्जीदार नशीले पदार्थ के उत्पादन से तो जुड़ा नहीं या जुड़ने वाला नहीं है।

		1	अर्जीदार विदेशी चंदे का व्यक्तिगत उपयोग नहीं करेगा।
 १३.	पंजीकरण की नकल हेतु अस्वीकार के कारण (पंजीकरण/अग्रिम मंजूरी)	अर्जीदार को नकल नहीं देना।	नकल देना (धारा-१२ (४))।
१४.	पंजीकरण के खिलाफ केन्द्र सरकार को अपील (पंजीकरण/अग्रिम मंजूरी)	संभव नहीं	ऑर्डर मिलने के ३० दिनों में फीस के साथ केन्द्र सरकार से अपील (धारा -१२ (५))
१५.	पंजीकरण की अवधि	स्थायी पंजीकरण अन्यथा केन्द्र सरकार दूसरे तरीके से व्यवहार करेगी।	पांच वर्ष (धारा-१२ (७))
१ ६.	प्रमाण-पत्र स्थगित करना	कोई व्यवस्था नहीं	९० दिनों से न बढ़ने वाली अवधि हेतु संभव। इस अवधि में विदेशी चंदा प्राप्त नहीं करोगे और पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा सूचित पद्धति के अनुसार उसका उपयोग करना (धारा-१३)
१७.	प्रमाण-पत्र रद्द करना परंतु सरकार एसोसिएशन को प्रतिबंधित श्रेणी में रख सकती है	कोई व्यक्त व्यवस्था नहीं	(१) जो ऑर्जयां गलत सूचना देती हो, प्रमाण-पत्र के नीति-नियमों को भंग किया हो, कानून, नियम या आदेश भंग किया हो या लोकहित में हो तो केन्द्र सरकार रद्द कर सकती है। (२) एसोसियेशन को मौका दिया जाएगा और वे निर्णय मिलने के ३० दिनों में केन्द्र सरकार को फीस के साथ अपील कर सकते हैं (धारा-१४)।
१८.	रद्द किये गए एसोसियेशन के विदेशी चंदे का अंतरण	कोई व्यवस्था नहीं	रद्द किए गए लोगों के विदेशी चंदे की जिम्मेदारी बतायी गई प्राधिकरण को सौंपी गई है। (परिच्छेद-१६)
१९.	प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण	प्रश्न उपस्थित नहीं होता।	पंजीकरण प्राधिकरण को अर्जी देकर अवधि समाप्ति से दो वर्ष पूर्व नवीकरण प्राप्त कर लेना। (परिच्छेद-१६)
२०.	विदेशी चंदा प्राप्त करना और बैंक	(१) यह किसी भी बैंक द्वारा हो सकेगा (परिच्छेद ६(१) (२) ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। (३) नहीं बताया गया (४) ऐसी कोई व्यवस्था नहीं	(१) विदेशी चंदा किसी शिड्यूल्ड बैंक की शाखा के एक ही खाते में रखना (पिरच्छेद-१७ (२)) (२) कोई भी शिड्यूल्ड बैंक तब तक विदेशी चंदा जमा न करे या निकालने न दे, जब तक इस व्यक्ति द्वारा पंजीकरण प्रमाण-पत्र/अग्रिम मंजूरी न ले ली जाए (पिरच्छेद - १७(१)) (३) व्यक्ति विदेशी चंदे के उपयोग हेतु एक या अधिक शिड्यूल्ड बैंक में एक या अधिक खाते खुला सकता है। ऐसे खाते में विदेशी चंदे के अलावा कोई भी राशि जमा न कराई जाए। (पिरच्छेद-१७(२)। विदेशी चंदा सीधे ही इन खातों में नहीं रखा जा सकेगा। (४) पिरच्छेद-१७(२) के अधीन विदेशी चंदा लेने वाली प्रत्येक बैंक पंजीकरण प्राधिकरण को खाते में ली गई विदेशी चंदे और पिरच्छेद-१७(२) की व्यवस्था मुताबिक दूसरे खाते में ट्रांसफर की गई राशि और ऐसे खाते से उठाई गई राशि (पिरच्छेद-१७ (३) का ब्यौरा देगी।
२१.	मिल्कियत का निबटारा	कोई व्यवस्था नहीं	विदेशी चंदे द्वारा सृजित मिल्कियत के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार, जिसका निपटारा हो सकता हो, ऐसी संपत्ति व पद्धति

विचार जुलाई-सितम्बर, 2005

30

			और प्रक्रिया तय करेगी।
	खातों/रेकोर्ड्स की जब्ती	जब्त करने के बात उसे कोर्ट में पेश	जब्त किये गए रेकार्डो को पेश करने हेतु कोर्ट के अलावा ॲथोरिटी
		किया जाएगा जिसमें ऐसे उल्लंघन हेतु	और ट्रिब्यूनल का भी समावेश किया गया है। (परिच्छेद-२४)
		कार्यवाही की जाएगी।	
२३.	निषेधक वस्तु/मुद्रा	१००० रु. से अधिक मूल्य की कोई भी	मूल्य १०,००० रु. होना चाहिए (परिच्छेद-२५)
		संपत्ति जब्त की जा सकेगी(परिच्छेद-१६)	
२४.	जब्ती पद्धति	कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर, १९७३	केन्द्र सरकार पद्धति तय करेगी। वस्तु या मुद्रा राशि थानेदार को
		के अनुच्छेद १०० का अनुसरण करना	सौंपी जाएगी। यह अफसर विगतवार सूची तैयार करेगा और उसकी
		(परिच्छेद-१७)	सत्यता की प्रमाणभूतता हेतु मजिस्ट्रेट को अर्जी देगा। यह प्राथमिक
			सबूत गिना जाएगा। यह पुलिस अधिकारी परिच्छेद के अधीन (१)
			सेशन्स कोर्ट अथवा सहायक सेशन जज को जब्ती के चुकारे हेतु
			जब्ती का विवरण देगा। (परिच्छेद-२६)
२५.	हाईकोर्ट में अपील	कोई व्यवस्था नहीं	परिच्छेद-३(१) (एफ) (राजनीतिक स्वरूप का संगठन) और परिच्छेद-
			६ तथा परिच्छेद ९में बताये गए लोग परिच्छेद ५ के अधीन किये गए
			आदेश, मंजूरी न देने के केन्द्र सरकार के आदेश और परिच्छेद
			१२(२), १२(४) के अधीन कराये गए आदेश (सर्टिफिकेट ऑफ
			रजिस्ट्रेशन न देना) और परिच्छेद १४(१) (सर्टिफिकेट को रद्द
			करना) के संदर्भ में हाईकोर्ट में अपील कर सकेंगे।
२६.	पुनरावर्तन	ऐसी कोई व्यवस्था नहीं	(१) पंजीकरण प्राधिकरण अपने ढंग से अथवा इस कानून के अधीन
			पंजीकृत व्यक्ति द्वारा की गई अर्जी के आधार पर पुनरावर्तन हेतु जांच
			पड़ताल कर सके ऐसा आदेश कर सकता है।
			(२) पंजीकरण प्राधिकरण अपने ढंग से ही एक वर्ष पहले किये गए
			आदेश को दोहरा नहीं सकेगा।
			(३) पुनरावर्तन हेतु अर्जी उन्हें जिस तारीख को आदेश दिया गया
			हो अथवा उन्हें उसकी जानकारी हुई हो, दोनों में से जो पहले हो,
			उसके एक वर्ष के अंदर नियत फीस के साथ की जा सकेगी।
			(४) जब आदेश के विरुद्ध अर्जी की गई हो, और ऐसे आदेश हेतु
			अर्जी की अवधि गई न हो, या उन व्यक्तियों ने उस अधिकार को
			छोड़ा न हो, तब तक पंजीकरण प्राधिकरण कोई आदेश दोहरायेगा
			नहीं।
२७.	गलत प्रस्तुति करना, झूठे	कोई अलग से अनुच्छेद नहीं, परंतु	यदि कोई व्यक्ति किसी पुस्तक या घोषणा में गलत या प्रपंच हेतु
	खातों के बारे में घोषणा	दूसरे अनुच्छेद के अधीन	कोई भी दस्तावेज बदल दे अथवा उसे नष्ट करे, झूठी घोषणा करे,
			अपने या दूसरे व्यक्ति के लिए कोई लाभ प्राप्त करने हेतु पुस्तक
			आदि में झूठी एंट्री करे, उसे पांच वर्ष की कैद हो सकती है।
			(परिच्छेद-३३)
२८.	सूचना/दस्तावेज हेतु	ऐसी कोई व्यवस्था बतायी नहीं गई	परिच्छेद-२३ में बताया गया अधिकारी जानने हेतु या कानून का कोई
	केन्द्र सरकार द्वारा		भंग नहीं, इसकी जानकारी किसी भी व्यक्ति से प्राप्त करने हेतु और

विचार जुलाई-सितम्बर, 2005 31

	निर्धारित प्राधिकरण का		केस के विवरण के साथ संलग्न व्यक्ति की जांच-पड़ताल हेतु उसे
	अधिकार		बुला सकता है (परिच्छेद-४१)
२९.	दिशानिर्देश हेतु केन्द्र	ऐसी कोई व्यवस्था नहीं	प्राप्त होने वाली विदेशी चंदे की पद्धित और किसी भी व्यक्ति द्वारा
	सरकार का अधिकार		चंदे का उपयोग हो सके इस उद्देश्य के संबंध में इस कानून में की
			गई व्यवस्था के पालन हेतु केन्द्र सरकार निर्धारित की गई किए गए
			प्राधिकरण को दिशानिर्देश दे सकेगी। परिच्छेद-४५)
₹0.	अधिकारों का हस्तांतरण	ऐसी कोई व्यवस्था नहीं	केन्द्र सरकार अपने अधिकार और कार्य निर्देशित अथवा किसी
			प्राधिकरण को सौंप सकेगी। (परिच्छेद-४६)
३१.	अग्रिम मंजूरी की अवधि	यदि अर्जी को ९०-१२० दिनों में	ऐसी कोई व्यवस्था नहीं।
	९० दिन/१२० दिन	खारिज कर दिया जाए तो ऐसा मान	
		लेना चाहिए कि अग्रिम मंजूरी दे दी	
		गई है। (अनुच्छेद-११)	•

पृष्ठ 48 का शेष भाग

राजस्थान में गत तीन माह के दौरान मध्याह्न भोजन योजना और समन्वित बाल विकास योजना (आईसीडीएस) पर देखरेख रखने के हमारे रचनात्मक अनुभव के बाद इन तीम माह दौरान प्राथमिक शालाओं में बालिकाओं के प्रवेश का मुद्दा उठाया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में इस विषय के बारे में चर्चा शुरू करने के लिए छः पंचायत संदर्भ केन्द्रों द्वारा 'मीना' फिल्म के ११७ प्रदर्शन आयोजित किये गए थे। अनेक स्थानों पर बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु वातावरण निर्मित करने के निमित्त संदर्भ-समूह के सदस्यों का भी अभिमुखीकरण किया गया था। इन तीन माह के दौरान रेडियो कार्यक्रम में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमता वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित किया गया था। महिलाओं पर हिंसा के बारे में महिला सदस्यों हेतु एक दिवसीय अभिमुखता कार्यक्रम आयोजित किये गए थे। अहमदाबाद में 'सेन्टर फोर एन्वायरन्मेंट (सीईई) के सहयोग से जैव वैविध्य के विषय में सरपंचों, पंचायत सदस्यों और संदर्भ-समूह के सदस्यों हेतु दो दिनों की एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। उसका उद्देश्य राजस्थान में बारबार पड़ने वाले अकाल के परिणाम स्वरूप रेगिस्तानी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण की जरूरत के बारे में उन्हें संवेदनशील बनाना था, क्योंकि उन क्षेत्रों में अनेक प्रकार की वनस्पतियां लुप्त होने के किनारे पर खड़ी हैं। २९ सितंबर, २००५ से १ अक्टूबर, २००५ तक सूक्ष्म स्तरीय आयोजन और सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन के बारे में कार्यकर्ताओं और पंचायत प्रतिनिधियों की क्षमता वृद्धि हेतु एक कार्यशाला आयोजित की गई थी।

शहरी शासन

गुजरात में साबरकांठा में प्रांतिज और खेड़ब्रह्मा में, कच्छ में अंजार और अहमदाबाद में धोलका व साणंद में बुनियादी सेवाओं व अन्य विकासपरक प्रवृत्तियों के आयोजन, अमल और देखरेख हेतु समुदाय को शामिल करने के प्रयास किये गए हैं। गुजरात महिला विकास निगम के साथ सम्बद्ध स्वयं-सहायता समूह, मानव गरिमा योजना, विधवा पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, राशन कार्ड आदि योजनाओं के लाभ प्राप्त हों, इसके लिए सभी स्थानों पर प्रयत्न किये गए हैं। धोलका में भारी वर्षा के परिणामस्वरूप कई झोंपड़पट्टी क्षेत्रों में नुकसान हुआ था। उकमें नुकसान का अनुमान लगाने हेतु एक सर्वेक्षण हाथ में लिया गया था और लाभार्थियों की पहचान की गई थी। 'असाग' के सहयोग से १३१ परिवारों को किट वितरित किये गये थे। खेड़ब्रह्मा में घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं को कानूनी सहायता और मार्गदर्शन देने हेतु मदद की गई थी।

राजस्थान में १७-१८ अगस्त २००५ के दौरान नगरपालिकाओं के चुनाव हुए थे। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर, चूरु, पाली, जैसलमेर व नागौर जिलों के १३ नगरों में चुनाव पूर्व मतदाता जागृति अभियान चलाया गया था। उसका मुख्य उद्देश्य था झोंपड़पट्टी में रहने वाले नागरिकों का मतदान की जरूरत और अहमियत समझाना और उम्मेदवारी पत्र कराना तथा मतदान की कार्यवाही के बारे में शिक्षण देना।

स्वास्थ्य रक्षा हेतु खर्च : जीवन-मरण का सवाल

मानव विकास में स्वास्थ्य एक महत्त्वपूर्ण मामला है। भारत में स्वास्थ्य रक्षा की सेवाएं विशेष रूप से गरीबों को उपलब्ध नहीं होती। सन् १९९१ के बाद के वर्षों में तो राज्य अधिक से अधिक मात्रा में स्वास्थ्य सेवाओं से पीछे हटता रहा है, ऐसा लगता है। ऐसे में 'इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स' की प्रशासनिक सम्पादक सुश्री संध्या श्रीनिवासन द्वारा लिखा हुआ यह लेख इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न को लेकर महत्त्व के मुद्दों की छानबीन करता है।

प्रस्तावना

अधिकांश भारतीय जिन बीमारियों से पीड़ित हैं, वे गरीबी और जीवन की खराब स्थिति के साथ जुड़ी हुई हैं। बालक बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उनको पर्याप्त टीके नहीं लगाये जाते। माता-पिता मर जाते हैं क्योंकि स्वास्थ्य केन्द्र बहुत दूर हैं, अथवा जीवन रक्षक दवाएं प्राप्त नहीं। लोगों को बीमार पड़ना पड़ता है और मरना पड़ता है, क्योंकि बुनियादी जरूरी इलाज नहीं मिलता, क्या यह अन्याय नहीं है? बुनियादी दृष्टि से देखें तो यह जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन है। ऐसे समाचार हम वर्षों से पढ़ रहे हैं। आदिवासी बालक चेचक रोग से मर जाते हैं। वे बीमार पड़ते हैं क्योंकि वे कुपोषण से प्रपीड़ित हैं। परिवार कर्जदार हो रहे हैं, क्योंकि उनको अपने बड़ों-बूढ़ों को बचाने पर बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है। अस्पतालों में मरीजों को जब तक बिल न चुकायें तब तक बिठाये रखा जाता है। दूसरी ओर क्रोधित मरीज और उनके संबंधियों द्वारा अस्पतालों के कर्मचारियों पर हमले किये जाते हैं।

गरीबी और बीमारी

भारत में ५ वर्ष से कम आयु के लगभग आधे बालक कुपोषण से पीड़ित है। एक अनुमान के अनुसार अकेले महाराष्ट्र में ही लगभग दो लाख बालक कुपोषण के साथ संबंधित रोगों के कारण हर साल मौत के शिकार होते हैं। भारत में लगभग पचास प्र.श. महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। देश में लगभग एक लाख महिलाएं प्रसूति के समय मर जाती हैं। इसका कारण यह है कि उनको

पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाता। प्रतिवर्ष लगभग ५ लाख लोग टी.बी. से मरते हैं। दूसरी और टी.बी. तो ऐसा रोग है जिसका इलाज संभव है और सरकार द्वारा उसका मुफ्त इलाज मिल पाना संभव है। पर्याप्त पोषण, स्वच्छ पानी और सफाई, प्रभावी टीके व स्वास्थ्य सेवाओं की प्राप्ति आदि इन मौतों को रोकने में समर्थ हैं। जीवन निर्वाह कमाने का अधिकार, अन्न का अधिकार, योग्य जीवन जीने का अधिकार, स्वास्थ्य रक्षा का अधिकार ये तमाम अधिकार परस्पर संबंधित हैं। लोग स्वयमेव ये अधिकार प्राप्त कर सकें, इस हेतु इन्हें सक्षम बनाना सरकार का दायित्व है।

अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे धनवान देशों में और श्रीलंका व क्यूबा जैसे गरीब देशों में भी सरकारें ये काम करती हैं। परंतु भारत में स्वास्थ्य रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण नहीं लगता। यद्यपि अनेक समितियों के प्रतिवेदनों में ऐसी प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। हाल के वर्षों में तो सरकार की इस प्रतिबद्धता को और ज्यादा सीमित कर दिया गया है। लोग बुनियादी उपचार प्राप्त नहीं कर पाये अतः गंदगी और मृत्यु स्वीकार लें, क्या यह अन्याय नहीं? देश भर से ऐसे समाचार मिल रहे हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की व्यवस्था बिगड़ रही है, सिकुड़ रही है। 'जन स्वास्थ्य अभियान' की सार्वजनिक सेवाओं में से भी प्रकट हो रही है।

यह परिस्थिति कैसे उत्पन्न हुई

स्वास्थ्य रक्षा हेतु होने वाले खर्च के बारे में गौर करें तो ज्ञात होता है कि मोटे तौर पर जनता ही इस भार को वहन कर रही है, सरकार तो बहुत कम खर्च करती है। तो फिर हमें इस बात का आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि दक्षिण एशिया क्षेत्र में सबसे खराब परिस्थित स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत की है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं यही बात व्यक्त कर रही है कि गरीब लोग गरीबी के जाल में फंसे हुए है। सरकारी नीति का इतिहास यह बताया है कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं ने भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में कैसी भूमिका अदा की है। अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति का विहंगावलोकन करने पर पता चलता है कि देश की संपत्ति कितनी है और स्वास्थ्य

पर कितना खर्च होता है, यही बातें जन-स्वास्थ्य पर असर डालती हैं, ऐसा नहीं, पर पैसा किस तरह खर्च होता है, वह महत्त्वपूर्ण है, उस पैसे का उपयोग किस तरह होता है वह महत्त्वपूर्ण है। इन दिनों स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की वृद्धि हो रही है। आवश्यक दवाएं मंहगी हो रही हैं और उनकी उपलब्धता घट रही है और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान ही नहीं दिया जाता, इसी भांति स्वास्थ्य रक्षा की महिलाओं की दशा पर भी ध्यान नहीं दिया जाता।

रास्ता कहा है?

एक बात स्पष्ट है और वह यह है कि स्वास्थ्य रक्षा का वितरण समान रूप से नहीं होगा, यदि उसे बाजार की वस्तु समझा जाएगा तो। स्पर्धा से भाव घटते ही हों ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य रक्षा प्राप्त करने की स्पर्धा में तो गरीब बाजार से बाहर ही फेंक दिये जाते हैं। अनेक प्रयोगों ने यह बताया है कि प्रभावरूप से स्वास्थ्य रक्षा प्राप्त करने हेतु समुदायों को एकत्र किया जा सकता है। यह स्वास्थ्य रक्षा व्यवसाध्य भी नहीं होती और साथ ही साथ टैक्नोलोजी की दृष्टि से बहुत जटिल भी नहीं। हालांकि उससे सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। सरकार काम करने लगे, ऐसे प्रयास करने की जरूरत है। 'जन स्वास्थ्य अभियान' ऐसा ही एक लोक स्वास्थ्य आंदोलन है। यह स्वास्थ्य रक्षा के अधिकार का प्रतिपादन करता है। दुनिया भर में इस प्रकार का आंदोलन चल रहा है। यह स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों पर ध्यान केन्द्रित

करता है। 'जन स्वास्थ्य अभियान' ऐसे अनेक गैर-सरकारी संगठनों का एक ऐसा मंच है कि जो स्वास्थ्य के राजनीतिक और गैर-राजनीतिक दृष्टिकोणों को अभिव्यक्त करता है। 'जन स्वास्थ्य अभियान' की प्रवृत्तियों में अनेक सुनवाइयों से लेकर राज्य व राष्ट्रीय स्तर की नीतियों में हस्तक्षेप करने तक का समावेश होता है। हाल ही में 'राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन' शुरू किया गया है। उसका उद्देश्य तमाम स्वास्थ्य कार्यक्रमों का समन्वय करना है। उसमें भी ऐसी ही एक दस्तंदाजी हाल में की गई है।

स्वास्थ्य का अधिकार सभी वंचितों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ चलने वाले 'जन स्वास्थ्य अभियान' के संयोजक श्री बी. इकबाल भी कहते हैं कि समस्या सिर्फ धन की नहीं, वह किस तरह काम में लिया जाता है, इसकी भी है। मोटे तौर पर स्वास्थ्य क्षेत्र की योजनाओं में लोगों की भागीदारी नहीं होती। परिणामतः लोग इन योजनाओं के आयोजन व अमल में शामिल नहीं होते। केरल में स्वास्थ्य क्षेत्र में विकेन्द्रीकरण का प्रयोग भी किया गया है। उसमें बड़े स्तर पर यह सिद्ध हुआ है कि लोगों की सहभागिता से समग्र स्वास्थ्य रक्षा की कार्रवाई बदली जा सकती है। उसमें कुछ ज्यादा धन की जरूरत नहीं पड़ती। लोक सहभागिता विकास का महत्त्वपूर्ण मंत्र है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों की दशा सुधारनी होगी तो सरकार इस क्षेत्र में जो काम करती है, उसमें लोगों को आयोजन और क्रियान्वयन के मामले में भागीदार बनाना पडेगा।

'स्माइल फाउन्डेशन की अपील

'स्माइल अधिकार आधारित अभिगम से बाल कल्याण की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने वाला एक विकासलक्ष्मी संगठन है। यह वंचित बालकों की बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य रक्षा पर ध्यान केन्द्रित करता है और उनको सक्षम बनाने के लिए काम करता है। यह मानता है कि शिक्षा प्रत्येक बालक का जन्म सिद्ध अधिकार है और यह स्थानीय संगठनों को मजबूत करने और इस क्षेत्र में उनकी क्षमता बढाने का काम करता है। 'स्माइल' निम्न विषयों हेतु प्रयासों को प्रोत्साहन देता है:

 बालक शिक्षा व स्वास्थ्य-रक्षा प्राप्त करें, इसके लिए गैर-सरकारी संगठनों की क्षमता बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता और संसाधन देना।

- औपचारिक/अनौपचारिक शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण और स्वास्थ्य रक्षा हेतु समुदाय, निजी, सार्वजनिक कंपनियों व संगठनों के साथ भागीदारी।
- दाता व प्राप्तकर्ता के बीच भागीदारी।
- बालकों व युवाओं की समस्याओं संबंधी हिमायत-अभियान को समर्थन।

गुजरात में अहमदाबाद, गांधीनगर, महेसाणा, आणंद और खेड़ा जिलों में तथा राजस्थान में अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चितौड़गढ, दौसा, जयपुर व झुनझुन जिलों में स्वास्थ्य कार्य करना चाहता है। प्रोजेक्ट हेतु सहायता प्राप्ति के आकांक्षी गैर-सरकारी संगठन संपर्क करें: mumbai@smilefoundationindia.org

नोबल शांति पुरस्कार हेतु १००० महिलाओं की उम्मेदवारी

इस वर्ष १५० देशों की एक हजार महिलाओं के नाम विख्यात नोबल शांति पुरस्कार हेतु संयुक्त रूप से भेजे गए थे। जनवरी २००५ मे नार्वे की राजधानी ओस्लो में ये नाम प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत किये गए। ये एक हजार नाम दुनिया भर में शांति और मानव गौरव के लिए काम करने वाली असंख्य महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में से इन एक हजार महिलाओं में स्थान प्राप्त करने वाली राजस्थान में सामाजिक कार्यकर्ता सुश्री कोमल श्रीवास्तव द्वारा इस लेख में इस समग्र प्रक्रिया और इसके मंतव्य पर प्रकाश डाला गया है।

शांति मूल्यवान और कीमती है

आज अपने जीवन में जब हम रोजाना हिंसा का सामना करती हैं तो लगता है, वाकई शांति मुश्किल से ही मिलने वाली वस्तु है। राष्ट्रों के बीच के और धार्मिक समूहों के बीच के युद्धों, आर्थिक नीतियों, बाजार के परिबलों और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय नीतियों के परिणामस्वरूप ऐसा हुआ है। दुनिया भर में ये नीतियां और व्यवहार मात्र शक्तिशाली लोगों और धनवानों के हित में ही होते हैं। शस्त्रों, फौजों और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए प्रचुर मात्रा में धन व्यय होता है।

आम जनता, विशेष रूप से पददिलत लोग, महिलाएं और गरीब, ऐसा लगता है, अधिक से अधिक मात्रा में अपने जीवन पर अंकुश गंवा रहे हों। हाल के वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव देखे हैं: भुखमरी में वृद्धि हुई है, कुपोषण बढ़ा है, प्राकृतिक संसाधनों का विनाश हुआ है और वे प्रदूषित हुए हैं। स्थलांतरण, विस्थापन और बेकारी बढ़े हैं। समाज के आधारभूत ताने-बाने के समक्ष खतरा उत्पन्न हुआ है और उनमें बालकों व महिलाओं पर सबसे ज्यादा प्रतिकूल असर पड़ा है।

विविध राष्ट्रों, धार्मिक समूहों और समुदायों के बीच अनेक शांति संधियां हुई हैं और शांति नीतियां गढ़ी गई हैं, पर ये इतनी ज्यादा जिटल हैं कि गरीब, बहिष्कृत लोग इन नीतियों का वास्तव में शिकार बन जाते हैं। ऐसी अनेक नीतियां हिंसा और असुरक्षा की तरफ खींच ले जाती है और संसार के विविध प्रदेशों में अशांति एक साथ ही बढ़ती है, जिसका उद्देश्य नागरिक समाज का विनाश करना है।

दुनिया भर में ऐसे बहुत लोग और विशेष रूप से महिलाएं हैं कि जो हिंसा को रोकने, हिंसा को बढ़ने न देने और हिंसा से लगे घावों को भरने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वे सुरक्षित जीवन के लिए बिना किसी दंभ के काम करते हैं - ऐसा सुरक्षित जीवन कि जो भेदभाव से मुक्त हो, स्वास्थ्यप्रद पोषण व स्वच्छ पानी जिसमें उपलब्ध होता हो, स्वास्थ्य रक्षा और शिक्षा जिसमें प्राप्त होते हों, शोषण से रक्षा मिलती हो ओर विशेष रूप से संघर्षों का हल अहिंसक रूप से मिलता हो। परंतु उनके काम की शायद ही कोई कद्र होती है।

अति विख्यात नोबल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वालों में भी महिलाएं बहुत कम हैं। यह सामान्यतया ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है कि जो शांति की प्रक्रिया में बहुत बड़ी जिम्मेदारी वहन करता है। १९०१ में इस नोबल शांति पुरस्कार की शुरूआत हुई। तब से अब तक ८० पुरुषों, २० संगठनों और १२ स्त्रियों को शांति को प्रोत्साहन देने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए यह इनाम मिला है।

२००५ के नोबल शांति पुरस्कार हेतु १००० महिलाओं का दावा

१९०५ में सर्व प्रथम बर्था वोन सटनर नामक महिला को नोबल शांति पुरस्कार दिया गया था। इस बात को सौ वर्ष हो गए। सौ वर्षों के बाद महिलाओं के काम को स्वीकृति मिली है। इन एक हजार महिलाओं ने जो उल्लेखनीय कार्य किया है, उसे इस विख्यात और प्रतिष्ठित इनाम के लिए भेजा गया है, उसी से उनको स्वीकृति प्राप्त हुई है। अन्याय, भेदभाव, दमन व हिंसा का सामना करने के महिलाओं के प्रयासों को इससे दर्शनीय बनाने का इरादा है। इसी से शांति के लिए काम करने वाली इन महिलाओं की विविध व्यूह रचनाओं का दस्तावेजीकरण हुआ है और उसे दुनिया भर में दृश्यमान बनाया गया है। इसके लिए लिखित विवरण, ध्विन, दृश्य, जीवन-चिरित्र व फिल्म उपलब्ध कराई गई हैं। इस दस्तावेजीकरण का उद्देश्य रचनात्मक रूप से संघर्षों के निराकरण संबंधी सर्जनात्मक व वैविध्यपूर्ण व्यूह रचनाओं का निदर्शन करना है। यह प्रक्रिया निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ शुरू हुई थी।

शांति को प्रोत्साहन

ऐसी आशा थी कि यदि इन महिलाओं को नोबल शांति पुरस्कार मिलेगा तो उनकी स्वीकृति बढ़ेगी और दुनिया भर में महिलाओं के काम का सम्मान होगा। महिलाएं शायद ही अकेली काम करती हैं। वे नेटवर्कों में सिक्रय हैं। साथ-साथ इन १००० महिलाओं के शांति कार्य की प्रसिद्धि होगी।

शांति कार्य की वैज्ञानिक रूप से छानबीन

जिनके नाम नोबल शांति पुरस्कार के लिए उल्लिखित हुए हैं उन महिलाओं और उनके काम तथा उनकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन हेतु व्यूह रचनाएं, भावी संघर्ष, शोध और शांति के प्रोत्साहन संबंधी नीति निर्धारण हेतु अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। इस कारण से ही, सभी भागों की विविध युनिवर्सिटियों के शोधकर्ता शांति के इन प्रयासों को वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करेंगे और उनके परिणाम प्रकाशित करेंगे।

नेटवर्कों की मजबूती

इस प्रयास से शांति के नेटवर्कों और महिलाओं के नेटवर्क मजबूत होंगे और संभव हुआ तो नए उत्पन्न होंगे। यह दस्तावेजीकरण विश्व भर की शालाओं और युनिवर्सिटियों को उपलब्ध होगा और इसमें से विद्या जगत में परिवर्तन के इस कार्य के संबंध में और अधिक विनिमय होगा और सामग्री का मूल्यांकन होगा।

इस तरह विश्व भर में महिलाओं द्वारा शांति हेतु होने वाला कार्य सुंदर ढंग से उपलब्ध होगा, आसानी से समझने योग्य होगा और उसका प्रचार-प्रसार होगा। इस तरह संघर्ष की परिस्थिति में स्त्रियां व पुरुष शांतिपूर्ण समाधान हेतु प्रतिबद्ध होने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

शांति का विचार

इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में शांति की विभावना को व्यापक बनाया गया है। उसमें मानव सुरक्षा, भेदभाव और हिंसा के विरुद्ध रक्षा, शिक्षा, राजनीतिक सहभागिता, स्वास्थ्य रक्षा और परिवार नियोजन के अधिकार, स्वामित्व के नियमों, संसाधन की मुफ्त प्राप्ति और कानून के शासन आदि बातों पर आधार रखा गया है। इस तरह शांति के अनेक पहलू हैं:

- मानव अधिकारों को प्रोत्साहन और उनकी रक्षा।
- बालकों, महिलाओं, विकलांगों व अन्य दुर्बल समूहों की रक्षा।
- तमाम स्वरूपों में गरीबी का उन्मूलन।
- स्वस्थ व चिरंतन प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण।
- ढांचागत हिंसा व भेदभाव (पितृ सत्तात्मक, जातिगत वर्गीय जातीय और (वंशीय) के विरुद्ध संघर्ष।
- न्यायी, सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था की स्थापना।
- संसाधनों की सार्वत्रिक प्राप्ति।
- शांति की चर्चा और संघर्ष में मध्यस्थता को प्रोत्साहन।
- स्वास्थ्य और शिक्षा।
- शांति को खतरे में डालने वाली व्यवस्था का विश्लेषण।
- मानव अधिकारों का उल्लंघन और युद्ध-अपराधों का दस्तावेजीकरण।
- तमाम शस्त्रों और विशेष रूप से छोटे शस्त्रों के प्रसार के खिलाफ कार्रवाई।

उम्मेदवारी का मापदंड

महिलाओं की उम्मेदवारी संबंधी मुख्य मापदंड संक्षेप में नीचे दिये जा रहे हैं:

- वे संघर्ष की परिस्थिति में ढांचागत अन्यायों और असमानताओं के विरुद्ध सिक्रय अहिंसक प्रतिक्रिया व्यक्त करती हैं और वैसी प्रतिक्रिया को प्रोत्साहन देती हैं।
- उनके कार्य स्थायी हैं और लंबी अवधि के हैं।
- वे उदाहरण स्वरूप नेतृत्व प्रदान करती हैं, नैतिक हिम्मत और उत्तरदायित्व के साथ व्यवहार करती हैं।

- उनका सामाजिक, आर्थिक व राजिनतीक परिवर्तन का कार्य उदाहरण है और अनुकरणनीय है।
- वे शांति के प्रयोजन हेतु काम करती हैं न कि राजनीतिक लाभ या स्वयं के लाभ के लिए।
- उनके काम पारदर्शी हैं और व्यापक जागरूक सिहष्णुता पर आधारित हैं।
- वे विविध पृष्ठभूमि वाले और संघर्षों से विभाजित दुनिया भर के तमाम लोगों को बिना किसी भेदभाव समाहित कर लेती हैं और उनके साथ काम करती हैं।

चुनौती स्वरूप कार्य

एक हजार महिलाओं की उम्मेदवारी दर्ज कराने का काम २००३ में शुरू हुआ। उनमें शांति के लिए काम करने वाली महिलाओं की प्रतिबद्धता को स्वीकृति मिले और सब को उसकी जानकारी मिले, ऐसी प्रतिबद्धता उनके पीछे निहित रही थी। यह आरंभ में स्विटजरलैंड के प्रयासों से शुरू हुआ, परंतु बाद में इसे वैश्विक समर्थन मिला। दुनिया के अलग-अलग २० देशों के अनेक स्वैच्छिक सहायकों और संयोजकों ने यह काम किया। उन्होंने अपने देशों से इन महिलाओं की पहचान की और उनके काम का दस्तावेजीकरण किया तथा सूचनाओं को लेने-देने की पद्धतियां खुली रखी। स्विटजरलैंड की विदेश मंत्री सुश्री मिकेलाईन काल्मी के, यूनिफेम और यूएनडीपी तथा स्विटजरलैंड की यूनेस्को शाखा ने इस समग्र कार्य को समर्थन-सहयोग प्रदान किया।

वर्तमान और भावी पीढ़ियों के जीवन की दशा सुधारने के लिए उनकी स्थायी प्रतिबद्धता को मान्यता प्रदान करने हेतु इस वर्ष जनवरी में नोबल शांति पुरस्कार हेतु इनकी उम्मेदवारी दर्ज की गई। दिनांक २९-९-२००५ को इन १००० महिलाओं के नाम घोषित किये गए।

शांति की १००० सहभागी

जिन महिलाओं का चयन किया गया है, वे सुरक्षापूर्ण और गौरवपूर्ण जीवन की स्थापना के काम में निष्णात हैं। उनके पास पैसा सीमित है, परंतु वे प्रभावी व्यूह रचनाएं करती हैं और उससे वे नागरिक साज की एक बड़ी ताकत का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके अनुभव उनके देशों व प्रदेशों की राजनीतिक परिस्थिति के साथ घिनिष्टता से जुड़े हुए हैं और वे अपने समाजों की कमजोरियां जानती हैं। उनकी प्रवृत्तियों पर दृष्टिपात करने से लगता है कि वे इन क्षेत्रों में काम करती हैं : राजनीतिक अधिकार, आर्थिक नीतियां, शांति को प्रोत्साहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, बल अधिकार व हिंसा, संगठित अपराध और मनुष्यों के व्यापार के विरुद्ध लड़ाई। वे सभी स्तरों पर - स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय- पर सिक्रय हैं।

प्रतीकात्मकता और संकल्पना

इस सम्पूर्ण कार्य का उद्देश्य है - विश्वभर में प्रवर्तमान विविध प्रकार के संघर्षों की दशा में इन महिलाओं की व्यूह रचनाओं, कार्य-पद्धितयों, प्रेरणा, दृष्टि और नेटवर्क जैसे भी रहे हो, उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हो। अतः पत्रकारों ने इन महिलाओं के बारे में सूचनाएं एकत्र की हैं और इनके जीवन-चिरत्र लिखे हैं। संकलित करने वालों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने फोटो एकत्र किये हैं और इनके काम का दस्तावेजीकरण किया है। चिरत्रकारों और फोटोग्राफरों ने एक चलती-फिरती प्रदर्शनी हेतु भूमिका तैयार की है और इन १००० महिलाओं के बारे में पुस्तक तैयार की है।

इन महिलाओं की वैयक्तिक प्रतिबद्धता इनकी सहभागिता और मध्यस्थता को व्यक्त करती है कि जो अभी हाल शांति व सुरक्षा लाने हेतु वे विश्व के जिन भागों में काम करती हैं, वे प्रदेश महत्त्वपूर्ण हैं। हालांकि जो संक्षिप्त जीवन-चिरत्र तैयार किये गए हैं वे तो वास्तव में प्रस्थान बिंदु मात्र हैं। आरंभ से ही यह बात स्पष्ट हो गई थी कि ये महिलाएं अपनी जानकारी व सर्जनात्मकता की वजह से वर्तमान व भावी दोनों पीढ़ियों हेतु मानवीय सुरक्षा निर्मित करने और उसके निर्वहन हेतु मजबूत व सच्ची सहभागी हैं।

स्थायित्व

पुस्तक व प्रदर्शन विश्वभर में प्रवास करेगा। इन महिलाओं के वर्तमान नेटवर्क तक पहुंचने हेतु सम्प्रेषण की अद्यतन तकनीकों का उपोयग किया जाएगा। महिलाओं और उनके संगठनों के

शेष पृष्ठ 46 पर

गतिविधियाँ

सफाई कर्मचारियों का मांगपत्र

सफाई कर्मचारियों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। विगत कई महीनों के दौरान, विशेष रूप से गुजरात के बड़े शहरों में गटर साफ करने वाले सफाई कर्मचारी दम घुटने से मर जाते हैं, ऐसी घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं, पर तंत्र इस मामले में गंभीर मालूम नहीं पड़ता। अतः गुजरात की ३९ संस्थाओं द्वारा 'सफाई कर्मचारी संघर्ष अभियान' की शुरूआत की गई है। इस अभियान के अधीन अधिकारियों के समक्ष एक मांग-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अप्रैल से जुलाई २००५ तक चार महीनों की अवधि में १६ वाल्मीिक दिलत कर्मचारी तंत्र की उपेक्षा के कारण गटर की सफाई करते समय मर गए है। यह सारी कार्यवाही निजी ठेकेदारों को सौंपे जाने से और निजी ठेकेदारों द्वारा सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा का पर्याप्त ध्यान रखे बिना ही उनको मैनहोल में उतार दिये जाने से ऐसी घटनाएं अधिक होती हैं। ऐसा कदम उठा कर महानगरपालिकाएं और निगम अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय हाथ खड़े कर देने का आचरण करते हैं। भूगर्भ गटर और भूमि पर मैले को साफ करने की कार्यवाही को आवश्यक सेवा गिना जाता है। परंतु इस आवश्यक सेवा के साथ जुड़े हुए कर्मचारियों की सुरक्षा की नितांत उपेक्षा की जाती रही है। आवश्यक सेवा का संचालन सरकार के द्वारा ही किया जाता है।

उदारणार्थ फायर ब्रिगेड और पुलिस सेवा आवश्यक सेवा ही है। इन दोनों सेवाओं को कभी ठेके पर नहीं दिया जाता। इसी भांति सफाई की सेवा भी ठेके पर नहीं देनी चाहिए, ऐसा सर्व-स्वीकार्य नियम होते हुए सरकारी विभाग अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए ये काम ठेकेदारों को सोंप कर कर्मचारियों की मौतों को अधिक दुर्घटनाएं घटने के बावजूद निजी ठेकेदारों को ही इस सेवा का काम सौंप रहे हैं। दूसरे, स्वास्थ्य रक्षा के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, इसका कर्मचारियों को ज्ञान दिया नहीं जाता। सरकार द्वारा या निजी ठेकेदारों द्वारा सफाई मजदूरों को उनके कामकाज

38

के बारे में कोई व्यवस्थित प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। वाल्मीिक और दिलत समाज के लोग इस सेवा से जुड़े होने के कारण उनकी सुरक्षा की उपेक्षा की जा रही है। अतः सफाई कर्मचारी निम्नानुसार मांगे कर रहे हैं:

- (१) गटर सफाई मजदूरों से संबंधित वर्तमान कानूनों में परिवर्तन किये जाएं।
- (२) निजी ठेकेदारों हेतु सरकारी नियम बंधनकारी बनें और उनका उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा मिले।
- (३) सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ाने वाले नियम बनाए जाएं और स्वास्थ्य रक्षा हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए।
- (४) सफाई कर्मचारियों के उत्तराधिकारियों को उनकी योग्यता के अनुरूप तत्काल नौकरी दी जाए।
- (५) ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाए, उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन किया जाए।
- (६) सुरक्षा समिति गठित की जाए, कार्यस्थल पर उचित-सानुकूल व्यवस्था की जाए।
- (७) सरकारी योजनाओं और आरक्षण हेतु क्रियान्वयन की समीक्षा की जाए।
- (८) व्यावसायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जाए, मुवावजे के नियम बनाए जाएं।
- (९) सफाई कर्मचारियों के लिए गुणवत्ता वाले सुरक्षा साधनों की व्यवस्था की जाए।
- (१०) सफाई कर्मचारियों के आवास को यथासंभव जातिमुक्त बनाया जाए।
- (११) बी.पी.एम.सी. एक्ट को बदल कर गुजरात का नया एक्ट बनाया जाए।
- (१२) सफाई कर्मचारियों व उनसे संबंधित ऊपर वाले कर्मचारियों के स्थान तत्काल भरे जाएं।
- (१३) सफाई कर्मचारियों का सम्मान हो, काम के समय होने वाली मृत्यु के समय जिम्मेवार लोगों को सजा दी जाए।
- (१४) सफाई कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी मानकर वेतन

विचार जुलाई-सितम्बर, 2005

स्वयं सरकार चुकाए।

- (१५) दैनिक कर्मचारियों को स्थायी किया जाए।
- (१६) अल्पकालिक कर्मचारियों को स्थायी करें व उन्हें वे सभी हक मिलें जो मिलने चाहिए।

अधिक विवरण हेतु सम्पर्क करें : कर्मचारी स्वास्थ्य रक्षा मंडल, ए-९, मुरली एपार्टमेन्ट, टाइम्स ऑप इंडिया प्रेस रोड, वेजलपुर, अहमदाबाद-३८० ०५१, फोन : ०७९-२६७३२१९१

शांति, शिक्षा और संघर्ष निवारण

शांति, शिक्षा और संघर्ष निवारण विषय के संबंध में दिनांक ३ मार्च, २००५ से ९ मार्च, २००५ के दौरान 'दिलत शिक्त केन्द्र' साणंद में 'सेन्टर फोर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलिरजम', मुम्बई द्वारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण के मुख्य संयोजक जाने माने विद्वान और मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉ. असगर अली इंजीनियर थे। चारों ओर होने वाले संघर्षों के अनेकानेक कारणों के बीच हमारा देश घुटन महसूस कर रहा है। जाति, भाषा. संस्कृति या धर्म को लेकर होने मुठभेड़ों के कारण समाज की आर्थिक तथा सामाजिक विकास की गित अवरुद्ध हो रही है। तरह-तरह के मुद्दे उठा कर विविध मुखौटे पहनकर फूटने वाली हिंसा का हमारा देश साक्षी है। अब तो सामाजिक संघर्षों ने पराकाष्टा पर पहुँचकर धर्म आधारित आतंक का रूप धारण कर लिया है।

विगत कई दशकों से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और काश्मीर में आतंकवादी आक्रमणों का भड़कते रहना। मानो रोजमर्रा की बात हो चुकी है। गोधरा से अक्षरधाम तक की गुजरात में हुई हिंसा ने समाज के उद्देश्यों को झकझोर डाला है और समाज में प्रवर्तमान तंगदिली का समाधान न निकाले जाने से उमड़ हुए भय की तरफ भी अंगुलिनिर्देश करता है। ये घटनाएं हमारे प्रजातंत्र के लिए खतरनाक भी हैं। लोकतंत्र में वैसे तो प्रत्येक विविधता को एकता के माहौल में विकसित होने की पर्याप्त अवसर मिलता है, परंतु हमारा तो यही अनुभव रहा है कि कई स्थापित हितों ने इस विविधता का उपयोग संघर्ष निवारण हेतु नहीं किया, न हमारे लोकतंत्र तथा स्वतंत्रता को अवरुद्ध करने वाले राजनीतिक प्रवाहों को समाप्त करने का प्रयास किया।

उपर्युक्त अभ्यासक्रम इस प्रकार के प्रश्नों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें प्रजा व तंत्र की अनेकविध लाक्षणिकताओं को मजबूत करने का उद्देश्य विद्यमान है। अभ्यासक्रम एक उद्देश्यलक्ष्यी प्रयास है, जिसके माध्यम से सामाजिक कार्यकर्ताओं को सुसज्ज किया गया है, तािक अलग-अलग तरह की संघर्ष की परिस्थिति के दौरान वे भारतीय संविधान के ढांचे में रहकर समाज के कमजोर लोगों के अधिकार की रक्षा करें, संभालें तथा उसे मजबूत कर सकें। प्रशिक्षण के दौरान संघर्षों के लगभग प्रत्येक पहलू को समेटा गया तथा शांति-शिक्षा के प्रयासों को विशेष महत्त्व दिया गया। भाषा, जाित, संस्कृति तथा धार्मिक जैसी अनेक विविधताओं को जोड़ने वाले विषय मुख्य रहे।

अपने देश की विशालता व विविधता को ध्यान में रखते हुए इन अनेक मुद्दों का पर्याप्त मूल्यांकन करना जरूरी है अतः ऐसी समझ पैदा की गई है। धीरे-धीरे यह समझ में आ रहा है कि शांति विकसित करने का संदेश फैलाने का कोई व्यवस्थित प्रयास नहीं हुआ। कुछेक कार्यकर्ता समर्पित होकर कार्यक्षम हैं अवश्य, पर इस काम का फैलाव बढ़ाने की सख्त जरूरत है। कार्यकर्ताओं की ऐसी श्रृंखला स्थापित होनी चाहिए ताकि यह संदेश देश के कोने-कोने में पहुंच सके।

अभ्यासक्रम के उद्देश्य

- (१) भारत की परिस्थिति की समझ प्रदान करना।
- (२) धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषागत विविधता के प्रति आदर विकसित करना।
- (३) अलग-अलग धर्मों के सम्प्रदाय विषयक प्रशिक्षणार्थियों के विचारों का पूनर्गठन करना।
- (४) मूल्यों व शांति-शक्षा के शिक्षण का प्रसार करना।
- (५) प्रशिक्षणार्थियों को संघर्ष-निवारण के प्रसार के बारे में पर्याप्त ज्ञान और समझ देकर सुसज्ज करना।

अभ्यासक्रम के विषय

इस कार्यशाला के विषय इस प्रकार थे: संघर्ष निवारण के सिद्धांत, विभाजन का दु:खांत, साम्प्रदायिक तकराहटें - सामाजिक सामान्य ज्ञान की भूमिका, अल्पसंख्यकों के बारे में भ्रामक मान्यताएं,

काश्मीर : एक जटिल समस्या,

इस्लाम में हिंसा - इस्लाम विषयक गैर-मान्यताएं,

धर्म, सेक्युलर होने के प्रकार - १९ वीं सदी के उत्तरार्ध में

भारत की यात्रा,

समान नागरिक कानून,

भारत में स्वाधीनता उपरांत कौमी राजनीति,

लोकतंत्र, बहुविधता और पहचान,

शिक्षाः श्रद्धा या तर्क.

आतंक की राजनीति,

हिंदुत्व और लैंगिक न्याय,

साम्प्रदायिक संस्थाएं.

कौमी दंगों की मानसिक जड़ें,

गुजरातः हिन्दू राष्ट्र की प्रयोगशाला,

गुजरातः जनसंहार का ढांचा,

धर्म व समाजः भारत के संदर्भ में,

हिंदुत्व और दलित,

भारतीय गणतंत्र में सेक्युलरिजम के आचरण की दुविधाएं,

मुम्बई के दंगेः अल्पसंख्यकों का समूहीकरण,

आदिवासी और हिंदुत्व,

संघर्ष निवारण हेतु व्यूहरचना।

डॉ. असगर अली इंजीनियर के अलावा मुम्बई के जाने-माने मनोवैज्ञानिक डॉ. हरीश शेट्टी, एडवोकेट इरफान इंजिनियर, प्रो. राम पुनियानी, श्री अच्युत याज्ञिक, एडवोकेट श्री मुकुल सिन्हा तथा श्री सोफिया खान ने प्रशिक्षणार्थियों को सम्बोधित किया था। समूह चर्चा, आपसी खेल, रोल-प्ले तथा विषय के अनुरूप फिल्में दिखाई गई थीं।

प्रशिक्षणार्थीगण

गुजरात की विविध स्वैच्छिक संस्था के प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। दुःखद स्थिति यह रही कि जहां सबसे ज्यादा इस प्रकार के प्रयत्नों की जरूरत है, वहां इस विषय में सहभागी बनने के उत्साह का अभाव नजर आया। लगभग १०० आमंत्रण-पत्र भेजने के प्रत्युत्तर में ६० से अधिक मित्रों ने कार्यक्रम से जुड़ने की मंशा दर्शाई थी, परंतु आश्चर्य कि मात्र २३ प्रशिक्षणार्थी ही सहभागी बने और उनमें से भी चार प्रशिक्षणार्थी बीच में ही कार्यक्रम छोड़ गए।

अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क साधें : 'सफर', ए३/२०३, अनमोल टावर्स, नारणपुरा टेलिफोन एक्सचेंज के सामने, अहमदाबाद ३८००६३, फोन: ०७९-२७४८७४६१, इ-मेल: safar@icenet.net

जामनगर जिले में अन्न सुरक्षा अधिकार अभियान

गुजरात में कई अंचलों में अन्न सुरक्षा अधिकार अभियान विगत काफी समय से कार्यरत है। उसमें आनंदी, ग्राम विकास ट्रस्ट, नव ज्योत, पर्यावरण विकास केन्द्र, सावाराज, प्रयास, अभियान आदि संस्थाएं कार्यरत हैं। गुजरात के जामनगर जिले की ओखा मंडल और कल्याणपुर तहसीलों में अन्न उपलब्धता सर्वेक्षण ग्राम्य विकास ट्रस्ट द्वारा किया गया। उसमें १२ महीनों से कितने महीनों का अनाज मिला है, यह छानबीन की गई। यह समग्र प्रक्रिया ओखामंडल और कल्याणपुर तहसीलों के ७१ समूहों की ९९८ बहनों के साथ की गई।

इस प्रक्रिया के दौरान जानने को मिला कि भीमराणाघड़ा क्षेत्र में लोग ट्रेन के वेगन से नीचे बिखरा अनाज बीनकर साफ करके खाते हैं। उनकी आर्थिक परिस्थित की जांच पडताल करने पर जानने को मिला कि अपर्याप्त मजदूरी मिलती है और वे फुटकर मजदूरी करते हैं। माह में लगभग १५ दिन ठेकेदार उनको काम पर रखते हैं। शेष १५ दिन उनको कोई काम नहीं मिलता। इससे दो जून की रोटी भी पूरी नहीं मिल पाती।

इस संदर्भ में अन्न सुरक्षा विषयक सरकार की आठ योजनाओं के बारे में महिला मंडलों की बहनों के साथ चर्चा की गई। उसमें अंत्योदय योजना, मध्याहन भोजन योजना, राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना, राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, सार्वजिनक वितरण व्यवस्था, आंगनवाडी योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना आदि का समावेश हुआ था। इसमें से जो निष्कर्ष प्राप्त हुए उन्हें एक अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया। यह चौथा अधिवेशन द्वारका में १२-८-०५ को आयोजित हुआ था। पूर्व में

देवगढ़ बारिया, माळिया और अंजार में तीन अधिवेशन आयोजित किये गए थे।

इस चौथे अधिवेशन में विविध महिला मंडलों की बहनें, युवक और विविध क्षेत्रों के अग्रणियों सिहत लगभग १००० लोग उपस्थित थे। जांच के दौरान २२८ के लगभग प्रतिनिधि-रूप मामले इस अधिवेशन में प्रस्तुत हुए थे। संपर्क: ग्राम्य विकास ट्रस्ट, ओखा-हाईवे रोड, द्वारका-३६१ ३३५. फोन: ०२८९२-२३६५५१, २३६५५२, ई-मेल: gvtdwarka@yahoo.com

निर्माण कार्य कार्यकर्ताओं की विशाल रैली

'निर्माण कार्य मजदूर संगठन' के नेतृत्व के अधीन बड़ौदा शहर में ३-१०-०५ को विराट रैली का आयोजन करके निर्माण कार्य कार्यकर्ताओं ने संगठित शक्ति का प्रदर्शन किया। इस रैली में लगभग १५०० कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। यह रैली सयाजीगंज से निकलकर आराधना टाकीज होती हुई कलेक्टर कार्यालय पहुंची थी। वहां संगठन के महामंत्री श्री विपुल पंड्या ने संगठन की कार्यकारिणी के सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल के साथ कलेक्टर को आवेदन पत्र सौंपा था और निर्माण कार्यकर्ताओं की परती मांगों को हल करने हेतु निवेदन किया था।

उन्होंने अनुरोध करते हुए बताया था कि निर्माण कार्य कार्यकर्ता कल्याण बोर्ड तभी सिक्रय होगा कि जब निर्माण कार्य के व्यय पर १ प्रतिशत सेस वसूलना शुरू किया जाएगा। श्री पंड्या ने आदिवासी कार्यकर्ताओं की रैन बसेरा योजना के क्रियान्वयन के बारे में कलेक्टर का ध्यान आकर्षित किया था। साथ ही बड़ौदा शहर में जैसे रिक्शा स्टैंड, टैक्सी स्टैंड निश्चित किये गए हैं, वैसे निर्माण कार्य कार्यकर्ताओं हेतु दिहाड़ी प्राप्त करने के लिए खड़े रहने का स्थान अधिकृत होना चाहिए और वहां छाया, पेय जल व शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

कार्यकर्ताओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में अभियान चलाते और 'सलामती' पत्रिका के सम्पादक श्री जगदीशभाई पटेल ने बताया था कि निर्माण कार्य कार्यकर्ताओं का कानून-१९९६ के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग के निदेशक की है, परंतु वे तभी काम कर सकेंगे कि जब उनके पास पर्याप्त मात्रा में निरीक्षण का विभाग होगा। उन्होंने आगे बताया कि निर्माण कार्य में दुर्घटना की संख्या अधिक होने से इस उद्योग को जोखिमी उद्योग के रूप में घोषित करना जरूरी है।

कलेक्टर को आवेदन पत्र देने के बाद रैली प्रेमानंद साहित्य हॉल में सभा के रूप में बदल गई थी। सभा की शुरूआत में संगठन के कार्यकारिणी सदस्यों और नेताओं ने अपनी समस्याएं आक्रोशपूर्वक प्रस्तुत की थी। बांसवाड़ा के एक नेता ने बताया कि 'हमारे क्षेत्र में मजदूरों को भेड़ों-बकरों की तरह बसों में यात्रा करनी बड़ती है। इसके बावजूद सरकार हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं करती। हम सरकारी बस में मुफ्त में तो मुसाफरी नहीं करते, तो फिर सरकार हमारी सुविधा के लिए बस की व्यवस्था क्यों नहीं करती? श्री धनसुख मावी ने बताया था कि 'यहां से जाग्रत होकर जायेंगे तो अन्य दस कार्यकर्ताओं को जाग्रत करेंगे। सुश्री रीना बहन राठौड़ ने बहनों का शोषण रोकने के लिए बहनों से स्वयं आगे आने का आह्वान किया।'

गुजरात ट्रेड यूनियन कौंसिल के श्री भरतभाई पाठक ने बताया कि बड़ौदा शहर में आदिवासी कार्यकर्ता संगठित हुए हैं, यह अत्यंत आनंद का विषय है। सीटू के श्री नगीनभाई ने सभा में उपस्थित एल.आई.बी. के अधिकारियों को संकेत में बताया कि यहां सरकार के गुप्तचर बैठे हैं, वे सरकार को सच्चा विवरण दें। बड़ौदा के पी.यू.सी.एल. के अग्रणी श्री किरीटभाई ने बताया था कि निर्माण कार्य कार्यकर्ता हमेशा के लिए दूसरों की सुविधा का काम करते हैं, पर आज तुम अपने हक-अधिकार मागंने इकट्ठे हुए हो, और स्वयं के निर्माण कार्य हेतु आगे आए हो, इसके लिए सब का अभिनंदन करता हूं'

एकलव्य संगठन के मंत्री श्री लालिसंह पारगी ने आदिवासी विधानसभा सदस्य पर तीखे प्रहार करते हुए कहा ता कि 'हम जिन लोगों को हमारे विकास के लिए भेजते हैं, वे विधानसभा में जाकर कुछ काम नहीं करते। हमारी आवाज व्यक्त नहीं करते। हमें ऐसे विधानसभा सदस्यों को पहचान कर रुखसत' कर देने की जरूरत है। उन्होंने निर्माण कार्य मजदूर संगठन को मात्र शहर तक ही सीमित न रखकर चहां से लोग स्थलांतिरत होते हैं, उन तमाम गांवों तक पहुंचाने का अनुरोध किया था। सभा के अध्यक्ष पद से इंटरनेशनल फेडरेशन फोर बिल्डिंग एंड वुड वर्कर्स ने चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के को-ओर्डिनेटर श्री जे. एल. श्रीवास्तव ने बताया था कि 'हम जिन अधिकारियों के पास कानून का अमल कराने जाते हैं उन अधिकारियों की पगार हमसे वसूल किये गए कर से मिलती है। सरकार उन्हें पगार इसलिए देती है कि वे मजदूर कानूनों का लाभ सभी मजदूरों तक पहुंचायें, परंतु परिस्थिति विपरीत है।

न्यूनतम वेतन कानून का क्रियान्वयन नहीं होता। मजदूरों को हाजरी कार्ड, वेतन पत्र, पहचान पत्र जैसे काम के प्रमाण स्वरूप प्राथमिक अधिकार भी प्राप्त नहीं होते। उन्होंने आगे कहा कि 'इंटरनेशनल फैडरेशन फोर बिल्डिंग एंड वुड वर्कर्स १२८ देशों की २१३ यूनियनों का अंतरराष्ट्रीय महासंघ है। उसमें गुजरात के निर्माण कार्य मजदूर संगठन एक सदस्य है। 'निर्माण कार्य मजदूर संगठन के सभी संघर्षों में उनका समर्थन है। हम बड़ौदा में संगठित हुए कार्यकर्ताओं की आवाज ठेठ जिनेवा तक पहुंचायेंगे।'

निर्माण कार्य मजदूर संगठन के महामंत्री श्री विपुल पंड्या ने बताया था कि बड़ौदा शाखा के कार्यालय को शुरू हुए पौने दो वर्ष में बड़ौदा के निर्माण कार्य मजदूर जाग्रत होकर संगठित हुए है, इस बात का विश्वास सभी को करा दिया है। भारत सरकार ने निर्माण कार्य कार्यकर्ताओं की काम की स्थिति सुधारने, रोजगारी का नियमन किये जाने, स्वास्थ्य व सुरक्षा के कदम उठाने, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण का लाभ दिये जाने के उद्देश्य से दो केन्द्रीय कानून बनाये हैं। निर्माण कार्य मजदूर संगठन ठेठ १९९४ से इन कानूनों के बनाये जाने की लड़ाई में और अब गुजरात में उनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया में सिक्रय रहा है।

निर्माण कार्य के दोनों केन्द्रीय कानूनों का लाभ राज्य के पिछड़े हुए निर्माण कार्य मजदूरों तक पहुंचे, इसके लिए राज्य भर में निर्माण कार्य मजदूर जागृति अभियान शुरू किया गया है। समग्र कार्यक्रम में दिल्ली उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और गुजरात के मजदूर नेताओं ने भाग लिया था। अधिक विवरण हेतु सम्पर्क करें : निर्माण कार्य मजदूर संगठन, ए-१८, जलधारा सोसाइटी, एस.टी. कॉलोनी के पास, टी.बी. अस्पताल के सामने, गोत्री रोड, वडोदरा, फोन: ०२६५-२३३४३४८।

गरीबी विरोधी लोक परिषद

दिल्ली के रामलीला मैदान में ३-४ सितंबर २००५ को गरीबी विरोधी लोक परिषद का आयोजन किया गया था। आगामी तीन वर्ष की अविध के दौरान देश भर में गरीबी निवारण के कार्य को गित देने के अभियान का यह मंगलाचरण था। उसका उद्देश्य दिलतों, मिहलाओं, आदिवासियों, बालोकं, निराश्रितों, वृद्धों व विकलांगों के मानवाधिकार के उल्लंघन की परिस्थिति में सुधार लाने हेतु सामाजिक व राजनीतिक दबाव खड़ा करना है। भारतीय संविधान में प्रदत्त आदेशों और संयुक्त प्रस्तावों में मानवीय गौरव की स्थापना और मानवाधिकारों के परिषद में अनेक सामाजिक आंदोलन, मजदूर मंडल, स्वैच्छिक संगठन, समुदाय-आधारित संगठन, गैर-सरकारी संगठन, नागरिक समाज के संगठन आदि जुड़े हैं।

भावी कार्यक्रम

विकासलक्ष्यी मध्यस्थता संचालन प्रमाण-पत्र कार्यक्रम भारत के अधिकाधिक लोग सामाजिक न्याय, गरीबी निवारण, सुसासन, दिलतों के विकास, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण की सुरक्षा हेतु प्रभावी रूप से काम करें, यह जरूरी है, अतः सहभागी शिक्षण केन्द्र लंबे समय से कार्यकर्ता विकास कार्यक्रम चलाता है। समाज के विकास हेतु जो मध्यस्थता की जाती है, वह मात्र कुछेक सम्पतिवान और विद्वान लोगों का ठेका न बन जाए और सामान्य लोग उसमें सहभागी बनें, यह इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहा है। इस तरह के कार्यक्रम हेतु इस समय यह कार्यक्रम चलाया जाना निश्चित किया गया है। विकासपरक कार्य में मध्यस्थता कैसे की जाए, इसका प्रशिक्षण देने वाले इस कार्यक्रम में छः मुख्य विषय इस प्रकार हैं:

- (१) विकासपरक मध्यस्थताः क्या, किसके लिए और किस तरह।
- (२) विकासपरक मध्यस्थता : महत्त्वपूर्ण मुद्दे।
- (३) कानूनी पहलू।
- (४) व्यक्ति विकास और समूह विकास।

- (५) विकासपरक मध्यस्थता की प्रक्रिया और कार्यवाही।
- (६) विकासपरक कार्यवाही हेतु संसाधनों का संचालन।

इस कार्यक्रम में निम्न व्यक्ति भाग ले सकेंगे :

- (१) २० से ४० की उम्र वाले और सभ्य समाज के संगठन में कार्यानुभव रखने वाले व्यक्ति।
- (२) व्यक्ति स्नातक होना चाहिए और किसी भी सभ्य समाज के संगठन में लगभग २ वर्ष का अनुभव होना चाहिए, हालांकि गैर-स्नातक कार्यकर्ता भी अर्जी दे सकते हैं।
- (३) महिला सहभागियों हेतु उचित सुविधाएं और अनुकूल वातावरण उपलब्ध होगा। ऐसी अपेक्षा है कि अधिक से अधिक महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल हों।

यह कार्यक्रम हिन्दी माध्यम में चलेगा। यह लखनऊ के सहभागी शिक्षण केन्द्र में चलेगा। उस केन्द्र के प्रशिक्षक प्रशिक्षण हेतु महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। इसके अलावा, नयी दिल्ली 'प्रिया', अहमदाबाद की 'उन्निति', पटना की 'संसर्ग' और भोपाल की 'समर्थन' संस्थाओं के प्रशिक्षक इसमें प्रशिक्षण देंगे।

छः माह के इस कार्यक्रम में तीन चरण है। पहला चरण २१ नवंबर २००५ से शुरू होगा और १८ फरवरी, २००६ को पूरा होगा। दूसरा चरण २० फरवरी २००६ को शुरू होगा और २० मई २००६ को पूरा होगा। तीसरा चरण २२ मई २००६ से २७ मई २००६ तक चलेगा। इस तरह सम्पूर्ण कार्यक्रम २१ नवंबर २००५ से २७ मई २००६ तक का छः माह की अवधि का रहेगा। इस कार्यक्रम की पूरी फीस का विवरण निम्न प्रकार से है:

- (१) दाता संस्था द्वारा भेजे गए सहभागी हेतु कुल २०,००० रु. इसमें फीस १८,००० रु. और पंजीकरण फीस २,००० रु. है।
- (२) संस्था द्वारा भेजी गई महिलाओं हेतु १०,००० रु. इसमें कार्यक्रम फीस ८,००० रु. और पंजीकरण फीस २,००० रु. है।
- (३) १० लाख रु. से कम टर्न-ओवर वाली संस्था द्वारा भेजे गए संभागी हेतु ५,००० रु., जिसमें कार्यक्रम फीस ३,००० और पंजीकरण फीस २,००० है।

कार्यक्रम में सहभागी होने का प्रार्थना-पत्र हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली की संस्थाएं निम्न पते पर भेजेंगी : प्रिया, ४२

तुगलकाबाद इंस्टीटचूशनल एरिया, नयी दिल्ली ११००६२, ई-मेल : info@pria.org. गुजरात व राजस्थान की संस्थाएं 'उन्नित के पते पर प्रार्थनापत्र भेजें।

पंचायती राज लेखन प्रतियोगिता २००५ प्रथम पुरस्कार २,००० रु., द्वितीय पुरस्कार १,५०० रु.

तृतीय पुरस्कार १,००० रु. सांत्वना पुरस्कार (५) ५०० रु.

पश्चिम राजस्थान के जिलों (जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, पाली, जालौर, सिरोही एवं जैसलमेर) में पंचायती राज संस्थाओं विशेषकर ग्राम पंचायतों द्वारा की गयी उल्लेखनीय अनुकरणीय आदर्श गितविधियों के सम्बन्ध में तैयार की गयी केस स्टडीज् को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित इस प्रतियोगिता में इच्छुक कोई भी व्यक्ति भाग ले सकते है। ये केस स्टडीज् पंचायती राज संस्थाओं के पिछले कार्यकाल (२०००-२००४) की होनी चाहिए।

अन्तिम तिथि ३१ दिसम्बर २००५

प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लेखक अपनी केस स्टडीज् अन्तिम तिथि से पूर्व 'उन्नित', जी-५५ , शास्त्रीनगर, जोधपुर (राज.) को डाक द्वारा प्रेषित करें। दिनांक ३१ दिसम्बर २००५ के बाद प्राप्त होने वाली केस स्टेडीज् को प्रतियोगिता में शामिल नहीं किया जायेगा। प्रतियोगिता हेतु केस स्टेडीज् विकासात्मक गतिविधियों (वंचित वर्गों के विकास हेत् प्रयास, रोजगार के अवसरों की अधिकता, अतिक्रमण हटाने सम्बन्धी कार्य आदि) के दौरान सफलता/असफलता एवं अधिक निजी आय वाली (१० लाख रु. वार्षिक से अधिक) ग्राम पंचायतों का वित्तिय प्रबन्धन से सम्बन्धित हो सकती है। महिला एवं दलित वर्ग के सरपंच वाली ग्राम पंचायतों की केस स्टडीज् को विशेष प्राथमिकता दी जायेगी। केस स्टडीज् के प्रारम्भ में आवश्यक रूप से यह स्पष्ट किया जाय कि यह मामला अनुकरणीय क्यों है ? सफलता / असफलता वाले मामलों की केस स्टडीज़ इस रूप में लिखी जाय, जिनसे कि कार्य करने के विभिन्न व्यावहारिक तरीकों की स्पष्टता हो सके। आवश्यक एवं सम्बन्धित फोटोग्राफ भी भिजवाये जायें। प्रतियोगिता में विजेताओं का चयन 'उन्नित' द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय निर्णायक समिति द्वारा किया जायेगा। समिति का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

संदर्भ सामग्री

बेरोजगार और हमारा बजट

यह गुजरात के बेरोजगारों के संदर्भ में कराया गया शोध है। इस शोध कार्य में राज्य सरकार की बेरोजगारों के विकास हेतु नीति का अत्यंत स्पष्ट दृष्टि से विश्लेषण करने का प्रयत्न हुआ है। इस पुस्तक में जो महत्त्वपूर्ण प्रकरण हैं, वे इस प्रकार हैं:

- (१) भारत में बेरोजगार।
- (२) गुजरात में बेरोजगार।
- (३) ५० प्र.श. बेरोजगारों के परिवार कर्ज तले दबे हैं व तीन वर्ष से बेरोजगारी से ग्रसित हैं।
- (४) आदिम जनजाति की बेकारी में भी हुई वृद्धि।
- (५) विगत पांच वर्षों में सार्वजिनक व वर्षों में सार्वजिनक व निजी विभागों में १.८५ लाख लोगों का रोजगार घटा है
- (६) पिछले पांच वर्षों में लाखों बेरोजगारों के लिए राज्य सरकार द्वारा कुल मात्र १.६१ प्र.श. ही खर्च होता आ रहा है
- (७) बेरोजगारों हेतु अलग-अलग योजनाओं का विश्लेषण
- (८) बेरोजगारों को रोजगार व आर्थिक सहायता के बारे में दिये गए वचनों के समक्ष वास्तविकता कुछ भिन्न
- (९) राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी निवारण हेतु किये गए प्रयत्न।

इस शोध से जो निष्कर्ष मिले हैं, उनमें से कुछेक निष्कर्ष निम्न हैं:

- (१) गुजरात में १९९० से २००१ के मध्य १.५० लाख के लगभग नए शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ी थी।
- (२) २००० की तुलना में २००३-०४ में राज्य के २५ जिलों में से १२ जिलों में बेरोजगारी की संख्या बढ़ी थी।
- (३) २००० की तुलना में अनुसूचित जाति के बेरोजगारों की संख्या में ०.५५ प्र.श., अनुसूचित जनजाति में २.१४ प्र.श., बक्षी आयोग की जातियों में ६.५६ प्र.श., अन्य पिछडे वर्गों में ०.१७ प्र.श. और सामान्य श्रेणी में ९.४२ प्र.श. की वृद्धि हुई थी।
- (४) २००१-०३ में शिक्षित बेकारों की संख्या में लगभग १०,०००

की वृद्धि हुई है।

इस सम्पूर्ण स्थिति का लोकभोग्य चित्रण पुस्तक के अंत में दिये गए समाचारपत्रों के विवरण से मिलता है। लेखकों ने पुस्तक के अंत में बहुत उपयोगी सुझाव भी दिये है। समग्रतया शिक्षित व युवा बेकारों की दयाजनक दशा और बढ़ते जाते आक्रोश को इस पुस्तक ने वाणी दी है। बेकारी और बजट के बीच क्या और कैसा संबंध है, यह इस पुस्तक से प्रकट होता है।

लेखक : श्रीमती विमलाबेन खराड़ी और श्री विपिन ठक्कर । प्रथम संस्करण : मई-२००५. प्राप्ति स्थान : 'दिशा', ९, मंगलदीप फ्लेट्स, चंद्रभागा पुल के सामने, गांधी आश्रम के पास, अहमदाबाद-२७, फोन : ०७९-२७५५३०७१, २७५५९८४२, सहयोग राशि ३० रु.

अस्तित्व बोध

इस पुस्तक में जल संस्कृति, निदयाँ दम तोड़ रही हैं, जल संस्कृति का संरक्षण, पिवत्र जल, ऐतिहासिक जलाशय, जन सामान्य के जलाशय, राजाओं की याद में, रानी या मेहतरानी: सब मांगे पानी, रिवाज, मंदिरों के सान्निध्य में, गरम पानी: कुदरत का करिश्मा, सामाजिक सद्भावना की स्मृति, जलाशय के तट पर रचा गया लोक साहित्य, आओ जल संरक्षण हेतु कुछ करें इत्यादि प्रकरणों द्वारा जल के साथ संबंधित अनेक मुद्दों को समेटा गया है। पानी प्राप्त करने और संभालकर रखने की पौराणिक विधियां कैसी थी और वे किस कारण आज तक टिकी रहीं, इनकी सचित्र जानकारी इस पुस्तक से मिल सकती है। इसमें जल की संस्कृति पर बल दिया गया है।

इस पुस्तक में लिखा गया है कि, 'परम्परागत जलाशयों और पद्धतियों का अध्ययन करते हुए स्पष्ट किया गया है कि उनकी लंबी उम्र का कारण इंजीनियरी कौशल के बजाय संस्कार, संस्कृति और नीति है।' अतएव पानी की समस्या का समाधान लोक भागीदारी से

विचार जुलाई-सितम्बर, 2005

करना और स्वायत्तता के तत्व का संभाल रखना - इस पुस्तक का संदेश है। 'पानी वर्तमान पीढ़ी को पूर्वजों द्वारा उत्तराधिकार में दिया गया है' रूसी कहावत का उल्लेख करके शुरू की गई यह पुस्तक १०३ रंगीन चित्रों के द्वारा यह समझाती है कि जल की रक्षा करेंगे तो जल हमारी रक्षा करेगा। सामुदायिक व समवेत प्रयास ही यह कर सकता है। ऐसी ध्वनि इस पुस्तक से सुनने को मिलती है। पूरी पुस्तक पानी को लेकर कुछ मूलभूत प्रश्न उठाती है और परंपरा में उनके उत्तर तलाशने के प्रयास करती है।

यह पुस्तक देहरादून की 'लोक विज्ञान संस्था' के पुस्तक 'सर्वाईवल लेसंस' पर आधारित है। इसके लेखक थे रिव चोपड़ा, पूरण बिष्ट और साथी। आलेखन : दिगंत ओझा। प्रकाशक : सत्यिजित ट्रस्ट अहमदाबाद, प्राप्तिस्थान : नवभारत साहित्य मंदिर, गांधी रोड, अहमदाबाद। प्रथम आवृत्ति : मई-२००५, मूल्य २२५ रु.

पंचायतीराज संस्थाओं में निर्धारित प्रतिनिधियों हेतु प्रशिक्षण सामग्री यह 'पंचायती राज जागरूकता अभियान' के अंतर्गत प्रकाशित की गई छोटी-छोटी सात हिन्दी पुस्तिकाओं का संपुट है। प्रत्येक पुस्तिकाएं इस प्रकार है:

- (१) ७३वां संविधान संशोधन व ग्राम सभा/वार्ड सभा की भूमिकाः ७३वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में आयोजित ग्राम सभा और वार्ड सभा की जरूरतों, उनके अधिकारों और आयोजन की प्रक्रिया इसमें दी गई है।
- (२) सरपंचों के कार्यभार का हस्तांतरण : कैशबुक, पासबुक, चेकबुक, खर्चमें से बची हुई रकम, पंजीकरण पत्रक, ग्राम सभा की कार्यवाही का रजिस्टर आदि की प्रक्रिया इस पुस्तिका में समझाई गई है।
- (३) ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों व सिचव के अधिकार कर्तव्य : ग्राम पंचायतें व्यवस्थित रूप से काम करें और लोगों के हित में निर्णय लें, इस हेतु सरकार द्वारा पंचायत के सदस्यों व पटवारी को प्रदत्त अधिकार व कार्य आदि इस पुस्तिका में समाविष्ट हैं।
- (४) ग्राम पंचायतों की स्थायी समितियां : इस पुस्तिका में ग्राम पंचायतों की कार्यवारिणी समिति, शिक्षा समिति, सामाजिक

- न्याय समिति आदि समितियों के गठन और उनके कार्यों का विवरम दिया गया है।
- (५) ग्राम पंचायतों का बजट एवं आय के साधन : ग्राम की सरकार के हिसाब तैयार करने की प्रक्रिया और आय और खर्च का हिसाब क्या है, इसकी जानकारी इस पुस्तिका में दी गई है। आय कैसे बढ़ाई जा सकती है, यह भी इसमें बताया गया है।
- (६) कैसे बनायें गांव के विकास की योजना : समाज के कमजोर, गरीब, पिछड़े वर्गों और विशेष रूप से महिलाओं की जरूरतों पर आधारित गांव के लोगों की सलाह से गांव के विकास की योजना किस तरह तैयार हो, इस पर इस पुस्तिका में ज़ोर दिया गया है।
- (७) पंचायती राज संस्थाओं में महिला जन-प्रतिनिधियों की भूमिकाः ७३ वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं हेतु एक-तिहाई आरक्षण से निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी में हुई पूर्ति की जानकारी इस पुस्तिका में दी गई है।

ये पुस्तिकाएं राजस्थान के संदर्भ के साथ लिखी गई हैं, पर ये पंचायत क्षेत्र में प्रशिक्षण का काम करने वाले सभी के लिए उपयोगी हैं। सरल हिन्दी भाषा के कारण ये बोधगम्य हैं। प्राप्ति स्थान : प्रिया, राज्य संसाधन केन्द्र, एस-२८, गीजगढ़ विहार, नंदपुरी मार्केट के पास, बाईस गोदाम, जयपुर-३०२ ००६, फोन : ०१४१-२२१६०१३, ई-मेल : jaipur@pria.org

विकास की राह पर

सामाजिक कार्यकर्ताओं को विकासपरक लेखन कार्य करने में प्रोत्साहन देने हेतु 'चरखा' द्वारा प्रतिवर्ष विविध विकासपरक मुद्दों के संबंध में लेखन स्पर्धा आयोजित की जाती है। २००४ के दौरान 'जमीन मालिकी और महिलाएं' तथा 'आदिवासी और स्वशासन' विषय पर लेखन स्पर्धा आयोजित की गई थी।

इस स्पर्धा में आये हुए लेखों में से कई लेख चुन कर इस पुस्तक में संकलित किये गए हैं। वैसे इनके अलावा भी कई लेख इस पुस्तक में समाहित किये गए हैं। यह पुस्तक तीन भागों में विभाजित है। प्रथम भाग में महिलाओं द्वारा जमीन मालिकी प्राप्त करने के संघर्ष हैं। प्रथम भाग में महिलाओं द्वारा जमीन मालिकी प्राप्त करने के संघर्ष संबंधी बात है। द्वितीय भाग में आदिवासी अंचल की पंचायतों में सफल नेतृत्व प्रदान करने वाले सरपंचों की बात है। तृतीय भाग में 'चरखा' द्वारा वर्ष के दौरान तैयार व विविध अखबारों में प्रकाशित लेखों में से कई लेख रखे गए हैं। इनमें विशेष रूप से दिलतों, आदिवासियों, असंगठित मजदूर वर्ग, महिलाओं आदि की समस्याओं और उनके समाधान हेतु किये जा रहे प्रयासों बाबत लिखा गया है।

यहां तीस लेखों में गुजरात के विकास के प्रकारों और उनके अंतर-प्रवाहों का प्रतिबिम्ब देखने को मिलता है। असहाय और ग्रामीण क्षेत्रों में रचनात्मक प्रवृत्तियों के साथ जुड़े कार्यकर्ताओं द्वारा लिखे लेखों में भाषागत स्वरूप दिखता लगता है, पर उसमें विद्यमान सरल व सहज हिककतें हृदयस्पर्शीऔर कभी-कभी तो विचार-प्रेरक भी बन जाती हैं। सामान्य लगने वाले आम लोगों में कितनी शक्ति, सूझ व चातुरी होती है और यदि उनको वातावरण दिया जाए तो वे कितनी सहजता से विकास में परिवर्तित हो सकते हैं, इसके अनेक प्रेरक उदाहरण इस पुस्तक में दिये गए हैं। इस पुस्तक में एक तरफ समृद्ध गिने जाने वाले गुजरात का अंधकारपूर्ण चेहरा भी देखने को मिलता है तो दूसरी और उस अंधकार को समाप्त करने के प्रयास स्वरूप दीपों का प्रकाश भी देखने में आता है।

गुजरात की विकासपरक प्रवृत्तियों का दस्तावेजीकरण इस पुस्तक में है और वह प्रेरक है। 'गुजरात टाइम्स' साप्ताहिक के निवासी तंत्री श्री रमेश तन्ना ने इसका आमुख लिखा है। संपादक: संजय दवे, प्रस्तुति: चरखा-विकास संचार नेटवर्क, ७०२ साकार चार, मा. जे. पुस्तकालय के सामने, आश्रम रोड, अहमदाबाद-६, फोन: ०७९-२६५८३३०५।

पृष्ठ 37 का शेष भाग

संरक्षण हेतु अनुवर्ती परियोजनाओं के बारे में चर्चा हो रही है। विद्वान लोग सूचनाएं एकत्र कर रहे हैं और सरकारों, सभ्य समाजों व अंतरराष्ट्रीय संगठनों को उनके शोध के परिणाम बता रहे हैं तािक शांति की नयी व्यूह रचनाएं विकसित की जा सकें। इस तरह इन १००० महिलाओं के शांति कार्य की चिरंतनता तब निर्मित होगी जब यह परियोजना २००६ में पूरी होगी।

शांति का आधार ज्ञान

संघर्षों के प्रतिरोध हेतु १००० व्यूह रचनाएं शोध व राजनीतिक कार्य हेतु महत्त्वपूर्ण प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। ये संघर्षों के निवारण की और महत्त्वपूर्ण सामाजिक प्रश्नों की सहभागिता के अनेक रूपों के दर्शन कराती हैं और महिलाओं के दृष्टिकोण से भावी परियोजनाओं का निदर्शन करती हैं। ये विश्वव्यापी महिलाएं विविध सांस्कृतिक संदर्भों में महिलाओं के शांति कार्य के संसाधन, प्रभाविता, चिरंतनता और कार्यक्षेत्रों के अध्ययन संबंधी सामग्री प्रदान करती हैं।

उपसंहार

अंतरराष्ट्रीय स्तर का यह प्रयास पहला ही है और अत्यंत प्रशंसनीय रहा है, शांति शब्द की व्याख्या फिर से स्पष्ट हुई है और शांति स्थापित करने में महिलाओं के कार्य और उनकी सामूहिक पहचान को मान्यता प्राप्त हुई है। शांति हेतु सर्वाधिक विख्यात इनाम नोबल पुरस्कार है और वह अग्रणी व्यक्तियों को दिया जाता है। अतः इस प्रयास ने महिलाओं के कार्य को दृश्यमान बना दिया है। शांति हेतु किये गए उनके प्रयास ही उनके इस उम्मेदवारी के लिए योग्य बनाते हैं।

दक्षिण एशिया में से सबसे अधिक १५८ महिलाओं की उम्मीदवारी दर्ज हुई हैं : भारत-९१, बांग्लादेश-१६, नेपाल-९, पाकिस्तान-२९ और श्रीलंका-१२। आबादी के आकार, संघर्ष समस्याओं, शोषण, गरीबी आदि के आधार पर देशवार संख्या तय की गई है। इनमें महिलाओं, महिलाओं के संगठनों और नागरिक समाज के अन्य संगठनों द्वारा हुए परिवर्तन के कामों को भी ध्यान में रखा गया है।

विगत तीन माह के दौरान 'उन्नित' द्वारा निम्नानुसार प्रवृत्तियां हाथ में ली गई थीं :

(१) सामाजिक समावेश और सक्षमता दलितों के अधिकार

गत तीन माह के दौरान दिलत संदर्भ केन्द्रों को 'दिलत अधिकार अभियान' की ग्राम स्तरीय और तहसील स्तरीय सिमित के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श करके उनकी प्रवृत्तियों का आयोजन करने और क्रियान्वयन करने हेतु सक्षम बनाने के कदम उठाये गए। इस कार्यक्रम के एक भाग स्वरूप बाड़मेर जिले की कल्याणपुर तहसील की पुरुष सिमित के सदस्यों को २५-२६ अगस्त, २००५ के मध्य दो दिवसीय नेतृत्व प्रशिक्षण दिया गया। उसमें ४१ स्थानीय नेताओं ने भाग लिया था। अगस्त व सितंबर २००५ के दौरान 'दिलत अधिकार अभियान' की मिहला सदस्यों को घरेलू हिंसा के साथ जुड़े सवालों और मिहला संगठन की जरूरत के बारे में अभिमुख किया गया। दो दिवसीय इन कार्यशालाओं में शेरगढ़, सिणधरी और बायतु तहसीलों की ११८ मिहलाएं उपस्थित रही थी। शेरगढ और सिणधरी की सामुदायिक मिहला नेताओं हेतु एक दिन की ऐसी दो कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं। पंचायतों के द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाएं असहाय व्यक्तियों और परिवारों के लिए किस तरह उपयोगी हैं, इस बारे में उसमें चर्चा की गई थी। इन कार्यशालाओं में ३५ मिहलाएँ उपस्थित रही थीं। दिलत संदर्भ केन्द्रों द्वारा अत्याचारों के ६ मामले हाथ में लिये गए थे। जमीन के कब्जे संबंधी दो मामले हाथ में लिए गए थे और १०२ एकड़ जमीन मुक्त कराई गई थी। 'राष्ट्रीय दिलत मानवाधिकार अभियान' (एनसीडीएचआर) के सहयोग में पाली में ५-९-२००५ को एक सार्वजिनक सुनवाई आयोजित की गई थी। उसमें दिलतों संबंधी अत्याचारों के १२ मामले उठाये गए थे। उसका उद्देश्य दिलतों की समस्याओं के बारे में समुदाय को संवेदनशील बनाने और स्थानीय प्रशासन तंत्र के साथ संबंध स्थापित करना था।

विकलागता

विकलांगता और विकास के बारे में 'सेवा बैंक' के रूप में २५ सदस्यों हेतु एक प्रशिक्षण हाथ में लिया गया। 'हैंडिकेप इंटरनेशनल' के सहयोग से आयोजित इस प्रशिक्षण में वे अपनी वर्तमान प्रवृत्ति में विकलांगता संबंधी समस्या को किस तरह समाविष्ट कर सकते हैं, इस विषय पर ध्यान केन्द्रित किया गया था। सामुदायिक संचार के कौशलों के बारे में आधे दिन की कार्यशाला आयोजित की गई थी। उसमें समुदाय आधारित पुनर्वास के साथ जुड़े हुए १५ कार्यकर्ताओं ने उपस्थिति दी थी। विकलांग व्यक्तियों के समुदाय में समावेश हेतु प्रेरणा देने के लिए यह प्रशिक्षण रखा गया था। अवरोधमुक्त पर्यावरण निर्मित करने के वर्तमान कार्यक्रम के भाग रूप में अहमदाबाद नगरपालिका के साथ हिमायत की गई। सड़कें व फुटपाथ आधुनिक करने हेतु योजना में इस विषय को समाविष्ट करने के लिए उसमें प्रयत्न किया गया था।

भूकंपग्रस्तों का पुनर्वास

भचाऊ में भूकंप के बाद पुनर्वास करने के भाग स्वरूप तकनीकी व सामग्री विषयक मकान बनवाने हेतु सहयोग प्रदान करने का काम पूरा हो गया है और अब समुदाय को विपदा का सामना करने की तैयार हेतु तैयार करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसके लिए समुदाय आधारित विपत्ति के सामने की तैयारी की योजना अमारडी और बिनयारी दो गांवों के लिए तैयार की जा रही है। जीवन निर्वाह विषयक काम के संदर्भ में बड़े शहरों हेतु वस्तु बनवाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। २४ अगस्त से २ सितंबर २००५ के दौरान बेंगलूर में नई दिल्ली के 'दस्तदार' द्वारा आयोजित प्रदर्शिनी में उत्पादक समूहों ने भाग लिया था। विगत तीन माह दौरान कौशल मूल्यांकन कार्यशालाएं आयोजित की गईं। तदुपरांत २०० महिलाओं को नियमित रूप से कसीदाकारी प्राप्त हो, ऐसी बाजारलक्ष्यी व्यवस्था के संदर्भ में पहचाना गया था। महिलाओं के उत्पादक समूहों को बताया गया कि बेंगलूर की प्रदर्शनी के संदर्भ में किस प्रकार की वस्तुओं की मांग है और बिक्री का भाव क्या हो सकता है, इस पर ध्यान दिया जाए।

बाढ़ की परिस्थिति में प्रतिभाव

गुजरात में जुलाई-अगस्त २००५ के दौरान सूरत, वलसाड, नवसारी, खेड़ा, आणंद, बड़ौदा और अहमदाबाद इन ७ जिलों के लगभग ८,००० गांवों को भारी वर्षा के कारण नुकसान पहुंचा था। हमने ८ सहभागी संस्थाओं के सहयोग से ६,१०७ निःसहाय परिवारों को राहत प्रदान की थी। लाभार्थियों की पहचान, जरूरतों की पहचान और राहत सामग्री के किट तैयार करके उनके वितरण द्वारा राहत कार्य पूरा

विचार जुलाई-सितम्बर, 2005

किया गया था। इस किट में खाने की वस्तुएं, घरेलू चीजें, तिरपाल शीट और बीज व जैविक खाद जैसी वस्तुओं का समावेश किया गया था।

क्षमतावर्धन

भचाऊ के 'उन्नित' के सहभागी प्रशिक्षक केन्द्र २-६ अगस्त, २००५ के मध्य गुजरात व राजस्थान के विकास क्षेत्र व कार्यकर्ताओं हेतु प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसमे १२ संगठनों के २६ प्रतिभागियों ने भाग लिया था। 'चर्च ओग्जिलियरी फोर सोशियल एक्शन' (कासा) के सहभागी संगठनों हेतु २३-२५ अगस्त, २००५ के दौरान 'हिमायत एवं अधिकार आधारित अभिगम' विषय पर एक प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। उसमें १६ संगठनों के ३१ प्रतिभागियों ने भाग लिया था।

(२) नागरिक नेतृत्व और शासन ग्रामीण शासन

गुजरात में साबरकांठा जिले के मोडासा, विजयनगर, हिंमतनगर और ईडर तथा अहमदाबाद जिले की एक तहसील हेतु दो दिवसीय ऐसे चार प्रशिक्षण नागरिक नेताओं हेतु उनकी भूमिका और उनकी जिम्मेदारियों के विषय में उनको अभिमुख करने के लिए आयोजित की गई थी। उसमें १३४ नागरिक नेताओं ने भाग लिया था। 'पंचायत विकास सिमित' के नेतृत्व तले अहमदाबाद और साबरकांठा जिलों की ८ तहसीलों में लगभग ८० नागरिक मंडलों को प्रोत्साहन दिया गया है। प्रत्येक सिमित की पंचायत के प्रत्येक वार्ड के दो-तीन नागरिक नेता होते हैं। पंचायत विकास सिमितियों का उद्देश्य इस मुताबिक है: ग्राम सभा और पंचायतों के बीच सम्पर्क स्थापित करना, मिहलाओं और अन्य वंचित समूहों की सहभागिता को बढ़ाना, ग्राम में प्रवर्तमान अन्यायों के सवाल उठाना और सेवाओं की व्यवस्था में गुणवत्ता लाना। जिन नागरिक नेताओं ने उपर्युक्त प्रशिक्षणों में भाग लिया था, वे इन सिमितियों के सदस्य थे। इस अलावा, सरपंचों, निर्वाचित मिहला प्रतिनिधियों और सामाजिक न्याय सिमितियों के सदस्यों के मंडलों को दो जिलों में प्रोत्साहन दिया जारहा है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में अनाज राहत पहुंचाने में और जरूरत ज्ञात करने में इन मंडलों ने सिक्रय भूमिका अदा की थी। द्वारका में महिला मंडल अन्त सुरक्षा के राज्य स्तरीय अभियान में सिक्रय रूप से शामिल है और उन्होंने इस क्षेत्र में एक जन-सुनवाई का आयोजन किया था। सरकारी न जोतने योग्य बंजर जमीन उद्योग समूहों को दिये जाने के सरकारी प्रस्ताव के विरुद्ध श्री चुनीभाई वैद्य के नेतृत्व में राज्य में अन्य गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाये जा रहे अभियान में हमने सिक्रय रूप से भाग लिया था। साबरकांठा में अनेक समूह स्तरीय बैठकें आयोजित करने के बाद नागरिकों की प्रतिक्रिया खड़ी करने हेतु एक जिला स्तरीय विचार-विमर्श सभा आयोजित की गई थी।

शेष पृष्ठ 32 पर



जी-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380015 फोनः 079-26746145, 26733296 फैक्सः 079-26743752 email: unnatiad1@sancharnet.in

राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय

जी-55, शास्त्री नगर, जोधपुर-342 003 राजस्थान फोनः 0291-2642185, फैक्सः 0291-2643248 email: unnati@datainfosys.net

डिज़ाइनः रमेश पटेल, उन्नित **गुजराती से अनुवादः** रामनरेश सोनी

मुद्रकः बंसीधर ऑफसेट, अहमदाबाद. फोन नं. 079-55612967

आप लोक शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विचार में प्रकाशित सामग्री का सहर्ष उपयोग कर सकते हैं। कृपया सौजन्य का उल्लेख करना न भूलें और साथ ही अपने उपयोग से हमें अवगत करायें ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें।